

राज शिक्षा आभिलाषा

परमपवित्र ज्ञान

(2002-2007)

जनपद - मुरादाबाद



13 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ और इस क्षेत्र के निवासी भी इसमें पीछे नहीं रहे। 1930 में असहयोग आन्दोलन और 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन को भी इस क्षेत्र से पूरा समर्थन प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता के लिये क्षेत्र के हिन्दुओं और मुसलमानों ने मिलकर प्रतिभाग किया।

### 3- साक्षरता -

2001 की जनगणना के आधार पर 30 प्र0 की साक्षरता 57.36 प्रतिशत है जिसमें से पुरुष साक्षरता 70.23 प्रतिशत व महिला साक्षरता 42.98 प्रतिशत है जिसकी तुलना में जनपद मुरादाबाद की कुल साक्षरता 45.74 प्रतिशत व महिला साक्षरता 33.32 प्रतिशत है।

### स्थलाकृति एवं जलवायु :-

मुरादाबाद गंगन और राम गंगा दो मुख्य नदियों के बीच स्थित है इसकी स्थिति के आधार पर इसे कई भागों में बांट सकते हैं। जनपद का पश्चिमी भाग "खादर" है। यहाँ जल भराव की समस्या रहती है। दक्षिणी भाग की भूमि 'कटेहर' कहलाती है यह भूमि उर्वरा की दृष्टि से उत्तम है। उत्तर पूर्व का भाग भूँड कहलाता है।

जनपद में औसत वार्षिक गर्मी 817 एग0 एग0 से 1,135 एग0 एग0 होती है। यहाँ की गर्मी में तापक्रम बहुत अधिक होता है जबकि शरद ऋतु में औसत ठंड पड़ती है। यहाँ मानसून जून के अंत में आ जाता है और अक्टूबर तक लगातार रहता है।

जनपद मुरादाबाद में 52.6 प्रतिशत कृषक निवास करते हैं अर्थात् इस जनपद की अर्ध व्यवस्था कृषि पर आधारित है पीतल के वर्तनों के निर्माण में विख्यात होने के कारण ही मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। गन्ना आलू, गेरू, मैन्था जनपद की मुख्य फसलें हैं सम्भल में पुशओं के सीगा से निर्मित खिलौने भी विख्यात हैं।

जनपद में तीन चीनी मिल बिलारी, असमोली, मझावली में स्थित है। जनपद के वि० खण्ड पंवासा, वहजोई, बिलारी, भूण्डापाण्डे भागौलिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्ड है। वहजोई एवम पंवासा में अधिक क्षेत्र भूड के नाम से जाना जाता है। आने जाने के साधन कम होने के कारण इन विकास खण्डों का विकास प्रभावित हुआ है। जनपद पांच तहसीलों, मुरादाबाद, बिलारी, ठाकुरद्वारा, चन्दौसी, सम्भल एवम् 13 विकास खण्डों में विभाजित है। जनपद मुरादाबाद की जनसंख्या निम्नवत है।

जनसंख्या - 1.1

	पुरुष	महिला	योग
1991	1603625	1361660	2965293
2001	2073369	1755186	3828555

स्रोत - 1991 की जनगणना के आधार तथा 2001 की स० वे० शि० अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वर्ष 1991 व 2001 तक जनसंख्या में लगभग 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जनसंख्या -

जनसंख्या मुसदावाद की 1991 की जनगणना के आधार पर कुल जनसंख्या 2965293 जिसमें पुरुष 1603625 तथा महिलाएँ 1361660 थीं। इस प्रकार मुसदावाद जनसंख्या में पुरुष महिला अनुपात 54 : 46 था अनुमानित जनसंख्या/जनसंख्या में कुल एस10 सी10 जाति की जनसंख्या 470951 जिसमें पुरुष 257160 तथा 213791 महिला थीं इस प्रकार कुल 15.88 प्रतिशत अनु जाति जनसंख्या थी।

इस प्रकार इस दशक में वृद्धि भी लगभग 25 प्रतिशत हुई है।

वर्ष 1991 की जनसंख्या जनगणना 1991 के आधार पर एवम् वर्ष 2001 की अनुमानित जनसंख्या विकास खण्ड वार सारणी 1.2 में तथा नगर क्षेत्र वार 1.3 में प्रदर्शित की गयी है।

जनसंख्या विभाग अण्डकार जनपद मुरादाबाद

सारणी 1.2

सं०	नाम	कुल जनसंख्या 1991			एस० सी० जनसंख्या 1991			अनुमानित कुल जनसंख्या 2001			अनुमानित एस० सी० जनसंख्या 2001		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1-	मुरादाबाद	66277	56658	122935	13274	11024	24298	131410	12916	244326	16459	13669	30128
2-	मूढावाण्डे	82342	68940	151282	944	7889	17333	102895	98174	201069	12856	1226	25082
3-	भानसपुर भानसा	74644	53549	138193	11147	9285	20433	108204	72930	181134	16526	11764	28290
4-	अजसरे ✓	84957	72582	157539	16293	13305	30093	106657	95050	201707	21779	17820	39599
5-	अकुरुद्वारा	75016	65112	140128	12127	10679	22808	95567	78192	173759	15037	13241	28278
6-	डिलारी	69877	70722	166599	10524	8905	19429	11741	94869	263010	11576	9017	21193
7-	दिलारी	87702	70549	158251	20151	16118	36269	107906	88288	196194	24987	19986	44973
8-	कुन्दरकी	11051	93277	203428	20937	17381	38318	138738	113513	252251	16395	10929	27324
9-	दीनशासका	101783	82533	184316	30996	24775	55771	125771	103680	229437	38435	30721	69156

क्र०	नाम	कुल जनसंख्या 1991			एस० सी० जनसंख्या 1991			अनुमानित कुल जनसंख्या 2001			अनुमानित एस० सी० जनसंख्या 2001		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1-	सम्बल	94351	79145	173496	21450	17922	39372	114773	100695	215468	27566	23022	50588
2-	बनारस	92132	7545	107177	17135	13938	31073	122165	99954	222120	25745	20655	46400
3-	असमाल	83593	70243	153836	16524	13603	30127	45392	94416	209814	20479	16867	37346
	दिकार	11096689	927237	20369026	210356	173922	384278	145657	7216851	2673408	261585	209952	471537
	स्वच्छ योग												
4-	नगर	497436	434437	931873	46804	39869	86673	616812	338335	1155147	58041	49652	107693
	कुल योग	1603625	1361668	2965293	257160	213791	470951	12073369	1755186	332855	319626	359604	579230

नोट - 1991 जनगणना सर्वेक्षणी पूर्व 2001 अनुमानित 2001 जनगणना प्रमाणित अनुमानित प्रमाणित

नगर क्षेत्रवार जनसंख्या- नुरादाबाद  
सारणी - 3

क्र. सं.	गाव	जनसंख्या 1991			जनसंख्या 2001 अनुमानित			अनुमानित वृद्धि दर जमावट 2001					
		पुरुष	महिला	सं.	पुरुष	महिला	सं.	पुरुष	महिला	सं.			
1-	धान्यास्त	44004	38744	82748	7447	6344	13791	54564	48042	102606	9234	7866	17100
2-	मुपिकाबाद	277827	241645	519472	26763	21893	47656	344505	299639	644144	31868	27413	59281
3-	चिंचे	45523	70246	115769	4637	4147	9384	99972	87164	187076	6084	5127	11211
4-	ठाणुडुंग	13532	11747	25279	813	721	1534	16779	14481	31260	1003	894	1902
5-	दाण्डे	11447	10276	21723	1394	1187	2581	14194	12742	26936	1729	1480	3209
6-	काटे	10710	9587	20297	1137	1021	2218	13780	11792	25072	1484	1266	2750
7-	सिचने	9541	8769	18310	362	326	718	11830	10785	22615	477	406	883
8-	कनकवत	9906	8550	18516	1110	947	2057	12357	10516	22873	1376	1174	2550
9-	सोलापुर	9027	8374	17401	275	244	519	11931	10383	22314	350	305	655
10-	नयाली	7258	6372	13630	1044	927	1971	8999	7901	16900	1295	1149	2444
11-	मोडने	3549	3319	6868	61	55	123	7500	6591	14091	82	65	147
12-	मोडने	11379	10130	21509	1341	1097	2438	14109	12561	26670	1465	1248	2713
13-	रुखमपुर	5478	4675	10153	1282	1092	2374	6792	5797	12589	1589	1354	2943
		497436	434431	931867	46760	39813	86573	616812	538335	1155147	58041	49652	107693

नोंट - 1991 जनगणना सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त

स्रोत - 2001 जनगणना 2.4 वृद्धि दर से अनुमानित



## अध्याय-2

### जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

जनपद भुसादाबाद जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी० पी० ई० पी० द्वितीय) द्वारा आयोजित जनपद है। इस जनपद में यह कार्यक्रम वर्ष 1997-98 से संचालित है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य, शक्ति प्रतिशत नामांकन शिक्षा की पहुँच का स्तर, उच्चतर गुणवत्ता में वृद्धि प्रबन्ध क्षमता का विकास ड्राम आउट रेट में कमी लाना था। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अनेक प्रयास इस कार्यक्रम द्वारा किये गये यह समयावधि कार्यक्रम है तथा इसका वर्ष 2002 में समापन होगा यह कार्यक्रम माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों हेतु चलाया गया। उच्च माध्यमिक विद्यालय को इस कार्यक्रम में नहीं लिया गया था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा उद्देश्यों की प्रमुख लक्ष्यों का प्राप्ति शत प्रतिशत नहीं हो सकी। शत प्रतिशत नामांकन, ड्राम आउट में कमी गुणवत्ता में वृद्धि तथा प्रबन्ध क्षमता में वृद्धि में तीव्र स्तर से गति लाने हेतु सब शिक्षा अभियान (एस० एस० ए०) इस जनपद में प्रांरभ किया जा रहा

1991 के जनगणना के अनुसार जनपद भुसादाबाद की साक्षरता दर 30.90 जिसमें पुरुष साक्षरता 40.9 तथा महिला साक्षरता दर 19.00 है। जनपद की साक्षरता पर समग्र सारणी में तथा विकास सूचकांक वार सारणी 2.2 एवम् नगर क्षेत्र पर सारणी 2.3 में अंकित है।

जनगणना 1991 के अनुसार —

सारणी 2.1 (अ)

क्र. सं.	विवरण	कुल साक्षरता दर		
		पुरुष	महिला	योग
1-	कुल साक्षरता	40.8	19.00	30.9
2-	ग्रामीण	33.8	8.8	22.5
3-	नगरीय	56.3	40.3	48.8

जनगणना 2001 के अनुसार

सारणी 2.1 (बी)

क्र. सं.	विवरण	कुल साक्षरता दर		
		पुरुष	महिला	योग
1-	कुल साक्षरता	63.82	33.32	45.74
2-	ग्रामीण	70.76	20.99	31.46
3-	नगरीय	70.76	42.10	47.74

वर्ष 1991 एवं 2001 की जनगणना में अंकित साक्षरता दर का तुलनात्मक अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि जनसंख्या की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है कुल साक्षरता दर 15 प्रतिशत पुरुष साक्षरता दर में 23 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

विवरण खण्ड दर साक्षरता दर सारणी 2.2 एवं नगर क्षेत्र लक्ष साक्षरता दर सारणी 2.3 में पर्यवेक्षित की गयी है।

सारणी 2.2 वर्ष 1991

वर्ष/विकास एकक	साक्षर व्यक्ति			साक्षरता का प्रतिशत		
	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 1971	310356	105634	415990	23.5	17.1	17.1
वर्ष 1981	466933	157454	624287	27.4	10.9	19.8
वर्ष 1991	509713	199918	709631	40.8	19.0	30.9
विकास खण्डवार 1991						
अकुरुवाहा	31806	10139	41945	54.2	20.3	38.6
डिंडोरी	26781	7122	33903	33.7	12.3	26.7
अकमण्डो	23429	4939	29368	35.6	9.1	23.6
साभरा	24742	5131	299923	33.6	3.6	22.4
भुवारा	17703	2672	20375	24.3	4.6	15.6
बनारपुर ताला	17907	3512	21419	31.4	7.4	20.5
मुन्दागिर	15772	355	19327	31.2	0.4	20.8
मुन्दागिर	16377	2540	18917	25.7	4.9	16.4
बनारपुर	23203	3469	26752	27.3	4.9	17.1
बनारपुर	21079	3052	25030	28.6	6.0	18.6
बनारपुर	22996	3575	26571	32.2	6.5	20.8
बनारपुर	18712	2663	18775	32.3	6.5	20.7
बनारपुर	32096	3985	41681	49.0	16.0	33.9
बनारपुर	291932	62204	354186	33.9	3.8	22.5
बनारपुर	217731	137714	355445	56.3	40.3	48.5
बनारपुर	509713	199918	709631	40.8	19.0	30.9

स्रोत - 1991 की जनगणना

जनगणना 2001 के आकड़े ब्लाक वार उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 1991 के साप्ताहिक साक्षर कर्मि० एवं साक्षरता का प्रतिशत अंकित किया गया।

सारणी सं० 2.3

नगर का नाम एवं वर्ष नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/कैम्पेमेन्ट बोर्ड/सेन्सस टाउन	सम्बन्धित तहसील	साक्षरता का प्रतिशत (1991)
1- चन्दौसी न० प०		62.27
2- ठाकुरद्वारा न० प०		36.46
3- वहजोई न० प०		57.06
4- कांठ		54.63
5- सिरसी न० ए०		25.61
6- कुन्दरगी न० ए०		31.87
7- भोजपुर न० ए०		19.65
8- नरीली न० ए०		35.40
9- रामशै कला		29.77
10- विलाही न० प०		13.75
11- सुरतगढ़ नगर		30.63
12- मुरादाबाद न०		54.35
13- सागल न० प०		31.95
योग		43.79

स्रोत- जनगणना 1991 के अनुसार

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार -

विकास खण्ड वार साक्षरता दर का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि सबसे कम साक्षरता दर वाले विकास खण्ड पंचासा, एतम मूण्डापाण्डे है जिनमें साक्षरता दर क्रमशः 15.53 एतम् 16.57 है मि० खण्ड पंचासा में महिला साक्षरता दर मात्र 4.6 थी सबसे अधिक साक्षरता दर मि० खण्ड ठाकुरद्वारा की है जहा पर साक्षरता दर 38.56 प्रतिशत है। जनपद की महिला साक्षरता 1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण 8 प्रतिशत नगरीय 40.3 प्रतिशत तथा कुल 19 प्रतिशत थी ग्रामीण की महिला साक्षरता दर भी स्थिति सोचनीय थी। महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता दर विकास खण्ड पंचासा, डीनारपुर, एतम मूण्डापाण्डे है। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर 20-25 विकास खण्ड ठाकुरद्वारा की है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मुसादावादा की जनसंख्या 3828555 जिसमें 2073359 पुरुष एतम् 1755196 महिला है जबकि 1991 में यह 2965293 कुल तथा पुरुष शरी जनसंख्या क्रमशः 1603625, 1351660 थी इस प्रकार जनसंख्या में लगभग इस प्रकार से 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 के अनुसार साक्षरता दर कुल 45.74 प्रतिशत पुरुष 63.82 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 31-32 प्रतिशत है।

शैक्षिक संस्थाओं की उपलब्धता -

जनपद के उपलब्ध शैक्षिक संस्थाओं का विवरण सारणी 27 में दिया गया

शैक्षिक संस्थाओं की उपलब्धता  
असमद गुरादाबाद में उपलब्ध शैक्षिक संस्थाओं का विवरण  
सारणी 2.4

		प्राथमिक विद्यालय			माध्यम प्रांत			कुल विद्यालय			पर माध्यम प्रांत विद्यालय		
		मापण	नगरीय	योग	मापण	नगरीय	योग	मापण	नगरीय	योग	मापण	नगरीय	योग
1-	प्राथमिक विद्यालय	1559	153	1712	563	205	768	2122	358	2480	52	10	62
2-	मा. विद्यालय से संबद्ध प्रा. अनुभाग	02	02	04	01	05	09	06	07	13	-	-	-
3-	उच्च प्राथमिक विद्यालय	186	19	205	172	118	290	358	137	495	20	8	28
4-	केन्द्रीय विद्यालय												
5-	नगरीय विद्यालय	1		1				1		1			
6-	बोर्डिंग	3		3	30	14	44	30	17	47			
7-	इंटरमीडिएट	01	02	06	63	52	115	67	54	121			
8-	टिचीमैन				06		06	06		06			
9-	स्नातकोत्तर अधिविद्यालय				01	08	09	01	08	09			

10	विश्वविद्यालय													
11	तकनीकी संस्थान (आई.टी.आई. /पॉलिटेक्निक)		2	2		2								
12	कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान				01	03	04	01	03	04				
13	आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या	415	100	515				415	100	515				
14	महल/मदरसे				20	05	25	52	05	57				
15	संस्कृत पाठशालाएं				01	06	07	01	06	07				
16	विशेषज्ञ बच्चों की शिक्षा हेतु संस्थान													
17	अन्य शैक्षिक विभागाध्यक्ष					20	20		20	20				

सोल विभागाध्यक्ष आंकड़े

सारणी 2.4 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि जनपद मुरादाबाद में कुल प्राथमिक स्तर में विद्यालय लगभग 2480 हैं जिनमें परिसदीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1712 है जबकि मुरादाबाद जनपद की 2001 की वल गणना के अनुसार जनसंख्या 3928555 है इस प्रकार 1543 जनसंख्या पर एक प्रा० विद्यालय में औसत आती है। तथा कुल उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 567 है जिसमें 205 परिसदीय विद्यालय है इस प्रकार 6782 व्यक्तियों पर एक उ० प्रा० विद्यालय का औसत आता है। जनपद मुरादाबाद में कोई भी नवोदय एवम् केंद्रीय विद्यालय नहीं है। तथा हाईस्कूल एवम् इंटरमीडिएट विद्यालयों की संख्या भी जनसंख्या के अनुसार पर्याप्त नहीं है।

परिसदीय विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता :-

परिसदीय प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक उपलब्धता से सारणी 2.5 में दर्शाया गया है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक उपलब्धता की सारणी 2.6 में परिचित किया गया है।

#### सारणी 2.5

परिसदीय / समर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की स्थिति

	संयुक्त स्तर		उच्च प्राथमिक			उच्च प्राथमिक			कुल	
	एन	एनए	एन	एनए	एन	एनए	एन			
कुल	1380		1	380	100	380		870		
परिसदीय क्षेत्र	1189	3077	4566	1275	1547	2922	26	1422	1644	1565
समर क्षेत्र	191	749	897	112	307	479	36	344	402	-
कुल	1380	3826	5463	1387	1854	3401	62	1766	2046	1565

संसाधन - प्राथमिक शिक्षा



परिषदीय 30 विद्यालयों में 1108 प्रो प्रो 2901 एओ एओ तथा कुल 4009 अध्यापक कार्यरत हैं जबकि परिषदीय विद्यालयों की छात्र संख्या 298334 है इस प्रकार छात्र अनुपात 1 : 74 है। यदि इनमें शिक्षा मित्र को भी जोड़ दिया जाये तो कुल अध्यापक शिक्षा मित्र संख्या 4609 होगी तथा अध्यापक छात्र अनुपात 1 : 64 आयेगा जबकि मानक 1 : 40 का है कुल 1712 विद्यालयों में मात्र 1108 में प्रो अओ कार्यरत हैं। इस प्रकार 604 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं हैं।

सारणी 2.6

परिषदीय/नगर क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की स्थिति

विवरण	संयुक्त प्रो			कमरता अध्यापक			शिक्षा मित्र को अओ			शिक्षा मित्र स्वीकृत
	प्रो	एओ	योग	प्रो	एओ	योग	प्रो	एओ	योग	
	अओ	अओ		अओ	अओ		अओ	अओ		
कुल	1117	806	953	46	705	841	101	11	112	-
नगर क्षेत्र	15	116	131	57	57	66	8	65	76	-
परिषदीय	1102	690	822	53	648	775	93	46	138	-

स्रोत-- शिक्षा विभाग

परिषदीय 30 प्रो विद्यालयों में कुल 709 अध्यापक कार्यरत हैं। जबकि उओ छात्रों की छात्र संख्या 34972 है। कुल परिषदीय विद्यालय 205 हैं जिनमें मात्र 79 में प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं। 126 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं हैं। 1 : 5 अध्यापक अनुपात से यहाँ पर 284 अध्यापक कम हैं।

परिचरीय प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

सारणी 2.7

	1 किमी० से कम दूरी पर उपलब्ध	1 किमी० से अधिक किन्तु 1.5 किमी० से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 किमी० से अधिक दूरी पर विद्यालय पर उपलब्ध	प्रस्तावित विद्यालय/ई० जी० एस्०/ए० आई० ई०
एक प्राचीन/बहुरायी की संख्या जिसकी आवश्यकता से अधिक है	0	0	0	0
एक प्राचीन/बहुरायी की संख्या जिसकी आवश्यकता 300 से कम है।	36	176	75	75
कुल	36	176	75	75

परिचरीय अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

सारणी - 2.8

	1 किमी० से कम दूरी पर उपलब्ध	1 किमी० से अधिक दूरी पर उपलब्ध	1.5 किमी० से अधिक दूरी पर उपलब्ध	प्रस्तावित विद्यालय/ई० जी० एस्०/ए० आई० ई०
एक प्राचीन/बहुरायी की संख्या जिसकी आवश्यकता से अधिक है	0	0	0	0
एक प्राचीन/बहुरायी की संख्या जिसकी आवश्यकता 300 से कम है।	255	160	160	160
कुल	255	160	160	160

सारणी 2.8 द्वारा उच्च प्राथमिक की आवश्यकता पर्यवेक्षित की गयी है। सामग्री में 422 गांव/वस्ती ऐसी है जिनमें तीन कि०मी० की परिधि में उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है। इस प्रकार 442 वस्तियों में उच्च प्राथमिक विद्यालय लाने वाले की आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान में दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है। जिसका आकलन सारणी 2.9 में किया गया है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता 1 : 2 के अनुसार (आकलन)

सारणी 2.9

क्र०		मात्रा	समय	योग
1	वर्तमान परिव्यय प्राथमिक विद्यालय	1561	153	1714
2	प्रस्तावित	174	-	174
3	1:2 के अनुसार में प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालय	888	-	888
4	वर्तमान में विद्यालय 200 प्राथमिक विद्यालय	155	15	170
5	1:2 अनुसार में 300 प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता	300	-	300
6	1:2 में विद्यालयों से खींची 300 प्राथमिक विद्यालय	-	-	300
7	कुल	2924	168	3092

नोट - नगर क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु भूमि की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रा. वि. एवम् उच्च प्रा. विद्यालयों का प्रस्ताव नहीं दिया गया है इस प्रकार 680 विद्यालयों की आवश्यकता है परन्तु वास्तविक आवश्यकता को देखते हुए 300 उ. प्रा. विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

सारणी 2.7 में ग्रामों तथा व्यक्तियों में प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता दर्शाई गई है कुल 960 ग्राम तथा 526 व्यक्तियाँ हैं जिनमें 39 ग्राम तथा 135 व्यक्तियाँ ऐसी हैं जिनकी आयदा 300 से अधिक है तथा 1.5 कि.मी. की परिधि में विद्यालय उपलब्ध नहीं है। अर्थात् ऐसे 1174 ग्राम/व्यक्तियों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत रखा गया है।

District Moradabad

प्राथमिक विद्यालयों के संसाधनों का विवरण

सारणी 2.14

ब्लॉक का नाम	भवन युक्त	कक्षा के आधार पर विद्यालय संख्या						नरम्मत योग्य विद्यालय			शौचालय			इन्डियन		चहरदीवारा		जल	भवन	
		1 एक कक्षा वि० सं०	2 दो कक्षा वि० सं०	3 तीन कक्षा वि० सं०	4 चार कक्षा वि० सं०	5 पांच कक्षा वि० सं०	5 से अधिक कक्षा वि० सं०	कुल	संयुक्त	वृहत्	युक्त	विशाल	आर	सुवत्त	पि०	आव	युक्त			विहंग
विधानपद	137	1625	433	42	14	07				862	796	796	7799	15	15				156	

धोत ए० बी० एस० ए० द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा कक्षा की उपलब्धता

सरणी 2.15

कक्षा	विवरण	कुल उपलब्ध कक्षा कक्षा
1-	शुद्ध कक्षा विद्यालय (जीएड) एक कक्षा कक्षा विद्यालय 137	$156 \times 0 = 0$ $137 \times 1 = 137$
2-	दो कक्षा कक्षा विद्यालय 1025	$1025 \times 2 = 2050$
3-	तीन कक्षा कक्षा विद्यालय 433	$433 \times 3 = 1299$
4-	चार कक्षा कक्षा विद्यालय 42	$42 \times 4 = 168$
5-	पांच कक्षा कक्षा विद्यालय 14	$14 \times 5 = 70$
6-	पांच से अधिक कक्षा कक्षा विद्यालय 7	$7 \times 6 = 42$
	योग	3766

कक्षा कक्षा की उपलब्धता

शाला की संख्या = 1814

कक्षा कक्षा की उपलब्धता =  $1814 \times 3 = 5442$

" " उपलब्धता = 3766

अतिरिक्त उपलब्धता =  $5442 - 3766$   
= 1676

District Moradabad

उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संसाधनों का विवरण

सारणी 2.16

ब्लॉक का नाम	निर्जन युक्त	कक्षा कक्षा के आधार पर विद्यालय संख्या						नरमल योग्य विद्यालय			शौचालय			इण्डियन			बैठकघर			अन्य	शिविर	
		1 एक कक्षा विद्यालय	2 दो कक्षा विद्यालय	3 तीन कक्षा विद्यालय	4 चार कक्षा विद्यालय	5 पांच कक्षा विद्यालय	6 से अधिक कक्षा विद्यालय	कुल	समु	बृहद	सुसज्जित	विज्ञान	आव	सुसज्जित	विद्यु	आव	युक्त	विद्यु	आव			
जनपद मुरादाबाद	452			235	185			-	-	-	430	40	40	459	11	11	55	150	150	10	18	-

स्रोत - सहायक वैसिक शिक्षा अधिकारी समस्त ब्लॉक की सूचना के आधार पर

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा कक्षा की उपलब्धता

सारणी 2.17

क्रमांक	विवरण	कुल उपलब्ध कक्षा कक्ष
1-	द्वि-पक्षीय विद्यालय (जि.जि.) एक कक्षा कक्षीय विद्यालय 10	$10 \times 0 = 0$ $10 \times 1 = 10$
2-	दो कक्षा कक्षीय विद्यालय 9	$9 \times 2 = 18$
3-	तीन कक्षा कक्षीय विद्यालय * 235	$235 \times 3 = 705$
4-	चार कक्षा कक्षीय विद्यालय 185	$185 \times 4 = 740$
5-	पांच कक्षा कक्षीय विद्यालय 9	$9 \times 5 = 45$
6-	पांच से अधिक कक्षा कक्षीय विद्यालय 4	$4 \times 6 = 24$
	योग	1542

आतिरिक्त कक्षा कक्षा की आवश्यकता :

उपलब्धता की संख्या = 470

विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 470 x 1 = 1080

उपलब्ध कक्षा कक्षा = 1542

आतिरिक्त आवश्यकता = 1080 - 1542 = 330

नव निर्माता आयोग द्वारा = 09

कुल आतिरिक्त आवश्यकता = 330 - 9 = 321



सारणी 2.18

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के भौतिक संसाधनों का विवरण  
(नगर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र)

क्र० सं०	विवरण	संख्या
1--	कुल प्राथमिक विद्यालय	1814
2--	भवन-हीन विद्यालय	21
3--	जर्जर भवन विद्यालय	156
4--	भवन युक्त विद्यालय	1658
5--	एक कक्षीय प्रा० विद्यालय	137
6--	दो कक्षीय प्रा० विद्यालय	1025
7--	तीन कक्षीय प्रा० विद्यालय	433
8--	चार कक्षीय प्रा० विद्यालय	42
9--	पांच कक्षीय प्रा० विद्यालय	14
10--	पांच से अधिक कक्षीय विद्यालय	07
11--	नगरपालिका क्षेत्र में विद्यालयों की संख्या	
12--	लघु नगरपालिका क्षेत्र में विद्यालयों की संख्या	
13--	ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों की संख्या	

(नोट) दोनों सूचकांक में नगर एवम ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित हैं।

सारणी 2.19

संसाधन	सुक्त	विहित	आवश्यकता
शौचालय	862	796	796
पेयजल	1799	15	15
नगर क्षेत्र			

सारणी 2. 20

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भौतिक संसाधनों का विवरण

क्र० सं०	विवरण	संख्या
1-	कुल उच्च विद्यालय	470
2-	भवन हीन विद्यालय	
3-	जाजरि	10
4-	भवन सुक्त	452
5-	एक कक्षीय उच्च प्रा० विद्यालय	10
6-	दो कक्षीय उच्च प्रा० विद्यालय	9
7-	तीन कक्षीय उच्च प्रा० विद्यालय	235
8-	चार कक्षीय उच्च प्रा० विद्यालय	185
9-	पांच कक्षीय उच्च प्रा० विद्यालय	09
10-	पांच से अधिक कक्षीय उच्च प्रा० विद्यालय	04
11-	मरम्मत योग्य विद्यालयों की संख्या	
12-	लघु मरम्मत योग्य विद्यालयों की संख्या	
	बृहत् मरम्मत योग्य विद्यालयों की संख्या	

स्रोत-विभागीय आकड़े

सारणी 2.21

संसाधन	सुक्त	विहित	आवश्यकता
शौचालय	430	40	40
उपलभ्य	459	11	11
बहार दीर्घी			

स्रोत-विभागीय आकड़े

## शौचालय विहीन विद्यालयों की सूची

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	शौचालय विहीन प्राथमिक विद्यालय	शौचालय विहीन जू0हा0 स्कूल
1	छजलैट	87	---
2	अंसभोली	55	10
3	मुरादाबाद	18	1
4	बहजोई	44	5
5	बनियाखेडा	27	---
6	सम्भल	54	5
7	पंवासा	66	1
8	बिलारी	76	6
9	मूडापाण्डे	40	---
10	भगतपुर टाण्डा	65	3
11	डिलारी	61	---
12	ठाकुरद्वारा	60	6
13	कुन्दरकी	56	---
योग		709	37

जनपद गुरदावादा में सर्व शिक्षा वर्ष 03-04 में 76 प्राथमिक विद्यालय सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत तथा 09 प्राथमिक विद्यालय सघन क्षेत्र योजना से स्वीकृत किये गये हैं। जब कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वर्ष 2000-01 में ग्यारहें वित्त आयोग से 27, वर्ष 01-02 में सघन क्षेत्रीय विकास योजना से 35, वर्ष 01-02 में ग्यारहवा वित्त आयोग से 15, वर्ष 02-03 में ग्यारहवें वित्त आयोग से 15, वर्ष 02-03 में सर्व शिक्षा से 46 विद्यालय स्वीकृत किये गये जिसमें 23 विद्यालयों के लिए धन आवंटन किया गया शेष धन सिपिल जोवर है। वर्ष 03-04 में ग्यारहें वित्त आयोग से 07, वर्ष 03-04 से सघन क्षेत्रीय विकास योजना से 25 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

### प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति

1--	वर्तमान परिपक्व प्राथमिक विद्यालय	ग्रामीण 661	—	नगर 153	योग 1814
2--	उच्च प्राथमिक विद्यालय	455	—	15	470

## शौचालय विहीन विद्यालयों की सूची

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	शौचालय विहीन प्राथमिक विद्यालय	शौचालय विहीन जू0हा0 स्कूल
1	छजलैट	87	---
2	असमोली	55	10
3	मुरादाबाद	18	1
4	बहजोई	44	5
5	बनियाखेडा	27	---
6	सम्भल	54	5
7	पंवासा	66	1
8	बिलारी	76	6
9	मूडापाण्डे	40	---
10	भगतपुर टाण्डा	65	3
11	डिलारी	61	---
12	ठाकुरद्वारा	60	6
13	कुन्दरकी	56	---
योग		709	37

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आकडे एवम् महत्वपूर्ण एण्टीकैटर्स

जनपद मुरादाबाद

जनपद मुरादाबाद जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय से आरम्भित जनपद है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कम्प्यूटर युक्त ई० एम० आई० एस० ईकाई सक्रिय रूप से संचालित है। वर्ष 1997-98 में नीषा द्वारा विकसित डायट साफ्ट वेयर संचालित किया गया था जिसके द्वारा वार्षिक सांख्यिकी नियमित रूप से निरन्तर प्रतिवर्ष तैयार की जा रही है शैक्षिक सांख्यिकी का अनुप्रयोग वार्षिक कार्य योजना के निर्माण में जिला प्राथमिक से कार्यक्रम सम्बन्धित निर्णयों में किया गया है।

विगत वर्षों में ई० एम० आई.एस.से प्राप्त आकड़ों के अनुसार विगत वर्ष में स्थिति निम्न है।

## Enrolment Profile

District Moradabad

Table 2.27

Year	All Students			Scheduled Caste			Scheduled Tribes			% Girls Enrolment	% Scheduled Caste to total Enrolment	% Scheduled Tribes To total Enrolment	% Sc Girls to total Sc Enrolment	% ST Girls to total ST Enrolment
1997-98	478737	298804	179933	116778	71829	44949	104	53	51	37.58	24.39	0.02	38.49	49.04
1998-99	536320	326958	209362	130142	77879	52263	96	43	53	39.04	24.27	0.02	40.16	55.21
1999-00	592876	354633	233243	146480	86275	60205	118	62	56	40.18	24.71	0.02	41.10	47.48
2000-01	582008	333204	243304	156252	88639	67613	48	33	15	42.75	26.85	0.01	43.27	31.25
केवल मुरादाबाद	412126	229354	182772											
2001-02	448134	251809	196325											

स्रोत - 1997-98 से 2000-01 आकड़े ई0 एन0 आई0 एस0 से प्राप्त तथा 2001-02 के आकड़े सहायक वेलिक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर है। वर्ष 1997-98 से 2000-01 के आकड़ों में जनपद मुरादाबाद व जे0 पी0 नगर के दोनों के आकड़े सम्मिलित हैं वर्ष 1997-98 से नामांकन संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है वर्ष 2001-02 के आकड़े केवल जनपद मुरादाबाद के अंकित हैं इस कारण संख्या कम है यह कमी-जनपद जे0 पी0 नगर के आकड़े सम्मिलित न होने के कारण दिखाई दे रही है वास्तव में 2001-02 में भी छात्र नामांकन में वृद्धि हुई है इस प्रकार कहा जा सकता है कि छात्र नामांकन में प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है। वर्ष 2000-01 में कुल केवल जनपद मुरादाबाद के कुल बच्चे 456964 जिसमें 248880 बालक एवम 208084 बालिकाएँ थी इनमें से कुल 412126 बच्चे लाभान्वित हुए इनमें 229354 बालक कृषक 182772 बालिकाएँ लाभान्वित थी जो 2001-02 में 448134 बच्चे नामांकित हुए हैं इस प्रकार 7.8 प्रतिशत की नामांकन में वृद्धि हुई है।

GROSS ENROLMENT RATIO (Primary Class)

District Moradabad

Table 2.28

Year	All students			Scheduled Caste			Scheduled Tribes		
	Total	Boys	Girls	All SC	Boys	Girls	All ST	Boys	Girls
1997-98	72.03	84.57	57.80	114.12	132.41	93.48	315.15	294.44	340.00
1998-99	78.94	90.47	65.83	124.69	140.28	106.98	290.91	238.89	353.33
1999-2000	94.11	101.73	85.52	164.45	176.16	115.27	97.00	117.86	68.18
2000-01	98.10	105.00	90.25	168.30	182.20	120.25	99.00	119.90	69.00
2001-02	101.20	108.00	95.00	169.20	183.00	122.25	99.28	120.00	69.05
2002-03	106.60	110.00	96.00	171.35	186.02	124.25	99.52	120.20	70.15
2003-04	107.00	112.00	97.00	174.20	185.05	125.00	99.00	121.35	70.25



## Net Enrolment Ratio

District Moradabad

Table 2.29

Year	All students			Scheduled Caste			Scheduled Tribes		
	Total	Boys	Girls	All SC	Boys	Girls	All ST	Boys	Girls
1997-98	54.68	64.80	43.20	88.71	104.33	71.09	66.67	38.89	200.00
1998-99	62.02	71.59	51.15	99.58	112.86	84.48	18.18	11.11	126.67
1999-2000	81.19	87.94	73.59	144.16	154.70	132.29	96.00	17.86	88.18
2001-02	91.18	92.16	89.95	-	-	-	-	-	-

स्रोत - ई० एम० आई० एस०

सामग्र्य के एन० ई० आर० में भी निरन्तर वृद्धि हुई है 1997-98 से 2000-01 तक लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा अनुसूचित जाति के एन० ई० आर० सम्मान जनक वृद्धि 56 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

## Condition of Classrooms

District Moradabad.

Table 2.30

Year	Total Classrooms	Good	Require Minor Repairs	Require Major Repairs	No Response
1996-97	95	75	9	2	9
1997-98	7567	4444	1106	768	1249
1998-99	8669	1031	2332	1511	3795
1999-2000	10122	6612	1907	920	683
2000-01	10367	7593	1869	789	116

स्रोत - ई० एम० आई० एस०

वर्ष 96-97 में 4444 कक्षा कक्ष अच्छी दशा में थे वर्ष 2000-01 में 7593 कक्षा कक्ष अच्छी दशा में है तथा कुल संख्या में भी वृद्धि हुई है 97-98 में कुल 7567 कक्षा कक्ष जिराकी संख्या 2000-01 में बढ़कर 10367 हो गयी है।

## Numbers of Students Getting Free Text Books

District Moradabad

Table 2.31

Year	Class I	Class II	Class III	Class IV	Class V	Total (I-V)	% Girls					
							Class I	Class II	Class III	Class IV	Class V	Total (I-V)
1996-97	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1997-98	298	169	62	38	90	657	24.50	73.96	48.39	44.74	24.44	40.64
1998-99	43731	40306	29377	18918	13051	145383	65.30	64.79	61.95	59.01	59.61	63.15
1999-00	53141	44828	37415	25986	17548	178918	70.02	66.55	66.66	63.84	60.47	66.61
2000-01	52982	42694	32516	24591	17993	170776	71.05	70.24	66.81	64.31	61.44	68.06
2001-02	54132	44882	32742	25478	17410	174244						
2002-03	67795	41898	31895	22070	17002	180660						
2003-04	75956	54150	37090	27011	19666	213873						

प्रतिवर्ष निःशुल्क पाठ्यपुस्तक सुविधा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है 98-99 में यह

संख्या 145383 थी जो वर्ष 2003-04 में बढ़कर 213873 तक पहुँच गयी है।

## Teachers Profile

District Moradabad

Table 2.32

Year	Total Teachers	Female Teachers	Scheduled Caste	Scheduled Tribes	Other Backward Class Teachers	% Female Teachers	% SC Teachers	% ST Teachers	% Trained Teachers
1996-97	125	64	5	0	31	51.20	4.00	0.00	67.20
1997-98	9135	2963	956	23	1962	32.44	10.47	0.25	78.94
1998-99	9975	3263	953	2	2176	32.71	9.55	0.02	74.68
1999-00	10909	3740	959	25	2691	34.28	8.79	0.23	72.26
2000-01	10322	3646	884	11	2741	35.32	8.56	0.11	77.69

स्रोत - ई० एम० आई० एस०

अध्यापकों के संघ निवृत्त होने तथा नियुक्ति न होने के कारण अध्यापक संख्या में कमी आई है। वर्ष 99-2000 में यह संख्या 10909 है।

जो 2000-01 में घटकर 10322 हो गयी इस प्रकार निरन्तर अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि हो रही है वर्ष 2001-02 में परिषदीय

विद्यालयों में मात्र 4000 अध्यापक तथा 629 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं।

## Selected Indicators (All Schools)

District Moradabad

Table 2.33

Year	Gross Enolment Ratio	Net Enolment Ratio	Pupil Teacher Ratio	Repetition Rate	% School Not Inspected	% Single Teacher Schools
1996-97	0	0	37.39	0	0	8.33
1997-98	71.39	54.68	52.19	8.01	1.77	9.97
1998-99	78.82	62.02	53.75	4.05	9.96	12.48
1999-2000	99.95	78.18	54.39	2.40	1.22	14.49
2000-01	94.07	81.19	56.45	0.92	4.60	14.12
2001-02	95.50	82.00	70.1	1.80	-	10.00
2002-03	97.00	83.25	72.1	1.72	-	10.00
2003-04	98.25	84.00	77.11	1.70	-	10.00

संकेत - ई० एम० आई० एस०

वर्ष 97-98 से 1999-2000 तक लगभग 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2000-01 में जी० ई० आर०

Selected Indicators (Schools Covered Under DPEP)

District Moradabad

Table 2.34

Year	Pupil Teacher Ratio	Repetition Rate	% School not Inspected	% Single Teacher Schools
1996-97	46.82	0	0	13.33
1997-98	57.59	16.89	1.07	11.72
1998-99	62.02	19.95	7.05	15.42
1999-2000	66.81	11.71	0.87	18.48
2000-2001	67.03	3.89	3.23	17.84

वर्षवार अभ्यासक छात्र अनुपात में वृद्धि हो रही है अभ्यासकों की संख्या घटती जा रही है  
पुनः प्रवेश की दर भी वर्षवार घट रही है।

## Distribution of Schools by Enrolment

District Moradabad

Table 2.35

Year	% of Schools having enrolment in the range of							No. Response	Total
	1-20	21-60	61-100	101-140	141-200	201-300	300		
1996-97	0.00	4.17	8.33	12.50	41.67	12.50	16.67	0.00	96.00
1997-98	0.08	2.21	11.50	20.18	34.94	17.81	11.90	0.56	99.00
1998-99	0.15	3.17	10.84	19.19	36.48	16.64	13.24	0.04	100.00
1999-2000	0.14	2.97	11.79	17.63	34.45	17.66	14.99	0.34	100.00
2000-01	0.23	3.80	12.19	18.92	33.64	17.69	13.49	0.00	100.00

संकेत - १० एम आर ११०

Distribution of Schools by Number of Working Days

District Moradabad

Table 2.36

Year	Number of Working Days							Total
	125	125-150	151-175	176-200	201-225	226-250	250	
1996-97	0.00	0.00	0.00	0.00	79.17	20.83	0.00	100.00
1997-98	4.46	0.12	0.44	0.64	72.98	20.71	0.64	100.00
1998-99	1.42	0.11	0.18	5.98	59.47	31.85	0.93	100.00
1999-2000	4.73	0.14	0.24	10.50	63.39	17.97	3.04	100.00
2000-01	1.33	0.10	0.17	1.17	77.78	19.09	0.37	100.00

संकेत - १० एनओ आइओ एनओ



## Classwise Enrolment (All Students)

District Moradabad

Table 2.37

Year	Class I	Class II	Class III	Class IV	Class V	Total (I-V)	% Girls Class I	% Girls Class II	% Girls Class III	% Girls Class IV	% Girls Class V	% Girls Class (I-V)	% Class of Total Enrolment
1996-97	1892	1053	713	605	644	4907	47.20	44.16	44.18	48.26	42.55	45.63	38.56
1997-98	182915	112925	77806	56165	48926	478737	39.24	38.19	36.45	35.5	34.14	37.58	38.21
1998-99	176370	133307	99146	70344	57153	536320	40.03	39.38	38.66	37.42	36.54	39.04	32.89
1999-00	191445	136123	11410	85096	66202	592876	41.25	40.71	40.26	39.08	37.31	40.18	32.29
2000-01	179602	140510	109825	84743	67328	582008	43.73	43.71	42.46	41.68	39.78	42.75	30.86

सिद्ध - डॉ. एम. आर्जुन एम. एस.

## Classwise Enrolment (Scheduled Caste Students)

District Moradabad

Table 2.38

Year	Class I	Class II	Class III	Class IV	Class V	Total (I-V)	% Girls Class I	% Girls Class II	% Girls Class III	% Girls Class IV	% Girls Class V	% Girls Class (I-V)	% Class of Total Enrolment
1996-97	133	76	93	84	101	487	46.12	38.16	41.94	42.86	37.62	42.30	27.31
1997-98	42307	29237	21001	13658	10575	116778	41.84	39.95	37.27	33.80	29.51	38.49	36.23
1998-99	41092	33322	25693	17884	12151	130142	42.49	41.35	39.63	37.41	33.36	40.16	31.57
1999-00	45396	33550	29103	22287	16144	146480	42.65	42.10	41.33	39.80	36.07	41.10	30.99
2000-01	48287	37555	29117	23274	18019	156252	44.47	44.51	42.87	41.56	40.19	43.27	30.90

स्रोत - ई० एम० आई० एस०

Classwise Enrolment (Scheduled Tribes Students)

District Moradabad

Table 2.39

Year	Class I	Class II	Class III	Class IV	Class V	Total (I-V)	% Girls Class I	% Girls Class II	% Girls Class III	% Girls Class IV	% Girls Class V	% Girls Class (I-V)	% Class of Total Enrolment
1996-97	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1997-98	48	16	13	12	15	104	41.67	62.50	46.15	58.33	53.33	49.04	46.15
1998-99	57	12	12	5	10	96	59.65	66.67	33.33	80.00	30.00	5.21	59.38
1999-00	13	42	19	24	20	118	46.15	42.86	52.63	50.00	50.00	47.46	11.02
2000-01	14	16	11	3	4	48	50.00	25.00	18.18	33.33	25.00	31.25	29.17

**उच्च प्राथमिक स्तर पर वांशष्ट सूचांक -**

**जनपद मुरादाबाद**

**परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन एवं वृद्धि**

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7 <sup>5</sup>	कक्षा 8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1998-1999	18280	17280	15740	51300	
1999-2000	18700	17420	17380	53500	4%
2000-2001	20050	19150	18250	55450	3.6%

स्रोत विभागिय आँकड़े

उक्त सारणी में उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षावार नामांकन दर्शाया गया है जिसके विश्लेषण उपरान्त ज्ञात हुआ है कि 1999- 2000 एवं 2000-2001 में क्रमशः 4.00 प्रतिशत एवं 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

**1997 से 2000 तक परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन**

वर्ष	नामांकन			प्रतिशत		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1997-98	51800	31300	83100	62.3	37.7	100
1998-99	52600	32400	85000	61.9	38.1	100
1999-2000	53400	33745	87145	61.3	38.7	100
2000-01	55000	35500	90500	60.8	39.2	100

स्रोत विभागिय आँकड़े

जनपद मुरादाबाद वर्ष 1997 से डी.पी.ई.पी. परियोजना से आच्छादित रहा है। परियोजना से प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि के साथ-साथ उच्च प्राथमिक स्तर पर भी नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। उच्च प्राथमिक स्तर बालिकाओं के नामांकन में 1997 से 2001 के बीच 2.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

**परिषदीय विद्यालयों का ट्यूजिशन दर कक्षा 5 से कक्षा 6**

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्यूजिशन दर
1998-1999	34125	18280	53.6
1999-2000	35132	18700	53.2
2000-2001	37324	20050	53.7

स्रोत विभागिय आँकड़े

किसी भी प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम में यह अतिआवश्यक है कि कितने बच्चे एक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर दूसरे स्तर की शिक्षा में नामांकित होते हैं। अतः जनपद मुरादाबाद में परिषदीय विद्यालयों का ट्यूजिशन दर (अर्थात् कक्षा 5 से कक्षा 6 में नामांकित होने वाले) उक्त सारणी में ज्ञात किया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि 1998 से 2001 के बीच ट्यूजिशन दर बढ़ा है। सारणी से यह भी स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर के लगभग 54 प्रतिशत बच्चे उक्त प्राथमिक स्तर पर नामांकित हो पाते हैं।

सारणी 2.30

सम्प्राप्ति स्तर का आंकलन  
(मध्यमान प्रतिशत)

वर्ष	कक्षा-1	भाषा				गणित			
		प्रारम्भिक मूल्यांकन		मध्य स्तरीय मूल्यांकन		प्रारम्भिक मूल्यांकन		मध्य स्तरीय मूल्यांकन	
	राज्य	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1-	2001-02	54.1	52.7	74.4	72.42	40.79	38.36	85.9	88.13
2-	2001-02	55.0	52.9	75.0	74.00	41.00	39.00	86.0	89.00
3-	2002-03	56.0	53.4	76.0	75.00	41.00	39.00	86.0	90.00
4-	2003-04	57.0	54.0	78.0	77.00	42.00	40.00	87.0	90.00
5-	2004-05	58.0	54.0	78.0	78.00	42.00	40.00	88.0	91.00
6-	2005-06	59.0	55.0	79.0	79.00	43.00	41.00	89.0	91.00
7-	2006-07	60.0	56.0	79.0	79.00	43.00	41.00	90.0	92.00
8-	2007-08	60.0	56.0	80.0	80.00	43.00	42.00	91.0	92.00
9-	2008-09	60.0	57.0	81.0	81.00	44.00	43.00	92.0	93.00
10-	2009-10	61.0	57.0	82.0	82.00	44.00	43.00	93.0	93.00

क्र.सं.	वर्ष--1	ग्रामीण				शहरी			
		प्रारम्भिक मूल्यांकन		मध्य स्तरीय मूल्यांकन		प्रारम्भिक मूल्यांकन		मध्य स्तरीय मूल्यांकन	
		बालक	यालिका	बालक	यालिका	बालक	यालिका	बालक	यालिका
1--	2001--02	42.45	42.88	61.07	68.53	33.9	34.1	51.48	53.16
2--	2001--02	43.00	43.00	62.00	69.00	34.00	35.0	52.00	53.00
3--	2002--03	43.00	43.00	64.00	70.00	34.00	36.0	54.00	55.00
4--	2003--04	44.00	44.00	66.00	71.00	35.00	37.0	56.00	57.00
5--	2004--05	45.00	44.00	68.00	72.00	36.00	38.0	58.00	59.00
6--	2005--06	46.00	45.00	70.00	73.00	37.00	39.0	60.00	61.00
7--	2006--07	47.00	46.00	72.00	74.00	38.00	40.0	63.00	64.00
8--	2007--08	48.00	47.00	74.00	76.00	39.00	41.0	66.00	67.00
9--	2008--09	49.00	48.00	76.00	77.00	40.00	42.0	70.00	70.00
10--	2009--10	50.00	49.00	78.00	78.00	41.00	43.0	74.00	74.00

## अध्याय 3

### नियोजन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश सरकार का दृढ़ संकल्प "सभी के लिये शिक्षा" के अन्तर्गत इस वर्ग वर्ग सत्रारम्भ में "सकूल बच्चों अभियान" ऐसे शैक्षिक वातावरण को देने के प्रयासों की दिशा में ले जाने का बहुमुखी प्रयास है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सन् 2010 तक 6-14 वर्ग वर्ग बच्चों का उपयोग तथा कोटिपरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षा को ऐसे स्थानों तक पहुंचाना है जहां पर आज तक उनके प्रयासों के फलस्वरूप शैक्षिक वातावरण स्थापित नहीं हो सका है। इस अभियान में समस्त शिक्षण संस्थाओं एवं शैक्षिक संस्थानों के साथ-साथ ग्राम पंचायत स्तर से लेकर ज़िले स्तर पर तक सम्बन्धित नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गयी। इस अभियान के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ग वर्ग की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षण अभियान शुरू हो महण करने के लिए प्रेरित किया गया।

सर्व शिक्षा अभियान का जलन प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में परवर्धन प्रदान करवाने की ओर इतिष्ठ करता है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में की शिक्षण प्रणाली को दृष्टिकोण से हमारे सामुह्य दिखानी पड रही है। उसके क्षेत्र को उन्नत करने के लिए समाज के सभी घटक से अपेक्षा करती हूँ इस अभियान की महत्त्व किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लिख-भेद को समाप्त कर सामाजिक एवं शैक्षिक समानता की कल्पना की गयी है। सर्व शिक्षा अभियान एक अभियान नहीं अपितु कान्तिकारी आन्दोलन है जो समाज के सभी वर्गों को समुत्त करने के लिये प्रारम्भ किया गया है। इस अभियान के द्वारा उस अछूते वर्ग को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है जो वर्ग वर्ग समग्र से शिक्षा से वंचित है।

इस अभियान के अंतर्गत शैक्षिक वातावरण से जादने से एक-दूसरे को सफलता लेकर निम्न स्तर से उच्च स्तर तक सभी शिक्षकों एवं अध्यापकों की जवानदेही सुनिश्चित की जायेगी साथ ही इस अभियान में अपने-अपने सरकारी संगठन, स्वयं सेवक, विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता प्राप्त कलाकार, महिला समूह आदि सहयोग प्रदान करके अशिष्टता बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।

### सूक्ष्म नियोजन एवं ग्राम शिक्षा योजना

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा परिषदों के अन्तर्गत इस बात पर अधिक महत्त्व दिया गया है कि प्रदेश के सभी ग्रामीण वस्तियों एवं ग्रामीण क्षेत्र में विचार कर रहे सभी परिवारों के एक-एक बच्चे को 6 से 11 वर्ष की आयु के अन्तर्गत आने हों उनको शैक्षिक सुविधा प्रदान किया जाये। इस प्रक्रिया को क्रियान्वित करने के लिए शिक्षा एवं सूक्ष्म नियोजन किया गया जिसमें ग्राम शिक्षा समिति का गठन, शिक्षकों अध्यापकों का प्रशिक्षण शिक्षक संघ आदि को सक्रिय किया गया। इन समितियों के सदस्यों को परिशिक्षण एवं प्रेरणा के माध्यम से शैक्षिक वातावरण से जोड़ा गया। इस अन्तर्गत शिक्षकों के लिए भी विशेष प्रकार प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। इस अन्तर्गत मुसलमानों में 1993 से 2000 तक ग्रामीणों के सहयोग से ग्राम समिति प्रौद्योगिक समितियों के सहयोग से शिक्षा से वंचित वस्तियों एवं बच्चों की सुविधाओं को सफलतापूर्वक किया गया। उन क्षेत्रों एवं बच्चों की समस्याओं का आकलन किया गया। सूक्ष्म नियोजन से लाभ यह हुआ है कि विभागीय कार्यवाही कर समस्याओं का निदान करने के लिए सार्थक प्रयास किये गये। जो सूचनाएं संकलित की गयीं उनको निम्नलिखित श्रेणियों में उल्लेख किया जा रहा है --



- 1- बाल गणना (6 से 11 एवं 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या)
- 2- रागी प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या अर्थात् कुल नामांकित बच्चों की संख्या
- 3- रागी प्रकार के विद्यालय में न जाने वाले बच्चों की संख्या।
- 4- शिक्षा प्राप्त न करने के कारण।
- 5- विद्यालय विहीन बस्तियों या ग्रामों में नये विद्यालय खोल जाने के लिए मानकों का आंकलन।
- 6- ग्राम में स्थित पाठ विद्यालय के भवन एवं भौतिक संसाधनों की स्थिति।
- 7- शैक्षिक वातावरण निर्माण हेतु ग्रामवासियों का सहयोग, समर्थन एवं विदान
- 8- विद्यालय में छात्रों के अनुपात में शिक्षक संख्या
- 9- शिक्षकों द्वारा अपनायी जाने वाली शिक्षण पद्धति एवं विद्यालय के प्रति लगाव।
- 10- विद्यालय की शैक्षिक स्थिति तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार में लाने के लिए प्राथमिक एवं स्तरीय समूहों के विचार।

उपरोक्त सूचनाओं को संकलित करने के उपरान्त प्राथमिक स्तर में प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन हेतु अनेक कार्य शिक्षकों, स्वयं सेवकों एवं ग्राम विवासियों की सहायता से किये गये जो निम्न प्रकार हैं -

- 1- सूचनाओं का विश्लेषण
- 2- ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण
- 3- परिवार सर्वेक्षण
- 4- स्कूल का शैक्षिक मानचित्र
- 5- प्रेरक दल का निर्माण

ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी —

शिक्षा के क्षेत्र में यदि वास्तविक आवश्यकता विद्यमान है तो शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में शैक्षिक वातावरण की तैयारी में सबसे बड़ा प्रयास करना है। अग्रिम में हम सामूहिक अभियानों पर अपनी गहरी संज्ञापूर्वक चर्चा के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। जिसमें विद्यालय के शिक्षक, ग्राम प्रधान, ग्राम के अभियानकों का शामिल कर समय-समय पर गांव की शैक्षिक समस्याओं पर चर्चा की गयी तथा समस्याओं के निदान हेतु सुझाव आमन्त्रित किये गये। जिसमें द्वारा प्राप्त सर्वोत्तम प्रणालियों के माध्यम से गांवों का सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण का उपरान्त जो तथ्य उपलब्ध आये उनकी को आधार मानकर गांव के लोगों को उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए ग्राम शिक्षा योजना का नियन्त्रण किया गया जो सर्वोत्तम किया गया उसका विवरण निम्नवत् है —

- 1— गांव/मंडला/वस्ती की जनसंख्या
- 2— विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या पृथक-पृथक
- 3— स्त्री पुरुष की जनसंख्या
- 4— स्त्री पुरुष साक्षर/निरक्षर जनसंख्या
- 5— स्कूल जाने वाले तथा न जाने वाले बच्चों की संख्या
- 6— गांव में बाल शिशुओं की संख्या
- 7— विकलांग बच्चों की संख्या
- 8— अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गिछडी जाति, अल्पसंख्यक जातियों की संख्या।
- 9— जाति/वर्णवार स्कूल जाने वाले/न जाने वाले बच्चों की संख्या एवं कारण।

10- शाला त्यागी वच्चो एगम् त्यागने के कारण

11- विद्यालय में या गांव में बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति।

उपर्युक्त सर्वेक्षण के उपरान्त जो तथ्य सामने आये उन तथ्यों को लेकर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं शैक्षिक जगत से जुड़े अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करके ग्राम शिक्षा योजना के उद्देश्यों का पूरा करने का संकल्प लिया गया। इस योजना को सार्थक रूप प्रदान करने के लिए वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 की प्रक्रिया के निमित्त इस वर्ष समस्त सूचनाओं का माइक्रोप्लानिंग रिपोर्ट विद्यालय स्तर पर रखा गया ताकि सूचनाओं के आधार पर अपने अपने क्षेत्र की शैक्षिक समस्याओं का निराकरण सरलता से किया जा सके। ग्राम पंचायत स्तर की माइक्रोप्लानिंग को ब्लॉक स्तर पर संकलित किया गया तथा ब्लॉक स्तर की सारांश सूचनाओं को जनपद स्तर पर संकलित करके समन्वित ग्राम शिक्षा विकास योजना तैयार की गयी तथा उसे मूर्त रूप देने के प्रयास प्रारम्भ कर दिये गये।

उपर्युक्त माइक्रोप्लानिंग को सर्व शिक्षा अभियान के आधार मानकर समस्त सहायक वैसिक शिक्षा अधिकारियों ने सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के लिए विभिन्न बैठकें आयोजित की तथा विचार विमर्श किये गये। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैयक्तिक शिक्षा/व्यापक शिक्षा योजना कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 5 से 8 वर्ष तथा 9 से 14 वर्ष पृथक-पृथक समूहों में संकलित की गयी। अग्रिम बालक तथा बालिकाओं की संख्या की भी आयु वार अलग-अलग गणना की गयी। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की संख्या भी ज्ञात की गयी जो कामकाजी या अपने माता-पिता के अनुसार में सहायिता करते हैं।

सर्वेक्षण के आधार पर ऐसे ग्राम/मंडायों/नरेशियों की सूची तैयार की जाई जहाँ मानक अनुसार नवीन विद्यालय खोले सकते हैं तथा प्रस्तावित किये गये हैं। साथ-साथ में यह कहा जा सकता है कि आवश्यकता के आधार पर या मानकों के आधार पर नये विद्यालय, शिक्षा घर, बालशाला, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, शिक्षा सार्वजनिक केन्द्र स्थापित किये गये हैं जो ग्राम शिक्षा समितियों एवं समस्त समुदायों की सहभागिता से सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना 2001-2002 में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है इस अवधि में प्राप्त सूचनाओं का सारणीकरण किया जायेगा तथा परिणामों का आकलन किया जायेगा ताकि आने वाले समय में शिक्षा के उत्थान हेतु नार्थिक कार्य योजना तथा बजट तैयार किया जा सके।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के खोलने का लक्ष्य था तथा यह कार्यक्रम केवल प्राथमिक स्तर तक के किये थे परन्तु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों का खोलने का प्राविधान हुआ गया था तथा इस अभियान के अन्तर्गत नगर क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया है। इस दृष्टि से सभी करते समय इराका भी ध्यान रखा गया तथा नगर क्षेत्र से सम्बन्धित आकड़ों को सारणी करण किया गया। नगर क्षेत्र से सम्बन्धित आकड़ों का उपयोग विशेषतया 2002-03 की कार्य योजना में किया जायेगा।

स्कूल चलो अभियान—

हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी एवं वैसिक शिक्षा मंत्री, मा० बालेश्वर त्यागी ने दिनांक 2/7/2001 को लखनऊ में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की और उसके बाद हमारे जनपद मुख्यालय के सभी शिक्षा

अधिकारी, शिक्षाविद्, कलाकार, शैक्षिक समूहन एवं सौचिक संभरण इस मध्यम स्तर की शिक्षा अभियान में अपनी-अपनी सकारात्मक भूमिका लेने के लिए जनपद एवं तृतीय तथा इस कान्तिकारी शिक्षा आन्दोलन का विपुल कला दिया। इस अभियान का लक्ष्य था विद्यालयों में शतपतिशत नामांकन तथा इन विद्यालयों की सफलता।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। मुरादाबाद जिले में बच्चों के नामांकन वृद्धि हेतु एक ड्राप आउट प्रवृत्ति समारोह करने हेतु प्रशासन एवं शिक्षा विभाग ने सकल शिवा। लक्ष्य प्राप्ति हेतु 1/7/2001 से 9/7/2001 तक प्रथम चरण तथा 10/7/2001 से 15/7/2001 तक द्वितीय चरण चलाया गया। दिनांक 28/6/2001 को जिला वार्षिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिले के समस्त सहाय वार्षिक शिक्षा अधिकारियों/जिले के विद्यालय निरीक्षकों, परिगोजना अधिकारियों, स्नातक समन्वयकों एवं शिक्षा विभाग की सदस्यों आहूत कर सर्व शिक्षा अभियान की रूपरेखा तैयार की गयी।

दिनांक 2/7/2001 को जिलाधिकारी मुरादाबाद की अध्यक्षता में अभियान की समीक्षा की गयी तथा कोर ग्रुप का गठन किया गया तथा दस्तावेज तैयार अभियान की सफलता के लिए निम्नलिखित निर्णय लिये गये—

- 1— जनपद के समस्त 13 विकास खण्डों के खण्ड विकास अधिकारियों को स्कूल चलो अभियान का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।
- 2— जनपद की समस्त 95 न्याय पंचायतों के एन० पी० आर० सी० सी० के न्याय पंचायत स्तर के स्कूल चलो अभियान हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

3— जनपद की 960 ग्राम पंचायतों पर स्कूल चलो अभियान के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर वरिष्ठ अध्यापक को चोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय ने यह भी निर्देश दिये कि जिला विभाग के अतिरिक्त अन्य सन्दर्भ विभागों के प्रशासनिक अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र का भ्रमण करते रहेंगे तथा स्कूल चलो अभियान में अपनी सहभागिता से सफलता अर्जित करेंगे। इस अभियान की सफलता के लिए जिला विभाग अधिकारी, पाठार्थ डायट कांठ, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, भियरलॉग कल्याण अधिकारी, सविन सङ्घरता समिति, जिला स्तरों अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी तथा तहसीलदार आदि प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस अभियान का सहायक बनाया गया।

दिनांक 9/7/2001 को मुसादावाद महानगर में विद्यालय रैली का आयोजन किया गया जिसमें महानगर के सभी स्कूली बच्चे, अध्यापक, समाजसेवा समिति, स्त्रीछिक संगठन, पंचायत, तथा नगर शिक्षा अधिकारी सम्मिलित हुए। इस रैली का शुभारम्भ जिला पंचायत अध्यक्ष मुसादावाद माननीय किन्नातल्ला चौधरी ने किया तथा रैली के समापन पर 110 जिलाधिकारी ने विस्तृत पुरस्कार वितरण भी किया।

सभी ब्लॉक मुख्यालयों में नगर क्षेत्रों के साथ साथ सभी ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल चलो अभियान रैलिया निकाली गयी जिसमें विभिन्न विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों, समाज सेवियों, अध्यापकों तथा बच्चों ने भाग लिया। इन रैलियों में नुक्कड़ नाटक, भाषण एवं पेशक कार्यक्रम परस्तुत किये गये। जिसके फलस्वरूप विद्यालयों बच्चों के नामांकन में अपेक्षाशित रूपसे वृद्धि

हुई। स्कूल चलो अभियान जनपद मुरादाबाद में सभी के सहयोग से स्कूल चलने आशानुरूप सफलता के साथ दिनांक 31/7/2001 को सम्पन्न हो गया।

कितना सफल रहा 'स्कूल चलो अभियान'

उपलब्धियाँ -

जनपद मुरादाबाद में स्कूल चलो अभियान 1/7/2001 से 15/7/2001 तथा 16/7/2001 से 31/7/2001 तक दो चरणों में चलाया गया। इस अभियान में प्रशासनिक अधिकारियों, पत्रकारों, शिक्षाविदों, अध्यापकों, स्कूली बच्चों, कलाकारों, स्वयं सेवी संघों तथा स्थानीय नागरिकों का पूर्ण सहयोग मिला। इस अभियान के फलस्वरूप सुखद परिणाम देखने को मिले। विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की नामांकन में आश्चर्यपूर्ण वृद्धि हुई। सामाजिक संघों के सहयोग से बालिकाओं की नामांकन में भी अपेक्षा से अधिक वृद्धि हुई। विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण के निर्माण की दशा में आशाजनक परिवर्तन होने लगे। स्कूल चलो अभियान की सफलता का विवरण दी गयी सारणी से स्पष्ट है -

स्कूल चलो अभियान से पूर्व की स्थिति

सारणी संख्या 3.1

	6 11			11 14		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
कुल बच्चे	273224	218221	491465	95572	77070	172642
पढ़ने वाले	229354	182772	412126	61350	51580	112930
न पढ़ने वाले	43870	35449	79319	34222	25490	59712

स्रोत - विभागीय आंकड़े

स्कूल चलो अभियान (2001-02)

31 सितम्बर 2001 की स्थिति

सारणी संख्या 3.2

	6-11			11-14		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
कुल बच्चे	273224	218221	491465	95572	77070	172642
पढने वाले	251809	196325	448134	71887	53584	125471
न पढने वाले	21415	21916	43331	23685	23486	47171

स्रोत - सहायक वे० शि० अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधर पर अभियान के पूर्व एवं पश्चात।

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट हो रहा है कि स्कूल चलो अभियान से पूर्व का सर्वेक्षण किया गया उसमें स्कूल न जाने वाले बच्चों की निम्नलिखित विषय गणना उन्होंने अपना नामांकन विद्यालयों में कराया। कुछ प्रतिशत बच्चे ही स्कूल जाने में सक्षम हैं। सारांश में कहा जा सकता है कि इस वर्ष प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई तथा इस अभियान की सफलता में उपलब्धता सन्तोषजनक रही। सर्व शिक्षा अभियान की सफलता में ध्यान में रखते हुए वस्ती स्तर पर शैक्षिक योजनाओं को बनाने की दिशा में कार्यवाही की जिसमें शिक्षा को शैक्षिक दृष्टि से मरुस्थलीय वातावरण में ले जाकर ज्ञान की हरियाली पैदा की जा सके।



स्कूल चलो अभियान के पश्चात 31/7/2001 की स्थिति

सारणी 3.3

आयु वर्ग	स्कूल चलो अभियान में विभिन्न बच्चों			स्कूल चलो अभियान से पूर्व नामांकित बच्चों की स्थिति			31 जुलाई 2001 तक नामांकित बच्चों की स्थिति			नामांकन में वृद्धि			नामांकन वृद्धि प्रतिशत		
	ना०	ब०	योग	ना०	ब०	योग	ना०	ब०	योग	ना०	ब०	योग	ना०	ब०	योग
6-11	43870	35449	79319	209354	160772	370126	241816	185435	427251	32462	24663	571125	15.34	15.43	15.4
11-14	34222	25490	59712	64881	47589	112470	71887	53584	125471	7006	5995	13001	10.79	11.25	11.0
योग	78092	60939	139031	274235	208361	482596	313703	239019	552722	39468	30658	70126	14.39	14.71	14.53

स्रोत - दिनागोच आकड़े

जनपद मुरादाबाद में स्कूलों, चलो अभियान की सफलता के पूर्ण शिक्षा अभियान के लक्ष्य, उद्देश्यों एवम् स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए विकेन्द्र नियोजन की प्रणाली को पुनः अपना कर वासी एवम् ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने हेतु ग्राम स्तर एवं बरती स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन किया गया। तथा बरती स्तर पर सुविधाओं तथा समानों को एकत्रित किया गया सामूहिक चर्चा की गयी तथा बरती/ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजनाएं बनाने की दशा में कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

#### 1- नियोजन टीम का गठन -

अभियान के सार्थक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु छः सदस्यीय नियोजन टीम का गठन किया गया।

बरती/ग्राम/मझरा स्तर के ग्रामवासियों एवं कार्यकर्ताओं के बैठकें की गयीं। जिसमें समुदाय की शिक्षा के प्रति सोच, शिक्षा से समुदाय को अपेक्षाएं तथा समुदाय का सहयोग आदि विन्दुओं पर चर्चा की गयी। क्षेत्रवार सन्दर्भ विनियमों की पहिचान, स्वयं सेवी संस्थाओं की पहिचान, पंचायती राज संस्था के पदाधिकारियों की सोच उनके सहयोग आदि की जानकारी के लिए एफ० जी० डी० का सहारा लिया गया। यह कार्य एक उत्तम कोटि की उद्देश्य परक प्रोसपेक्टिव प्लान बनाने में सहायक सिद्ध हुए।

परियोजना पूर्व की गतिविधियों के अन्तर्गत जिले में एफ० जी० टीम संगठित की गयी इस टीम में उन अधिकारियों को सम्मिलित किया गया जिन्होंने सीमेंट इलाहाबाद में आयोजित कार्यशालाओं में प्रतिभाग किया था। इसके अतिरिक्त डी० पी० ई० पी० के जिला समन्वयक, परियोजना अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा

अधिकारी, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, वी० आर० सी० एवं एन० पी० आर० सी० जूनियर व प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापकों, समाज सेवियों तथा अन्य परदासनात्मक अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों, शिक्षा विदों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ।

एफ० जी० डी० के निष्कर्षों से प्लान को आवश्यकता आक्षेपित स्तान तस्तर में सहायता मिली।

ग्रीप्रोजेक्ट गतिविधियों में समुदाय की भावना एवं सहभागिता महत्वपूर्ण घटक है इसको दृष्टिगत रखकर ग्राम प्रधान, समाज संरक्षक, जन प्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संगठनों तथा ग्राम समितियों तथा सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को वी० आर० सी० एवं एन० पी० आर० सी० के माध्यम से अवगत पहुंचाया गया कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से समुदाय की सहभागिता पर निर्भर करता है। इसकी योजना एफ० जी० डी० के महत्त्व को ध्यान में रखकर प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर सूक्ष्म नियोजन ग्राम सभा समितियों के आधार पर निर्मित की जायेगी। योजना के निर्माण के परभाव इतना विचारनात्मक भा समाज के प्रत्येक वर्ग के सहयोग से होगा। विशेषकर ग्राम प्रधानों को इसमें नियोजन/प्रबन्धन सम्बन्धी पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार होंगे। अनुभव एवं भूल्यांकन में भी उनका पूर्ण सहयोग होगा स्वयं सेवी संस्थानों का भी पूर्ण सहयोग लिया जायेगा जिससे यह अभियान पूर्णतया जनता की आवश्यकताओं के अनुकूल बन सकें।

शैक्षिक नियोजन के विभिन्न स्तरों में से मुसदावाद की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर ग्राम स्तर पर प्राथमिक के बाद जनपद स्तर पर नियोजन का स्वरूप निर्धारण किया गया है।

#### जनपद स्तर का नियोजन --

मुसदावाद जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1997-98 से सम्बन्धित है जी० पी० ई० पी० की उपलब्धता को देखते हुए तथा बच्चों की अभिवृद्धि के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया जायेगा। जी० पी० ई० पी० को शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों से भी सहयोग मिलता है। उन विभागों के अभिभावकों के साथ भी बैठकें आयोजित की गयीं।

इस कार्यक्रम की नियोजित टीम में जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी, संसाधन विभाग, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों तथा समिति के सदस्यों के साथ विभिन्न विधियों में अनेक बार विचार विमर्श किये गये। ग्राम शिक्षा समिति, अभिभावक संघ, शैक्षिक संगठन, स्वयं सेवी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि से भी विचार विमर्श किये गये। क्षेत्रवार बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक की संख्या व उनके प्रतिनिधियों से भी विचार विमर्श किये गये।

#### जिला कोर कमेंटी --

- |    |   |    |               |
|----|---|----|---------------|
| 1- | जिलाधिकारी मुसदावाद                           | -- | अध्यक्ष       |
| 2- | मुख्य विकास अधिकारी                           | -- | उपअध्यक्ष     |
| 3- | जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी                     | -- | सदस्य / समिति |
| 4- | उप वैसिक शिक्षा अधिकारी, प्रथम, द्वि०, तृतीय- | -- | सदस्य         |
| 5- | प्राचार्य डाट कांठ                            | -- | सदस्य         |

- 6- नगर शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद - सदस्य
- 7- श्री डी० के० गुप्ता सहा० ने० रि० अ० पंवासा - सदस्य
- 8- श्री राशद अनवर शिद्दीकी शिक्षा समन्वयक - सदस्य  
डी० पी० ई० पी०
- 9- डा० विष्णु गुप्ता प्रवक्ता महाराज हरिश्चन्द्र - सदस्य  
कालिज, मुरादाबाद
- 10- डा जयपाल सिंह वारत प्रवक्ता हिन्दू कालिज -- सदस्य  
मुरादाबाद
- 11- श्री नारिंर मंरूरी सचिव रिया जन कल्याण - सदस्य  
समिति, मुरादाबाद
- 12- श्री प्रदीप गुप्ता न्याय पंचायत समन्वयक - सदस्य  
निबौटा
- 13- श्री अर्तक अहमद न्याय पंचायत समन्वयक - सदस्य  
रुकनूददीन सराय

नियोजन प्रक्रिया में अन्य विभागों की सहभागिता कम से कम कार्यवाही का वितरण -

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त कुछ विभाग ऐसे भी हैं जो शिक्षा विभाग से पारम्परिक रूप से सम्बन्धित हैं। कुछ विभाग मानव संसाधन विभाग से सम्बन्धित हैं शिक्षा विभाग में रहते हुए इन विभागों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। पारम्परिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नलिखित विभागों से सुनिश्चित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है।

आई० सी० डी० एस० के साथ समन्वय -

जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक मासिक शिक्षा, सारन में सभी जे० जी० ओ० आदि को शामिल करके जिला स्तरीय समूह वन भवन कार्यक्रम निर्धारण आई० सी० डी० एस० के साथ समन्वय किया जाता है -

- क- आंगनवाड़ी केन्द्रों का समय स्कूल के समयानुसार किया गया।
- ख- आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना स्कूलों के परिसर या प्रान्तीय में की गयी।
- ग- आंगनवाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सम्पत्ती उपलब्ध करायी जाती है।
- घ- केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता वन विकास किया जाता है।
- ङ- केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्त अनु-अनुपाधिक डन से अभिनिर्णानानदेय दिया जाता है।

2- स्वास्थ्य विभाग से समन्वय -

परिपटीय विद्यालय में अध्ययन रत छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है जिससे चिन्हित रोगी छात्र/छात्राओं के उपचार हेतु उनसे अभिनिर्णानानदेय कराया जाता है। स्वास्थ्य वार्ड का रखरखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण राजकीय चिकित्सक अथवा वजीकृत चिकित्सकों के द्वारा कराया जाता है।

3- समाज कल्याण विभाग से समन्वय -

समाज कल्याण विभाग से सहयोग से उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के अनु० जाति के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 400 रु० तथा 300 रु० प्रति छात्रा की दर से प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

4- ग्राम पंचायतों से सम्बन्ध -

असंगठित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि भूलेख प्रबन्ध समितियों द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। इस भूमि पर विद्यालय का निर्माण कराकर विद्यालय का संचालन किया जाता है।

5- खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय -

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सहयोग से प्रत्येक विद्यालय 20 प्रतिशत वर्धित उपस्थित रहने वाले प्रत्येक छात्र/छात्रा को 3 किलोग्राम प्रति छात्र की दर से योजनामार्फत खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाता है।

6- विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय -

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र/छात्राओं को उपकरण उपलब्ध कराने हेतु सहायता ली जाती है। बच्चों के भिन्नीकरण में सहयोग

लिया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि निम्नलिखित की सहायतार्थ उपकरणों/सामग्रियों के वितरण में छात्र/छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये।

7- उ० प्र० जल निगम/यू० पी० एम० से समन्वय -

इन दोनों विभागों के सहयोग से उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों में शुद्ध पेज जल व्यवस्था के लिए हैण्ड पम्पों की स्थापना की जाती है।

8- युवा कल्याण विभाग से समन्वय -

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की खेल प्रतियोगिता आयोजित करायी जाती है जिसमें खेल भावना स्थापित की जा सके। विद्यालय युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र/छात्राओं में श्रद्धा हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षण समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

9- पिछड़ा कल्याण एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग से समन्वय -

इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्प संख्यक बच्चों को 300/- प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि (अन्नवृत्ति) वितरित की जाती है। जिससे इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।



10- जिला ग्राम्य विकास अधिकरण विभाग से समन्वय --

शिक्षा के सम्बन्ध में शैक्षणिक कार्यालय, जयपुर के लिए शैक्षणिक विकास अभियान (सी. आर. जी. ए. २०) से सम्बन्ध स्थापित करके वि. मन्त्रालय के विभाग हेतु 60 प्रतिशत धनसहाय प्राप्त करके जिला से प्राप्त हो प्रेषित हुए। शैक्षणिक विभाग द्वारा कराये गये इसके सहयोग में विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य प्राप्त गया है।

साक्षात् यह कि अग्रजुता सभी विभाग सम्बन्ध स्थापना (बच्ची, आ. शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आदि) में सम्बन्ध स्थापित करके प्रेषित की है। ये विभाग बच्चों को शिक्षा का सुख प्राप्त कर लाने के लिए वि. मन्त्रालय निरन्तर प्रयत्न कर रहे है। जिला के विभाग से सम्बन्ध स्थापना में विद्यालयों में शैक्षणिक संसाधनों की अधिकता परिलक्षित है।

3- ग्राम स्तर - 3		(संस्था)	बहुउद्देशीय कमी ए. 0 पी 0 आर 0 सी 0 1 शिक्षक प्रशिक्षक 2 अभिभावक 10 अध्यापक 3 कुल 27	3- विकलांग बच्चों को शिक्षण हेतु 4- अध्यापकों के पढ़ाई कार्य विभागीय काम
4- ग्राम स्तर - 4	7 / 10 / 2001	भौकनपुर बस (कुचरकी)	अधिकारी 1 प्रधान 1 अध्यापक - 2 अभिभावक 5 कुल 9	1- सामाजिक पिछडापन 2- सामाजिक सहभागिता का अभाव 3- शिक्षण सामग्री का अभाव 4- मापक के अनुसार शिक्षकों की कमी 5- समय प्रबंधन 6- परीक्षाओं के साधनों का अभाव 7- छात्रों की कमी
5- ब्लॉक पंचायत स्तर-1	6 / 10 / 2001	ककनपुरी नगर समल	अधिकारी 2 एन 0 पी 0 आर 0 सी 0 1 प्रधान 1 उपाध्यक्ष 1 अध्यापक 17 अनुसूचित जाति कर्मियों 1 निदेशिका 1 अभिभावक 10 कुल 37	1- कक्षा श्रमिका की अधिकता 2- सामाजिक अरुचि 3- बच्चों में जागरूकता की कमी 4- शैक्षणिक सामग्रियों की कमी
6- ग्राम स्तर - 4	10 / 10 / 2001	पंचायत	अधिकारी 6 पंचायत विधापक 1 एन 0 पी 0 आर 0 सी 0 1 कुल 27	1- सामाजिक पिछडापन 2- सामाजिक सामंजस्य का अभाव 3- शैक्षणिक सामग्रियों की कमी 4- समय प्रबंधन

सर्व शिक्षा अभियान की निम्नलिखित प्रक्रिया हेतु विभिन्न स्तरों पर सहभागिता हेतु कार्यवाही का विवरण

क्र.सं.	अनुपदान स्तर/ब्लॉक/	दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे
क्र.सं.	अनुपदान स्तर				उनका संक्षिप्त विवरण
1	ग्राम स्तर - 1	8/10/2014	आर.डी.डी. म. भा. भा. भा.	अधिकारी 2 प्रधान 1 सहउद्देशीय वर्ग 1 अध्यापक 4 अभिभावक 15 कुल 23	1- सनस्त अध्यापिकाएं उर्दू भाषा 2- महिला शिक्षक का अभाव 3- अल्पसंख्यक वर्ग का शिक्षक के प्रति 4- भौतिक साधनों की कमी 5- सारदीयों की आवश्यकता
2	ग्राम स्तर - 2	20/10/2014	इ.ए.डी. म. भा. भा. भा.	अधिकारी 1 प्रधान 1 उप प्रधान 1 सर्वरंग बाल संघदाता 3 अध्यापक 6 अभिभावक 12 कुल 21	1- अध्यापकों की कमी, पुरुष शिक्षक संख्या 2- सतत मूल्यांकन का अभाव निरीक्षण पर्यवेक्षण और अधिक होना चाहिए 3- सामाजिक सहभागिता का अभाव

3-	ग्राम स्तर - 3	29/10/2001	राहजादी सराय (सम्भल)	अधिकारी 4 प्रधान 1 यहुउद्देशीय कर्मी 1 एनओ पीओ आरओ सीओ 1 विद्यालय प्रिंसिपल 2 अभिभावक 10 अध्यापक 8 कुल 27	1- शिक्षण सामग्री का अभाव 2- शिक्षक व समाज में सामंजस्य का अभाव 3- विकलांग बच्चों की शिक्षण व्यवस्था 4- अध्यापकों के पास अन्य दिमानों का काम
4-	ग्राम स्तर - 4	7/10/2001	भोकरनापुर बस्त (कुम्हारकी)	अधिकारी 1 प्रधान 1 अध्यापक 2 अभिभावक 5 कुल 9	1- सामाजिक पिछड़ापन 2- सामाजिक सहभागिता का अभाव 3- शिक्षण सामग्री का अभाव 4- माताओं के अनुसार शिक्षकों की कमी 5- भवन कमी 6- दातायता के साधनों का अभाव 7- चाहर दीवारी की कमी
5-	ब्लाक पंचायत स्तर-1	6/10/2001	रुकनुवडीम सराय सम्भल	अधिकारी 2 एनओ पीओ आरओ सीओ 1 प्रधान 1 अभिभावक 1 अध्यापक 17 यहुउद्देशीय कर्मी 1 विद्यालय 1 अभिभावक 10 कुल 37	1- बाल श्रमिकों की अधिकता 2- सामाजिक अज्ञानि 3- बच्चों में जागरूकता की कमी 4- शैक्षणिक संसाधनों की कमी
6-	ब्लाक स्तर - 1	11/10/2001	सम्भल	अधिकारी 5 अभ्यापक 1 पीओ आरओ सीओ 1 एनओ बीओ आरओ सीओ 1	1- शैक्षणिक संसाधनों का अभाव 2- सामाजिक व सामंजस्य का अभाव 3- शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता में कमी

17-	ब्लॉक स्तर -- 2	10/10/2000	पी० आर० सी० समस्त जनपद काया	अधिकारी 2 पी० आर० सी० 1 कुल पी० आर० सी० 2 अध्यापक 25 पी० आर० सी० अनुपात 1 अभिभावक 20 ग्राम प्रधान 4 कुल 52	1- शिक्षकों की कमी 2- शिक्षक कक्षाकरण का विभागीय अनुपात पर अभी तक अध्यापक कक्षाकरण का कार्यालय समस्त जनपद का अभाव 3- मठों का अभाव 4- शहर भवन 5- शादीशुदा बने कमी 6- हॉम एस नलों का खराब होना 7- चाहर दीवारी का अभाव 8- महिला शिक्षकों की कमी
8-	ब्लॉक स्तर-3	12/10/2001	पी० आर० सी० समस्त	अधिकारी 5 पी० आर० सी० 1 ए० सी० आर० सी० 1 एम० पी० आर० सी० 3 अध्यापक 35 ग्राम प्रधान 2 मैमबर पी० आर० सी० 5 अभिभावक 25	1- काल श्रमिकों की अधिकता 2- आर्थिक पिछड़ापन 3- छात्र अनुपात में शिक्षकों की कमी 4- अधिक कक्षाकरण कमजोर 5- अन्य विभागों के कार्य का अध्यापकों पर भार
9-	जनपद स्तर	13/10/2001	मुरादाबाद	अध्यक्ष 1 मुख्य विकास अधिकारी 1	1- छात्र अनुपात में शिक्षकों की कमी 2- निरीक्षण/पर्यवेक्षण में कमी

				जि०बे०शिक्षा अधिकारी 1 उप बे० शिक्षा अधि० 3 सहा० बे० शिक्षा अधि० 11 अभिभावक 15 अध्यापक 20 अन्य अधिकारी 7 जिला समन्वयक 4 लेखाधिकारी 1 सहायक लेखाकार 1	3- सक्रिय सामाजिक सहभागिता का अभाव 4- शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव 5- विकलांग बच्चों की शिक्षण व्यवस्था 6- सतत मूल्यांकन का अभाव
10-	ग्राम स्तर -5	9/10/2001	रायव नगला (कुन्दरकी)	अधिकारी 1 ग्राम प्रधान 1 बहुउद्देशीय कर्मी 1 अध्यापक 3 अभिभावक 10 ग्राम पंचायत सदस्य 4	1- भौतिक संसाधनों का अभाव 2- विद्यालय की चाहों दीवारी न होना 3- भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में 4- बाल श्रमिकों की अधिकता 5- ग्राम का आर्थिक पिछड़ापन
11-	ग्राम स्तर - 6	10/10/2001	खारऊ	अधिकाारी 1 ग्राम प्रधान 1 बहुउद्देशीय कर्मी 1 अध्यापक 4 अभिभावक 10 सदस्य 2 कुल 29	1- सतत मूल्यांकन का अभाव 2- अन्य विभागों का अध्यापकों पर भार 3- गांव का आर्थिक पिछड़ापन 4- विद्यालय का कक्षाकरण आकषक न होना। 5- शिक्षण सामग्री का न होना 6- भवन दीवारी का अभाव
12-	न्याय पंचायत स्तर-2	10/10/2001	सुआवा	अभिभावक 2 एन० पी० आर० सी० 1 ग्राम प्रधान 3 पी० जी० सी० 3 अध्यापक 4 अधिकारी 1	1- भौतिक संसाधनों का अभाव 2- कार्यालय व्यवस्था अस्तित्व में न होना 3- अध्यापकों की कमी 4- सामाजिक जागरूकता का अभाव 5- शिक्षण सुविधाओं का अभाव

				बहुउद्देशीय कर्मी 1 कुल 49	
13-	न्याय पंचायत स्तर-3	8/10/2001	मनकुआ मकसूदपुर (खिलारी वि० के०)	अधिकारी 1 एन० पी० आर० सी० 1 ग्राम प्रधान 2 वी० डी० सी० 5 अध्यापक 10 अभिभावक 15 बहुउद्देशीय कर्मी 2 कुल 36	1-सतत मूल्यांकन का अभाव 2- अध्यापकों की कमी 3- शिक्षा के प्रति अभिभावकों में जागरूकता की कमी 4- भौतिक संसाधनों की कमी 5- अध्यापक से अन्य विभागों का कार्य करवाना।
14-	ब्लाक स्तर - 4	15/10/2001	वी० आर० सी० कांठ	अधिकारी 3 वी० डी० सी० 1 अध्यापक 25 चिकित्सक 1 पी० डी० सी० 5 लेखपाल 1 बहुउद्देशीय कर्मी 2 अभिभावक 20 स्वयं सेवक 5 कुल 64	1- निरन्तर निरीक्षण पर्यवेक्षण का अभाव 2- अध्यापकों की कमी 3- शैक्षिक वातावरण के निर्माण का अभाव 4- सामाजिक सामंजस्य का अभाव 5- शैक्षिक संसाधनों की कमी
15-	ब्लाक स्तर - 5	13/10/2001	कनिगाखिजा स्थान नौला	अधिकारी 4 वी० डी० सी० 1 चिकित्सक 2 पी० डी० सी० 3 अध्यापक 45 अभिभावक 40 स्वयं सेवक 10 लेखपाल 1	1- अध्यापकों का दहशत 2- विद्यालयों का अक्सर बन्द रहना। 3- अल्प अवधि में अध्यापक का न होना। 4- विद्यालयों का वातावरण आकर्षक न होना। 5- शैक्षिक संसाधनों का अभाव

				बहुउद्देशीय कर्मी 3 कुल 114	
16-	ग्राम स्तर -7	12/10/2001	चित्तौरी वि० के. बनिया खेडा	अधिकारी 1 ग्राम प्रधान (महिला) 1 उप प्रधान 1 बहुउद्देशीय कर्मी 1 अध्यापक 2 अभिभावक 10 कुल 16	1- शिक्षण शिक्षा का अभाव 2- अध्यापकों की कमी 3- अन्य विभागों का कार्य होने के कारण विद्यालय बंद रहता। 4- सतत नूतनांकन का अभाव
17-	ग्राम स्तर - 8	10/10/2001	मथाना (छजलेंट)	अधिकारी 1 ग्राम प्रधान 1 वी० डी० पी० 2 बहुउद्देशीय कर्मी 1 अध्यापक 4 अभिभावक 8 कुल 17	1- अध्यापकों की शिक्षण में अक्षुब्धि 2- बाहर दीवारी का अभाव 3- भवन की कमी 4- छात्रों की कमी 5- स्थान की कमी
18-	न्याय सहायक स्तर -4	12/10/2001	गढ़पुरा वि० के० असमोली	अधिकारी 1 एन० सी० पी० के० 1 अध्यापक 1 अभिभावक 1 सहायक शिक्षक 1 ग्राम प्रधान 1 के० डी० पी० 2 कुल 8	1- शिक्षकों का व्यवहार कुरालता एवं बर्बरता में कमी 2- अध्यापक शिक्षा विभाग का बचन 3- अध्यापक अभिभावक सहभागिता का अभाव 4- ग्राम शिक्षकों का अधिग्रहण
19-	न्याय सहायक स्तर	14/10/2001	गढ़पुरा वि० के० असमोली	अधिकारी 1 एन० सी० पी० के० 1 अध्यापक 1 अभिभावक 1 सहायक शिक्षक 1 ग्राम प्रधान 1 कुल 6	1- शिक्षकों की कमी 2- अध्यापक व्यवहार का बर्बरता अभाव 3- अध्यापक अध्यापकों का अभाव 4- अध्यापक अभिभावक सहभागिता का अभाव



				वी० डी० सी० 4 अध्यापक 10 अभिभावक 10 चिकित्सक 1 लेखपाल 1 कुल 31	अभाव 5- नैतिक संसाधनों की कमी 6- निरन्तर पर्यवेक्षण का अभाव
20-	ब्लाक स्तर - 6	15/10/2001	बड़जोई वी० डी० महजोई	अधिकारी 4 वी० आर० सी० 1 ए० वी० आर० सी० 1 एन० वी० आर० सी० 3 अध्यापक 40 चिकित्सक 2 लेखपाल 1 अभिभावक 30 ग्राम प्रधान 3 वी० डी० सी० 4 कुल 92	1- शिक्षण पद्धति के आधुनिक संसाधनों का अभाव 2- आर्थिक पिछापन 3- पाठ पुस्तकों का सही समय पर वितरण नहीं। 4- कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। 5- शिक्षकों की कमी 6- अभिभावकों में जागरूकता का अभाव
21-	ब्लाक स्तर - 9	14/10/2001	महाला प्रवेइश 3 बरवाला	अधिकारी 1 ग्राम प्रधान 1 अध्यापक 3 अभिभावक 10 सचय सेवक 2 पर्यवेक्षक 3 कुल 19	1- नमन की कमी 2- अध्यापकों की कमी 3- कम अभिभावकों की अधिकता 4- अभिभावकों की शिक्षा में रुचि का अभाव 5- सरसक नृत्यांकन का अभाव
22-	ब्लाक स्तर - 10	15/10/2001	महाला प्रवेइश 3 बरवाला	अधिकारी 1 ग्राम प्रधान 1 चिकित्सक 2 अध्यापक 3 कुल 7	1- अध्यापकों की संख्या नमन के अनुसार नहीं है। 2- शिक्षण सामग्री का अभाव

				अभिभावक 5 स्वयं सक्षी 2 कुल 13	1- 4- शैक्षिक परिसरों की कमी।
23-	न्याय पंचायत स्तर - 6	6/10/2001	विहड़ जिला मुख्यालय	अधिकारी 2 ग्राम प्रधान 1 संस्कार 3 अध्यापक 1 अभिभावक 4 चिकित्सक 1 अन्य 2 कुल 13	1- अध्यापकों की कमी 2- अन्य विभागों का कार्य अधिक होने के कारण विद्यालय का अधिकतर बन्द रहना। 3- ग्राम वासियों का असहयोग 4- स्कूल में शिक्षा के प्रति अज्ञान।
24	न्याय पंचायत स्तर-6	6/10/2001	विहड़ जिला मुख्यालय	अधिकारी 1 एन0 पी0 आर0 सी0 1 अध्यापक 3 अभिभावक 11 ग्राम प्रधान 2 उप प्रधान 1 सहस्रदेशीय कर्मियों 1 लेखपाल 1 कुल 27	1- पाठ्य पुस्तकों का वितरण समय से नहीं 2- शिक्षण पद्धति का आधुनिक न होना। 3- अध्यापकों में कार्य कुशलता की कमी 4- शैक्षिक संसाधनों का अभाव, 5- अध्यापकों का उहाराव विद्यालय में न होना।
25-	न्याय पंचायत स्तर -7	11/10/2001	इटावा जिला वि० अ० विलासी	अधिकारी 2 एन0 पी0 आर0 सी0 1 ग्राम प्रधान 1 संस्कार 7 अध्यापक 13 अभिभावक 12 चिकित्सक 1 ग्राम विकास अधिकारी 1	1- अध्यापकों की संख्या छात्रों के अनुपात में नहीं। 2- शैक्षिक वातावरण निर्माण में सामाजिक सहभागिता का अभाव 3- शैक्षिक परामर्श का अभाव 4- शिक्षकों पर अन्य विभागों का अतिरिक्त भार होना। 5- आर्थिक पिछड़ापन

			कुल 38	
ब्लाक स्तर - 7	12/13/2001	वि० क्षेत्र ककुरद्वारा	अधिकारी 3 वी० आर० सी० 1 एन वी० आर० सी० 1 एन० वी० आर० सी० 3 अध्यापक 20 अभिभावक 25 चिकित्सक 3 स्वयं सेवी 5 ग्राम प्रधान 1 मेम्बर 2 लेखपाल 1	1- मानक के अनुरूप अध्यापकों का अभाव 2- प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी। 3- अन्य विभागों का अतिरिक्त भार होना 4- शिक्षण पद्धति को आधुनिक तरीकों से अपनाने की अज्ञानता 5- भौतिक संसाधनों की कमी
ग्राम स्तर - 12	9/10/2001	राजा का सहस्रपुर वि० क्षेत्र दिलारी	अधिकारी 1 ग्राम प्रधान 1 मेम्बर 2 अध्यापक 3 अभिभावक 5 अन्य 2 कुल 14	1- ग्राम में शैक्षिक बालावरण का अभाव 2- अध्यापकों की कमी 3- भवन की दशा सन्तोष जनक नहीं है। 4- सतत मूल्यांकन का अभाव 5- सामाजिक अरुचि
ग्राम स्तर - 13	9/10/2001	अगवानपुर वि० क्षेत्र मुसादाबाद	ग्राम प्रधान 1 उप प्रधान 1 यहुउद्देशीय कमी 1 लेखपाल 1 मेनेजर बैंक 1 अध्यापक 3 अभिभावक 8 कुल 16	1- छात्र संख्या अधिक 2- स्थान उपलब्ध नहीं 3- शिक्षण सामग्री का अभाव 4- सामाजिक सहभागिता का अभाव

29		10/10/2001	सरुवा वि० के० मुशदाकाव	अधिपति 1 प्रधान (नहिला) 1 बहुउद्देशीय कर्मी 1 मेम्बर 3 अध्यापक 2 अनिभावक 6 अन्य 2 कुल 16	1- छात्र अनुपात में अध्यापक हैं। 2- बच्चों की संख्या अधिक है। स्थान पर्याप्त नहीं है। 3- अन्य विभागों के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण विद्यालय जीवन कष्ट रहत है।
30	ग्राम स्तर - 15	11/20/2001	खिरानी मु० पुर (पवासा)	अधिपति 1 वी० आर० सी० 1 एन० पी० आर० सी० 1 ग्राम प्रधान 1 मेम्बर 4 बहुउद्देशीय कर्मी 1 लेखपाल 1 अध्यापक 4 अनिभावक 10 कुल 23	1- विद्यालय में चाहर दीवारी का अभाव 2- छात्र संख्या के अनुपात में कक्षा की संख्या कम। 3- शिक्षकों पर अन्य विभागों के काम का अतिरिक्त बोझ 4- सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन 5- पाठ्य पुस्तकों का सत्र के प्रारम्भ में उपलब्ध न होना।

आज दिनांक 11/10/2001 को न्याय मंत्रालय स्तर पर क्षेत्रीय तहसील के आयुक्त शहभक्ति की मोठी नाम मन्कुआ मकसूदपुर वि० क्षेत्र डिल्ली के प्रा० विद्यालय में की गई जिसमें निम्न प्रतिभागियों में भाग लिया -

1- नाम के प्रधान की संख्या	6
2- महिला शिक्षा तथा प्रा० वि०	15
3- स्तर सेवा योजना के सदस्यों की संख्या	6
4- शिक्षक सेवा युक्त की संख्या	3
<hr/>	
कुल प्रतिभागियों की संख्या	30

मोठी में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई तथा सुझाव आए -

1- बालिका शिक्षा -

शान प्रधान जिल्हाळ मजूरपुर के प्रधान व परस्ताव रक्षा कि बालिकाओं के लिए विद्यालय में छात्राओं का होना परभावश्यक है नाम प्रधान श्री हाजी मन्सूर ने कहा कि हमने देखा है व अध्यापकों से भी हमें आज हुआ है कि जिल्हाळ विद्यालयों में खोला नहीं है उस विद्यालय में छात्राओं का संख्या कम होने है आज जिल्हाळ विद्यालयों में खोला जाये व महा छात्राओं की संख्या बढ़े व परस्ताव रक्षा आदि के लिए वे स्कूल में आवेस करने नहीं जाती।

2- महिला शिक्षा तथा प्रा० वि० की महिला श्रीमती छट्टो नेमन ने यह परस्ताव कहा कि सरकार को चाहिए कि प्रत्येक विद्यालय में कम-से कम दो शिक्षक

...

महिलाओं का होना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सी छात्राएं ऐसी हैं जो कि पुरुष अध्यापकों से पढ़ना नहीं चाहती। बहुतायत रूप से देखा गया है कि जहाँ पर अध्यापिकाएं कार्यरत हैं छात्राओं की बहुतायत है यह प्रस्ताव श्रीमती छुट्टो वेगम ने रखा।

3- महिला शिक्षा संघ की सदस्या छुट्टो वेगम ने ही यह प्रस्ताव रखा कि महिला शिक्षा संघ की सदस्याओं को न्याय पंचायत या विकास क्षेत्र स्तर पर प्रशिक्षण देना परमावश्यक है। जिसकी व्यवस्था की जाये।

4 - गोष्ठी में वे० प्र० श्री० अहमदपुर आनन्दपुर के प्रधान अध्यापक श्री शाहिद हुसैन ने यह प्रस्ताव रखा कि कहीं भी विद्यालय भवन सही दशा में नहीं है इसकी पुष्टि उपस्थित सभी व्यक्तियों ने की क्योंकि कहीं पर विद्यालय का फर्श टूटा है कहीं नल नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, कहीं किचन खराब है बहुत से विद्यालय खुले रहते हैं। अतः विद्यालय भवन की दशा सुधारी जाये। विद्यालयों की मरम्मत तथा चार दीवारी की व्यवस्था की जाये।

5- श्री म० उमर ग्राम प्रधान ने यह प्रस्ताव रखा कि छात्र संख्या के अनुपात में अध्यापकों की नियुक्ति तथा बच्चों के बैठने की व्यवस्था हेतु अतिरिक्त कक्ष एवं कक्षाओं का निर्माण कराया जाये।

सदस्यता न्याय पंचायत पर क्षेत्र ग्राम की सामुदायिक सहभागिता की गोष्ठी का समापन किया गया।

## गोष्ठी

आज दिनांक 12/10/2001 को न्याय पंचायत जहांगीरपुर में न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षणिक माम के सामुदायिक सहभागिता की गोष्ठी आम जहांगीरपुर प्रा० वि० पर की गई जिसमें निम्न प्रतिभागियों ने उपस्थित होकर सहभागिता की।

1-	ग्राम प्रधान	—	5
2-	महिला शिक्षक संघ	—	7
3-	अभिभावक शिक्षा संघ	—	8
4-	स्वयं सेवी संस्था के सदस्य	—	5
5-	शिक्षक सेवा भुगत	—	2

कुल

27

गोष्ठी में निम्न विन्दुओं पर चर्चा की गयी तथा सुझाव आये।

1- बालिका शिक्षा —

प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय बनवाने की व्यवस्था की जाये। यह सुझाव ग्राम प्रधान श्री नवीन कुमार ने दिया।

2- प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम दो अध्यापकों की नियुक्ति की जाये यह सुझाव ग्राम प्रधान जलालपुर श्री राम सिंह ने दिया।

3- महिला शिक्षक संघ की सदस्य श्रीमती केला देवी उप प्रधान सिदावली ने प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एक अध्यापक का सुझाव दिया।

4- महिला शिक्षक संघ व अध्यापक संघ को प्रशिक्षण प्रदत्त किया जाये सुझाव श्रीमती रेवती देवी सदस्य महिला संघ ने दिया।

5- प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त भवनों को बनवाया जाये जिससे बच्चों की वैतनिक व्यवस्था ठीक हो सके। यह सुझाव चन्द्रनीर सिंह सदस्य जहांगीरपुर ने दिया।

6- विद्यालय भवनों पुनः का निर्माण करवाया जाये। यह सुझाव शिक्षा मित्र जहांगीरपुर ने दिया।

विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति कराई जाये जिससे शिक्षण कार्य ठीक प्रकार से चल सके। यह सुझाव यासीन खां प्रधान ने दिया।

7- अध्यापकों को अतिरिक्त कार्यों में नूतन किया जाये यह सुझाव आम प्रधान श्री नवीन कुमार व श्री पदम सिंह जी ने दिया।

8- विद्यालयों में पर्याप्त व्यवस्था ठीक कराई जाये खासत तौर पर मरम्मत करवाये जाने का सुझाव भावती देवी सदस्य आम समिति सिद्धावली ने दिया।

10- जर्जर विद्यालयों को बनवाया जाये व मरम्मत योग्य भवनों की मरम्मत शीघ्र करायी जाये यह सुझाव सेवा भुक्त अध्यापक श्री राजेन्द्र माल सिंह व श्री रूप सिंह जी जहांगीरपुर ने दिया।



आज दिनांक 13/10/2001 को न्याय पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय ग्राम के साप्ताहिक सहभागिता की गोष्ठी ग्राम सुल्तानपुर दोस्त में हुई जिसमें निम्न प्रतिभागियों ने उपस्थित होकर सहभागिता की।

1-	ग्राम प्रधान	---	12
2-	महिला शिक्षक संघ	—	10
3-	स्वयं सेवी संस्था के सदस्य	—	2
4-	शिक्षक सेवा मुक्त	—	4
	कुल		28

गोष्ठी में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी तथा निम्नलिखित सुझाव आये।

1- बालिका शिक्षा —

प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय में शौचालय होना चाहिए यह सुझाव श्रीमती रेखा रानी ग्राम प्रधान सुल्तानपुर दोस्त ने दिया।

2- प्राथमिक विद्यालयों में —

प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका तथा शिक्षा मित्र अध्यापिका होनी चाहिए यह सुझाव श्रीमती तारावती ग्राम प्रधान सुन्दर नगर ने दिया।

3- अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाये।

4- प्रत्येक विद्यालय में दो कमरे एक बरामदा अवश्य होना चाहिये यह सुझाव श्री इन्द्रजीत सिंह भूतपूर्व ग्राम प्रधान उस्मानपुर ने दिया।

5- विद्यालय की चार दीवारी करा दी जाये जिससे विद्यालय में लकड़ावट की जा सकें श्री मगन सिंह स्वयं सेवी उस्मानपुर ने सुझाव दिया।

6- प्रत्येक विद्यालय में पानी पीने के लिए हैंड पम्प होना चाहिये यह स्वयं सेवी योग प्रकाश सरकण्डा खारा ने सुझाव दिया।

7- सभी पुराने भवनो को तुरन्त मरम्मत की जाये यह सुझाव श्री मनोज कुमार ग्राम प्रधान आलमपुर ने दिया।

आज दिनांक 12/10/2001 को न्याय पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय ग्राम के सामुदायिक सहभागिता की गोष्ठी ग्राम कस्तनपुर में की गयी। जिसमें निम्न प्रतिभागियों ने उपस्थित होकर सहभागिता की।

1--	ग्राम प्रधान	—	8
2--	महिला शिक्षक संघ	—	13
3--	स्वयं सेवी संस्था के सदस्य	—	5
4--	प्रधान अध्यापक	—	4
			-----
	कुल		30

गोष्ठी में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी तथा निम्नलिखित सुझाव आये।

1-- बालिका शिक्षा--

प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय में शौचालय होना चाहिए यह सुझाव श्रीमती गंगादेई ग्राम प्रधान वीरूवाता ने दिया।

2-- प्राथमिक विद्यालयों में 1 अध्यापिका तथा 1 शिक्षा मित्र अध्यापिका होनी चाहिए और विद्यालय में एक सहायिका होनी चाहिए यह सुझाव श्रीमती प्रवेश कुंवर ने दिया।

3-- अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाये।

4— प्रत्येक विद्यालय में दो कमरे एक वरामदा अवश्य होना चाहिए। यह सुझाव श्री प्रकाश सिंह सतारपुर ने दिया।

5— विद्यालय की चार दीवारी करा दी जाये जिससे विद्यालय में सज्जवट की जा सके। यह विचार श्री शकिर हुसैन जी स्वयं सेवक के थे।

6— जर्जर विद्यालय भवनो को तुरन्त बनवाया जाये तथा अतिरिक्त कक्षा बनवाये जाये यह सुझाव श्री रमेश सिंह प्र० अ० सहसपुरी ने दिया।

गोष्ठी

आज दिनांक 13/10/2001 को न्याय पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय ग्राम के प्राथमिक सहभागिता की गोष्ठी ग्राम सरकडा खारस द्वितीय में हुई जिसमें निम्न प्रतिभागियों में उपस्थित होकर सहभागिता की।

1--	ग्राम प्रधान	—	6
2--	महिला शिक्षक संघ	—	6
3--	अभिभावक शिक्षा संघ	—	5
4--	स्वयं सेवी संस्था के सदस्य	—	6
5--	शिक्षक सेवा मुक्त	—	2
			-----
	कुल		25

गोष्ठी में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी तथा निम्नलिखित सुझाव आये।

पालिका शिक्षा प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय बनवाने की व्यवस्था की जाये। सुझाव ग्राम प्रधान श्री विमल कुमार शर्मा।

प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम दो अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये।

महिला शिक्षक संघ व अभिभावक संघ को प्रशिक्षण दिया जाये।

विद्यालयों की मरम्मत कराई जाये। यह सुझाव अध्यापकों ने दिया।

- 5- नगीन भवनो का निर्माण करवाया जाये।
- 6- अध्यापको के अनुभवा के आधार पर शिक्षको की नियुक्ति की जाये।
- 7- सामान्य बच्चो की तरह अक्षय बच्चो पर ध्यान दिया जाये उनका स्वास्थ्य परीक्षण सर्टिफिकेट तथा उचित सन्न दिलाये जाये।
- 8- अध्यापको से अन्य कार्यों में न लगाया जाये।
- 9- खराब नलो की परम्भत कराई जाये सुझाव ग्राम प्रधान यादराम जाटव।
- 10- उपरोक्त सुझाव दो ग्राम प्रधान व अन्य सदस्यों के सुझाव आये।

आज दिनांक 14/10/2001 को न्याय पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय ग्राम के सामुदायिक सहभागिता की गोष्ठी ग्राम वहेडी ब्रह्मनाथ की गई जिसमें निम्न प्रतिभागियों ने उपस्थित होकर सहभागिता की :

- 1- ग्राम प्रधान -
- 2- महिला शिक्षक संघ -
- 3- स्वयं सेवी संस्था के सदस्य -
- 4- शिक्षक सेवा युवक -

कुल प्रतिभागी

गोष्ठी में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी तथा निम्नलिखित सुझाव आये।

- 1- कालिका शिक्षा के लिए निम्न सुझाव आये ग्राम प्रधान श्रीमती सलोचना पुंकर वहेडी ब्रह्मनाथ ने सुझाव दिया कि प्रत्येक विद्यालय में अध्यापिका का होना आवश्यक जिसकी व्यवस्था विभाग द्वारा की जाये।
- 2- श्रीमती रामित्री देवी महिला शिक्षक संघ ने सुझाव दिया कि विद्यालयों में शौचालय का होना कालिकाओं के महिला अध्यापिकाओं के लिये होना चाहिए जिसकी व्यवस्था की जाये।
- 3- श्री आशासक शर्मा प्र० आ० गिर्जापुर ने भेयजल व्यवस्था पर सुझाव दिया कि हैण्ड पम्प लगाये परन्तु उनकी मरम्मत नहीं हो रही है विभाग हैण्ड पम्पों को सही करने का प्रयास करें।
- 4- माता महिला शिक्षक संघ व अभिभावक शिक्षक संघ को प्रशिक्षण दिलाया जाये।
- 5- जर्जर विद्यालयों का नवीनीकरण कराया जाये तथा विद्यालयों की मरम्मत करवायी जाये।
- 6- छात्रों के अनुपात के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाये।
- 7- जिन ग्राम सभा व मंडलों में विद्यालय 1.5 किमी० से दूर है उनमें विद्यालय खोला जाये।

आज दिनांक 15-10-2001 को न्याय पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय स्तर के समुदायिक सहभागिता की गोष्ठी ग्राम डिलारी में हुई जिसमें निम्न प्रतिभागियों ने उपस्थित होकर सहभागिता की।

1-	ग्राम प्रधान	-	6
2-	महिला शिक्षक संघ	-	4
3-	स्वयं सेवी संस्था के सदस्य	-	5
4-	शिक्षक सेवा मुक्त	-	4
5-	वी० डी० सी० सदस्य	-	7

-----  
26

गोष्ठी में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी तथा निम्नलिखित सुझाव आये।

- 1- जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों का भवन पुनः बनाना चाहिए।
- 2- जिन विद्यालयों में टूट फूट है उनकी मरम्मत शीघ्र होनी चाहिए ताकि कहीं कोई घटना न घट जाये।
- 3- बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय में कम से कम एक अध्यापिका की नियुक्ति विभाग द्वारा की जाये।
- 4- विद्यालयों के शौचालय अधिकतर बन्द है जिससे बालिकाओं को परेशानी होती है बनवाये जाये व मरम्मत करायी जाये।
- 5- विद्यालयों में छात्रों की संख्या बहुत बढ़ी है अतः उनमें अध्यापक संख्या भी बढ़ायी जाये। ताकि शिक्षण कार्य अच्छी प्रकार किया जा सके।
- 6- अभिभावक संघ व माता महिला संघ के सदस्यों को भी ऐसा प्रशिक्षण दिया जाये कि वह भी विभागीय आदेशों की जानकारी प्राप्त कर सकें तथा शिक्षा के नवीन शूटों द्वारा अभिभावकों को समझा सकें।

खसरोव पाडे विद्यालय के नलों को शीघ्र ठीक करवाया जाये।



ब्लाक डिलीरी

गुर्य पंचायत करनापुर

जनपद-गुरदावाड

गोली स्थल	प्रतिभाग	
ग्राम रागा	ग्राम प्रधान	01
महापुर सेमली	उप प्रधान	01
	शिक्षा समित सदस्य	05
	अल्पसंख्यक महिला	10
	बी० डी० सी० सदस्य	2
	महिला शिक्षा समिति सदस्य	5
		-----
	कुल प्रतिभाग	24

शिक्षा के लिए विचार बिन्दुओं पर निम्न सुझाव

1- बालिकाओं की शिक्षा

श्री मौहम्मद हनीफ ग्राम प्रधान का कहना था कि विद्यालयों में बालिका शिक्षा के लिए शिक्षिकाओं की व्यवस्था की जाये क्योंकि बहुत सी बात बालिका अध्यापक से नहीं करती।

2- बालिका शिक्षा के लिए विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था होनी जरूरी है कक्षा 5 तक की बालिका के लिए प्रत्येक विद्यालय में शौचालय बनवाया जाये।

3- महिला शिक्षा समिति सदस्य श्रीमती सन्तोश कुमारी, कु० पूर्णिमा व खातून और जाहरी बेगम का कहना था कि चयनित ग्राम की महिलाओं को समझाया जाये

बताया जाये - कार्यशाला करके कि महिला के सहयोग की किस तरह का सहयोग बालिका शिक्षा के लिए आवश्यक है। उनको प्रोत्साहन भी दिया जाये।

4- श्री रत्न लाल शर्मा या 0 दत्ताराम सिंह-फूल चन्द्र, बरन दास का कहना था कि हम बालिका शिक्षा के लिए अभिभावक से सम्पर्क तथा जनजागरण प्रक्रिया के माध्यम से बालिका को विद्यालयों में प्रवेश करा सकते हैं परन्तु उनकी शिक्षा लिए बैठने की व्यवस्था के लिए स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्यालय भवनों की दशा सुधारी जाये छात्र संख्या के प्रवेश को देखते हुए टहराव के लिए विद्यालय भवनों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जाये।

5- बालिका शिक्षा के लिए ग्राम सर्वेक्षण आधार में जनसम्पर्क अभिभावक सम्पर्क की व्यवस्था की जाये।

6- विद्यालयों को उपयुक्त स्थान तथा पेय जल व्यवस्था से सुसज्जित किया जाये। श्री पूरन सिंह का कहना था।

7- श्रीमती ओमवती राजकुमारी, दयादेवी का कहना था कि बालिका शिक्षा के लिये ग्राम के चयनित संगठनों को ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये जो बालक तथा बालिका के भेदभाव को दूर करे।

स्थान: डिल्ली न्याय संचायत सुल्तानपुर दोरत जनपद—जलालपुर खालसा

गोठ में प्रतिभाग संख्या

प्रधान	03
भूतपूर्व प्रधान	02
भूतपूर्व शिक्षक	05
ग्राम शिक्षा समिति	
महिलो सदस्य	10
-----	
कुल प्रतिभाग	20

विचार विन्दु —

प्राथमिक विद्यालय —

1— ग्राम प्रधान श्री इन्दरजीव सिंह का कहना था कि सरकार चाहती है कि सब बच्चों को शिक्षा की दशा से जोड़ा जाये इसलिए शिक्षकों का जनसम्पर्क किया जा रहा है परन्तु विद्यालय भवन की दशा की ओर ध्यान दिया जाये। ग्राम वाली भूमि उपलब्ध करा सकते हैं परन्तु विद्यालय भवनो का एक रूप निर्माण तथा सुदृढीकरण सरकार की ओर से व्यवस्था की जाये।

2— श्री राम कुंवर सिंह, हरजान सिंह का कहना था कि ब्लाक व न्याय संचायतों में विद्यालयों की दशा जीर्ण-शीर्ण है उन्हें पुनः निर्माण की व्यवस्था की जाये।

3— विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का अभाव विद्यालयों के सौंदर्यकरण में एक बाधा है जिसकी व्यवस्था की जाये यह सुझाव भी दिग्विजय सिंह का था।

4— ग्राम पंचायत समन्वयक श्री दिग्पाल सिंह का कहना था कि अधिकांश विद्यालय भवन एक कक्षा कक्ष में बसकर निर्मित हैं बच्चों के प्रवेश को देखते हुए इनके ठहराव के लिए बैठने के स्थानों में विस्तार करना जरूरी है एक या दो अतिरिक्त कक्षा कक्ष बनाये जाये।

5— ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों का कहना था कि विद्यालय भवन के सुदृढीकरण के लिए सरकारों तौर पर ग्राम समितियों को विद्यालय अनुदान की व्यवस्था की जाये।

6— सर्व प्रति भागियों का कहना था कि समय-समय पर ग्रामों के सहयोग की समीक्षा की जाये तथा अच्छे कार्य किये जाने पर ग्राम शिक्षा समितियों को प्रोत्साहित किया जाये।

ब्लाक वार स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या जनपद मुरादाबाद

	ब्लाक का नाम	6-11			11-14		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	संभल	4229	5084	9313	2482	2983	5465
2	कुन्वरकी	2877	3459	6336	3631	4364	7995
3	भजोही	3262	4067	7329	2647	3299	5946
4	दिल्लारी	3562	4440	8002	2014	2510	4524
5	चनियाखेत	3142	4090	7232	1755	2286	4041
6	पवनशाह	2676	3518	6194	1658	2178	3836
7	मुण्डापाण्डे	2737	3291	6028	1450	1756	3216
8	दिलारी	2032	2443	4475	994	1196	2190
9	असगौली	1471	1833	3304	832	1036	1870
10	मुरादाबाद	1237	1542	2779	1000	1246	2246
11	ठाकुरद्वारा	1527	1988	3515	583	759	1342
12	भगतपुरदंड	725	952	1677	448	588	1036
13	छजलोट	117	168	285	177	254	431
14	नगर क्षेत्र	787	1132	1919	1244	1789	3033
	योग	30380	38008	68388	20923	26248	47171

स्रोत - माइकोप्लानिंग ऑफिस

## अध्याय-4

### सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

वर्तमान भौतिक वादी युग में समाज का प्रत्येक वर्ग एवं अशिक्षित समाज प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण कर सके तथा विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण स्थापित करने हेतु शिक्षकों के साथ समुदाय की भी भागीदारी सुनिश्चित हो इसके लिये भारत सरकार द्वारा कक्षा एक से आठ तक की प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान संचालित करने का निर्णय लिया है। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुनर्निर्धारित योजना के रूप में चलाया जायेगा। नवी पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85:15, दसवी योजनाओं 75 : 25 तथा उससे आगे की योजना में 50 : 50 रहेगा इसको निम्नवत स्पष्ट कर सकते हैं।

योजना	वर्ष	केन्द्र राज्य अंशदान
नवी पंचवर्षीय योजना	1997-2002	85:15
10 वीं पंचवर्षीय योजना	2002-2007	75:25
ग्यारवी पंचवर्षीय योजना	2007-2012	50:50

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा एक से आठ तक की प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप निम्नलिखित लक्ष्य/उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं -

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य —

6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक (आउटर लिमिट) उपयोगी एवं प्रसंगि प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना। सामाजिक, क्षेत्रीय तथा जेण्डर सम्यन्धी विषमताओं को दूर करना।

ई0 सी0 सी0 ई0 के महत्व को देखते हुये वय वर्ग का विस्तार 0-14 करना आई0 सी0 डी0 एस0 के प्रयास को समर्थन देना एवं जहां आई0 सी0 डी0 एस0 ए0 का क्षेत्र नहीं है वहां विशेष रूप से पूर्व विद्यालयी सेवा उपलब्ध कराना।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य —

- 2003 तक सभी बच्चों को औपचारिक विद्यालय, शिक्षा मारग्टी केन्द्रों, गैर-रिजिस्टर्ड विद्यालय, गणरा विद्यालय व लो कॉम्पो आदि में नामांकन।
- 2007 तक कक्षा 5 तक की शिक्षा सभी पूरी करें।
- 2010 तक कक्षा 8 तक की शिक्षा सभी पूरी करें।
- सन्तोष जनक गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।
- जेण्डर तथा सामाजिक विषमताओं को प्राथमिक स्तर पर 2007 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक 2010 तक समाप्त करना।

शत प्रतिशत धारण 2010 तक।

उत्तमत अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिये भी मान लिया गया है। उक्त लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिये विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिनका विवरण आगे पृष्ठों में अंकित है।

### नामांकन के लक्ष्य

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु अपनायी गयी दिव्या

भारत की जनगणना 2001 के अनुसार जनसंख्या की नई स्थिति जनपद वार प्राप्त की गयी है, 1991 की जनगणना के जनसंख्या के आंकड़ों को आरर मानते हुये विगत दस वर्षों में जनपद मुरादाबाद की जनसंख्या में हुई वृद्धि के अंवार पर कम्पांड रेट आरर मेशड से मुरादाबाद जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गई। इस जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.4 प्रतिशत है। इस दर से वर्ष 2002 से 2010 तक की अनुमानित जनसंख्या का आकलन किया गया है। जनगणना 2001 की जनसंख्या में आयु वर्ग वार आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है इसलिये 1991 की जनगणना के आधार पर आयु वर्ग वार जनसंख्या के प्रतिशत को माना गया है। -

वर्ष 2001 की जनगणना के विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या ग्रामीण/नगरीय, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध होने पर इन आंकड़ों का पुर्नसवलोकन आगामी वार्षिक योजना में किया जा सकता है।



नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी० ई० आर० को आधार मानकर इन्सोलमेन्ट रेशियो गैरव्यत से 2002-2010 तक का जी० ई० आर० प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिये प्रक्षेपित जी० ई० आर० तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिये नामांकन प्रक्षेपित किया गया है।

प्राथमिक स्तर (6-11) के लिये वर्ष 2007 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (11-14) के लिये वर्ष 2010 तक शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। चूंकि कुल नामांकन में कुछ अधिक आयु तथा कम आयु के ऐज ग्रुप्स भी होंगे अतः जी० ई० आर० का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी० ई० आर० में वृद्धि कम होगी क्योंकि जितने बच्चे 6-11 वर्ष व 11-14 वर्ष में बढ़ेंगे उतने ही लगभग नामांकन में बढ़ेंगे।

वर्ष 2001-2010 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6-11 वर्ष के बच्चों की संख्या व नामांकन का लक्ष्य निम्नवत है :

सारणी 4.1 (प्राथमिक स्तर पर नामांकन का लक्ष्य)

वर्ष	6-11 वर्ष के बच्चों की संख्या			नामांकन			जी० ई० आर		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग			
2001-02	273224	218241	491465	251809	198325	448134	92.16	89.85	91.18
2002-03	279781	223478	503259	271387	206709	478096	97	95.49	95
2003-04	286496	228842	515338	291649	228842	520491	101	100	101
2004-05	300412	239958	540370	330456	258547	589003	110	107.74	109
2005-06	307622	245717	553390	347612	272184	619796	113	110.77	112
2006-07	315005	251614	566619	356555	289390	645945	115	115.01	115
2007-08	322880	257653	580533	374540	298878	673418	116	116	116
2008-09	330630	263837	594467	390143	311328	701471	118	118	118
2009-10	332565	270169	608734	409630	320610	730240	121	118.67	120

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्ष वार जनपद की 6-11 वर्ष के बच्चों की संख्या  
एवं परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन का लक्ष्य

सारणी 4.2

क्रमांक	वर्ष	6-11 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की संख्या	परिषदीय नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से बाहर जो बच्चे विद्यालय में नहीं जा रहे हैं (वर्षवार)	एन0 आर0	ई0	बालिका जाति का (परिषदीय)	कुल बालिका जाति का (परिषदीय)
1-	2001-02	491465	448134	149800	298334	43331	91			
2-	2002-03	501294	471217	152796	318421	30078	94		23322	
3-	2003-04	511320	501094	155852	345242	10226	98		231312	
4-	2004-05	521547	521547	153869	362578	0	100		242927	
5-	2005-06	531978	531978	162148	369829	0	100		247786	
6-	2006-07	542617	542617	165391	377226	0	100		252741	
7-	2007-08	553469	553469	168699	384770	0	100		257796	
8-	2008-09	564539	564539	172073	392466	0	100		262952	
9-	2009-10	578350	575830	175515	400315	0	100		268211	

वर्ष 2001 से 2010 तक परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का लक्ष्य इस आधार पर रखा गया है कि वर्ष 2004-05 में एन0 ई0 आर0 100 तक पहुंच गया त

उसके बाद भी एन0 ई0 आर0 100 बना रहे।

वर्ष 2001-2002 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनसंख्या की 11-14 वर्ष के बच्चों की संख्या व नामांकन का लक्ष्य निम्नवत् है।

सारणी 4.1 (उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन का लक्ष्य)

सारणी 4.3

वर्ष	11-14 वर्ष के बच्चों की संख्या			नामांकन			जी० आइ० आर०		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग			
2001-02	95572	77070	172642	71897	53584	125481	75.2	69.52	72.67
2001-03	97353	79431	176784	75239	59116	134355	77.28	74.42	76
2003-04	99690	81337	181027	82113	64516	146631	82.36	79.32	81
2004-06	104532	85288	189820	96792	75944	172736	92.59	89.04	91
2005-07	107041	87335	194376	106101	78556	184657	99.12	89.94	95
2006-08	109610	89431	199041	109500	87550	197050	99.89	97.89	99
2007-09	112241	91577	203818	114341	97619	211960	101.87	106.60	104
2008-10	114934	93775	208709	118358	104960	223318	102.97	111.92	107
2009-10	117693	96026	213719	124598	110492	235090	105.86	115.06	110

वर्ष 2001-2010 तक लक्ष्य इस आधार पर निर्धारित किया गया जिसमें वर्ष 2010 तक जी० आइ० आर० लगभग 110 करने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्ष वार जनपद की 11-14 वर्ष के बच्चों की संख्या  
उच्च परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन का लक्ष्य  
सारणी 4.4

क्रमांक	वर्ष	6-11 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता/गैर मान्यता नामांकित की संख्या	परिषदीय प्राप्त नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से बाहर जो बच्चे विद्यालय में नहीं जा रहे हैं (वर्षवार)	एन0 आर0	ई0 आर0	वास्तविक जाति का प्रतिशत (परिषदीय)	अनु0 कालक प्रतिशत
1-	2001-02	172642	125471	90499	34972	47171	73		23431	
2-	2002-03	176095	149681	92309	57372	26414	85		38439	
3-	2003-04	179617	167044	941155	72888	12573	93		48835	
4-	2004-05	183209	183209	96038	87171	0	100		58404	
5-	2005-06	186873	186873	97959	88914	0	100		59573	
6-	2006-07	190611	190611	99918	90693	0	100		60764	
7-	2007-08	194423	194423	101917	92506	0	100		61979	
8-	2008-09	198311	198311	103955	94356	0	100		63219	
9-	2009-10	202278	202278	106034	96244	0	100		64433	

वर्ष 2001 से 2010 तक परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का लक्ष्य इस आधार पर रखा गया है कि वर्ष 2004-05 में एन0 ई0 आर0 100 तक पहुंच गया तथा

उसके बाद भी एन0 ई0 आर0 100 बना रहे।

### उद्देश्य के लक्ष्य -

सर्वा शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला मुशरफाबाद की स्तान संरचना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत उद्देश्य रखा गया है। तदनुसार प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जो वर्षवार निम्नवत हैं -

सारणी 4.5

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप की दर	उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट की दर
2000-2001	59	32
2001-2002	52	28
2002-2003	45	24
2003-2004	35	20
2004-2005	25	16
2005-2006	15	12
2006-2007	5	8
2007-2008	0	4
2009-2010	0	0

वर्ष 2000 - 2000 में ड्रॉप आउट रेट 59 प्रतिशत को 2006-07 में 05 प्रतिशत तथा 2007-08 में 0 प्रतिशत तक लाया जायेगा।

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद में ड्राप आउट के सम्बन्ध में हुई प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर को तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक-पृथक कोहोट स्टडी करायी जायेगी।

ड्राप आउट रेट के आधार पर धारण का लक्ष्य निम्नवत अप्रक्षत है।

सारणी 4.6

क्र.सं०	वर्ष	प्राथमिक विद्यालय में धारण की दर	उच्च प्राथमिक विद्यालय में धारण की दर
1-	2001-02	41	68
2-	2002-03	48	72
3-	2003-04	55	76
4-	2004-05	65	80
5-	2005-06	75	84
6-	2006-07	85	88
7-	2007-08	95	92
8-	2008-09	100	96
9-	2009-10	100	100

धारण ड्राप आउट को कम होने पर धारण के उसी प्रतिशत में वृद्धि होगी धारण 2007-08 में 100 प्रतिशत किया जायेगा।

सारणी 4.7  
सम्प्राप्ति स्तर का लक्ष्य  
(मध्यमान प्रतिशत)

क्र० सं०	कक्षा-1	भाषा				गणित			
		प्रारम्भिक मूल्यांकन		मध्य स्तरीय मूल्यांकन		प्रारम्भिक मूल्यांकन		मध्यस्तरीय नूल्यांकन	
	सत्र	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1-	2001-02	54.1	52.7	74.4	72.42	40.79	38.36	85.9	88.13
2-	2001-02	55.0	52.9	75.0	74.00	41.00	39.00	86.0	89.00
3-	2002-03	56.0	53.4	76.0	75.00	41.00	39.00	86.0	90.00
4-	2003-04	57.0	54.0	76.0	77.00	42.00	40.00	87.0	90.00
5-	2004-05	58.0	54.0	78.0	78.00	42.00	40.00	88.0	91.00
6-	2005-06	59.0	55.0	79.0	79.00	43.00	41.00	89.0	91.00
7-	2006-07	60.0	56.0	79.0	79.00	43.00	41.00	90.0	92.00
8-	2007-08	60.0	56.0	80.0	80.00	43.00	42.00	91.0	92.00
9-	2008-09	60.0	57.0	81.0	81.00	44.00	43.00	92.0	93.00
10-	2009-10	61.0	57.0	82.0	82.00	44.00	43.00	93.0	93.00



क्र.सं.	कक्षा-1	भाषा				गणित			
		प्रारम्भिक नूल्यांकन		मध्य स्तरीय नूल्यांकन		प्रारम्भिक नूल्यांकन		मध्यस्तरीय नूल्यांकन	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1-	2001-02	42.45	42.88	61.07	68.53	33.9	34.1	51.48	53.16
2-	2001-02	43.00	43.00	62.00	69.00	34.00	35.0	52.00	53.00
3-	2002-03	43.00	43.00	64.00	70.00	34.00	36.0	54.00	55.00
4-	2003-04	44.00	44.00	66.00	71.00	35.00	37.0	56.00	57.00
5-	2004-05	45.00	44.00	68.00	72.00	36.00	38.0	58.00	59.00
6-	2005-06	46.00	45.00	70.00	73.00	37.00	39.0	60.00	61.00
7-	2006-07	47.00	46.00	72.00	74.00	38.00	40.0	63.00	64.00
8-	2007-08	48.00	47.00	74.00	76.00	39.00	41.0	66.00	67.00
9-	2008-09	49.00	48.00	76.00	77.00	40.00	42.0	70.00	70.00
10-	2009-10	50.00	49.00	78.00	78.00	41.00	43.0	74.00	74.00

वर्षवार समग्रता का लक्ष्य निर्धारित किया गया उपरोक्त सारणी में कक्षा 1 व कक्षा 4 में भाषा व गणित का लक्ष्य प्रक्षेपित किया गया है वर्ष 2001-02 के

कक्षा 1 में बालक 54.1 तथा बालिकाओं में 52.7 प्रारम्भिक नूल्यांकन के अध्ययन में पाया गया यह स्तर मध्यस्तरीय नूल्यांकन में कमश 74.4 व 72.42

प्राप्त पाया गया इसी को आधार मानकर अग्रिम वर्षों में वर्षवार यह लक्ष्य प्रक्षेपित किया गया है।

इस प्रकार अन्य विषयों एवं अन्य कक्षाओं में प्रारम्भिक तथा मध्यस्तरीय मूल्यांकन करया जायेगा तथा प्रारम्भिक मूल्यांकन को आधार मानकर लक्ष्यों में संशोधन किया जायेगा इसी प्रकार 30 प्रा० वि० में सम्प्राप्ति का लक्ष्य समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा।

#### सामाजिक एवं जेन्डर गेप -

सारणी 4.7 में प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं जेन्डर गेप प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 2001-02 में 43.80 महिला नामांकित हैं तथा कुल बच्चों में 27.95 प्रतिशत अनुसूचित जाति के बच्चे नामांकित हैं अनु० जाति की बालिकाओं का प्रतिशत भी लगभग 43 प्रतिशत है इस प्रकार जेन्डर गेप 7 प्रतिशत से कम करके 0 प्रतिशत तक 2005 तक लाया जायेगा तथा सामाजिक गेप को भी 0 तक लाया जायेगा इसी प्रकार 30 प्राथमिक विद्यालयों की ही स्थिति है वर्ष 2001-02 में 44 प्रतिशत बालिका नामांकित इस प्रकार जेन्डर गेप 6 प्रतिशत का है तथा 15.28 प्रतिशत एस० सी० छात्र/छात्रा नामांकित हैं एस० सी० छात्राओं का नामांकन का प्रतिशत 33.76 प्रतिशत है एस० सी० जाति में जेन्डर गेप लगभग 16 प्रतिशत है इसको भी कम करके शून्य प्रतिशत तक 2006-2007 तक लाया जायेगा।

शैक्षिक एवं सामाजिक सेवा (प्रारम्भिक स्तर)

वर्ष 2001-02

सारणी संख्या 4.8

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	कुल नामांकन संख्या 6-11 आयु वर्ग			कुल नामांकन एस.सी. सी.टी. 6-11 आयु वर्ग			प्रतिशत बालिका का	प्रतिशत एस.टी.	प्रतिशत बालिकाओं
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग			
1-	मन्दावी	16856	12711	29567	5807	5693	11500	42.99	38	49.50
2-	मूढागण्ड	16743	11648	28391	2910	1958	4968	41.02	17.43	39.41
3-	भगतपुर टाण्डा	18815	15618	34433	4203	3255	7463	45.35	21.67	43.67
4-	छजलट	18695	14789	33484	4651	4420	9271	44.16	13.20	47.67
5-	शंकरपुर	16253	14142	30395	3911	3731	7642	46.52	25.14	48.82
6-	डिडाडा	16931	10343	27274	3410	2748	6158	37.92	22.57	44.62
7-	विलारी	15402	11508	26910	4988	3025	8011	42.76	29.37	37.76
8-	कुन्दरजी	14592	12717	27309	3680	3045	6725	46.56	24.62	45.27
9-	बनियाखुडा	16880	12502	29382	7491	5305	12796	42.54	43.55	41.45
10-	बहजौर	11305	3152	19457	2829	2095	4924	41.89	16.75	42.54

संगणक	16550	13644	30194	6109	4752	10841	45.18	35.90	43.64
संगणक	13580	9528	25105	6259	4017	10250	33.59	36.43	39.16
संगणक	14823	10628	25451	4549	3514	8063	41.75	31.63	43.55
संगणक	212425	157930	370355	61070	47538	108608	42.54	29.32	43.77
संगणक	23461	24628	48389	6153	4424	10577	51.21	21.99	41.82
संगणक	10923	8757	19578	1417	1210	2627	44.50	13.34	46.06
संगणक	5000	5010	10310	1970	1513	3483	50.00	34.79	43.43
संगणक	39384	38395	77779	9540	7147	16687	49.36	21.45	42.82
कुल संगणक	251809	196325	448134	70610	54685	125295	43.80	27.95	43.64

संगणक - विभागीय आंकड़े

सोमेश्वर तालुका सामाजिक न्याय (उच्च प्राथमिक स्तर)

वर्ष 2001-02

सारणी संख्या 4.9

क्र. सं.	ग्रामांचे नाव	कुल नागरिकांची संख्या 6-11 वर्षांच्या			कुल नागरिकांच्या संख्या 6-11 आठवडी			प्रतिशत बालिका सैन	प्रतिशत संखे	प्रतिशत बालिकासैन
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग			
1-	मुरादाबाद	6286	5013	11299	1208	600	1808	44.36	15.93	33.21
2-	मुढामाण्ड	6529	4956	11485	396	134	530	43.85	2	25.24
3-	भगतपुर टाण्डा	6703	5029	12332	1094	548	1642	45.66	13.31	33.3
4-	छत्रालय	6895	5473	12368	1204	471	1675	44.25	13.54	28.1
5-	दाकुरवाडी	7077	5046	12123	2173	867	3040	41.62	25.05	28.5
6-	दिलारा	575	4149	9924	1080	511	1591	41.85	16.03	32.1
7-	दिलारा	4541	3992	8533	955	250	1205	46.67	14.03	20.7
8-	गुण्डरडी	6921	5385	12306	1136	556	1692	45.95	13.21	32.8
9-	बनियारखडा	7011	4661	11672	666	434	1300	39.93	11.13	33.38
10-	दरजाई	4352	3834	8236	1326	600	1926	47.15	23.33	31.1

11-	सिंहल	9023	7422	16445	1265	1019	2304	45.51	14.01	44.22
12-	मल्ल	6035	4337	10072	960	710	1690	40	16.77	42
13-	असमाल	5399	3902	9301	951	611	1562	41.95	16.79	39.1
	यस वि. सं.	82527	64049	146576	14652	7311	21963	43.69	14.93	33.28
14-	सुनुवार	6062	3054	14116	2195	1219	3414	57	24.13	35.7
15-	सिंह	4223	2997	7220	102	53	155	41.5	2	34.1
16-	सुनुवार	2760	1970	4730	530	323	853	41.64	18.13	33.2
	सुनुवार	13045	13021	26066	2827	1600	4427	49.95	16.93	36.1
	सुनुवार	95572	77073	172642	17479	8911	26390	44.64	15.23	33.76

सांत - विभागीय आकडे

## अध्याय — 5

### समस्याएं एवं रणनीति

मुद्रादायक जनपद में यहाँ शिक्षा अभियान के नियोजन की प्रक्रिया विकेंद्रीकृत रूप में तथा समुदाय की सहभागिता प्राप्त करते हुये अपनायी गयी है जिसमें ग्राम स्तर, वस्ती स्तर, ज्वाग संघागत स्तर, जनपद स्तर पर शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों, समुदाय के विभिन्न वर्गों, शिक्षकों, ग्राम प्रधानों, जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों, प्रविशिक शिक्षक सभ, माता शिक्षक सभ, स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि में समूह चर्चा की गयी। समूह चर्चा में प्राप्त विचारों का विश्लेषण करने के पश्चात उपलब्ध सुविधाओं एवं संसाधनों के सम्बन्ध में व्यावहारिक एवं संतुलित रणनीति तैयार की गयी है। इस रणनीति के अन्तर्गत छात्र भ्रमणों के अनुमति में शिक्षकों की नियुक्ति, नवीन भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण, क्षीण भवन का पुनः निर्माण, शौचालयों का निर्माण, पंच जल व्यवस्था हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना, आवश्यकतानुसार विद्यालयों की चाहर दीवारी का निर्माण, विद्यालयों का सौंदर्यीकरण एवं सुदृढीकरण, आकर्षक शैक्षिक वातावरण तैयार करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त-स्कूलों के बाहर के स्त्री बच्चों की शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनके लक्ष्यता एवं झुप आउट दर कम करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

समय-समय पर तथा विभिन्न स्तरों पर सम्पन्न फोकस ग्रुप डिस्कशन के उपरान्त संज्ञान में आयी समस्याओं के निवारण एवं समाधान हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अपनायी गयी रणनीति निम्नवत है —

1- शिक्षा के प्रति अभिभावकों में जागरूकता का अभाव -

आज का अभिभावक शिक्षा को रोजगार से जोड़ना चाहता है। जबकि शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है न कि केवल रोजगार उपलब्ध कराना। इस स्थिति से निवटने के लिए अभिभावकों की इस सोच को बदलने के लिए आम शिक्षा समिति, अभिभावक माता शिक्षक संघ तथा जागरूक व्यक्तियों के सहयोग से गोष्ठियों का आयोजन करके विचारों के आदान-प्रदान द्वारा अपेक्षित लक्ष्य की पूर्ति की जायेगी।

2- शिक्षा जीविकोपार्जन का साधन नहीं -

समाज की सेवा में बदलाव हेतु उच्च प्राथमिक विद्यालयों को व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ने का प्रावधान किया जा रहा है। इन विद्यालयों में से यामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के छात्र/छात्राओं को उपलब्ध सुविधाओं के अन्तर्गत पर' सिलाई, बुनाई, काटाई, फल संरक्षण, गेहरी आर्ट, फाइन आर्ट, वूटी पार्सर, गटाई निर्माण, कर्षण का सामान, सूट का सामान, कपड़े के रंग, चाक निर्माण, सोमवल्ली निर्माण, चते के डिब्बे का निर्माण स्थानीय कापट सिखाने के लिए विद्यार्थक कोर्स प्रारम्भ करने का प्रावधान है। इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था, भरभराए एवं कच्चे सामान के लिए विद्यालय अनुदान द्वारा व्यवस्था करने का प्रावधान है।

3- अध्यापक पर अन्य विभागों के कार्यों का अतिरिक्त बोझ -

इस समस्या के समाधान के लिए यह प्रयास किया जायेगा कि अध्यापकों से विशेष परिस्थितियों में केवल राष्ट्रीय महत्त्व के कार्य ही कराये जायें। अध्यापकों



को शिक्षण कार्य के लिए पूरी तरह जवान देह एवं पूर्ण उत्तदायी बनाया जायेगा। बच्चों के विकास में शिक्षकों की अहम भूमिका सुनिश्चित की जायेगी। अध्यापक द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों को संचालित न करने में उराकी सेवा पंजीका में वार्षिक प्रतिकूल प्रविष्टि करने का प्रावधान किया जायेगा।

#### 4- विद्यालय में भौतिक संसाधनों का अभाव -

इस समस्या के समाधान हेतु छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण, पेय जल व्यवस्था, शौचालय निर्माण, चाहर दीवारी निर्माण, फर्नीचर विजली आदि की व्यवस्था प्रस्तावित की जायेगी। इसके साथ-साथ उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के बैठने के लिए फर्श एवं तालड़ी के फर्नीचर की व्यवस्था किने जाने की योजना है।

#### 5- बच्चों की व्ययक्तगत रुचि में कमी -

बच्चों के टहरान एवं झुम आउट दर रोकने के लिए तथा शिक्षा में रुचि उत्पन्न करने के लिए आकर्षक पुस्तकों का मुद्रण, रुचि पूर्ण पाठ्यक्रम, खेल-खेल में शिक्षा, शक्ति अभ्यास, मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था, संगीत कला तथा पॉपुलर साधनाधी विद्यालयों के आयोजन की व्यवस्था की जा रही है।

#### 6- छात्रों की निर्धारित वेशभूषा -

छात्र/छात्राएं विद्यालय में अध्ययन हेतु निर्धारित गणवेश में उपस्थित हो सकें इसके लिए ग्राम शिक्षा समिति, अभिभावक शिक्षक संघ, माता-शिक्षक संघ तथा

स्थानीय नागरिकों की सहभागिता से एक समान गणवेश में विद्यालय में आने के लिए प्रयास किये जाने की योजना है।

7- शिक्षण सामग्री का अभाव -

विद्यालय में शिक्षण सामग्री की व्यवस्था के लिए तथा वातावरण को आकर्षक बनाने के लिए शिक्षकों को अपनी आवश्यकतानुसार अपनी शिक्षण सामग्री क़य करने हेतु प्रतिशिक्षक, प्रतिवर्ष 500 रू० शिक्षक अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया जायेगा एवं शिक्षक विषय वस्तु के अनुसार शिक्षण अधिमान सामग्री का निर्माण छात्रों की सहायता से करवायेंगे।

8 - गरीबी के कारण छात्रों पर पाठ्य पुस्तकों का अभाव -

इस समस्या के निवारण हेतु, बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत व्यवस्था ही जायेगी।

- अध्यापकों की उपस्थित सुनिश्चित करना -

शिक्षक पर अन्य विभागों का कार्य अधिक होने के कारण तथा शैक्षिक सूचनाओं में संकलित करने में समय लगने के कारण विद्यालय में कम रहते हैं। इसलिए शैक्षिक सूचनाओं को तथा विभागीय सूचनाओं को विकास खण्ड स्तर पर कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा जिससे एक ही काम के लिए शिक्षक का समय बार-बार बर्बाद न हो। अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी

निरीक्षण का प्राविधान किया जायेगा इस कार्य में ग्राम शिक्षा समिति को भी क्रियाशील किये जाने की योजना है।

10- सतत मूल्यांकन का अभाव --

शैक्षिक गुणवत्ता की संप्राप्ति हेतु सतत एवं प्रभावी मूल्यांकन की योजना का प्राविधान है मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन किया जायेगा। मूल्यांकन के उपरान्त प्राप्त परिणामों के आधार पर निम्न एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अतिभावकों से सम्पर्क किया जायेगा। साथ-साथ विद्यालय में भी अतिरिक्त समय देकर उनके शिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। विद्यालय में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले अथवा कक्षा में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मान्य नागरिकों/शिक्षा-अधिकारियों के द्वारा पुरस्कृत करवाया जायेगा।

11- शैक्षिक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में कमी --

विद्यालयों की शैक्षिक स्थिति तथा दूर करने हेतु प्राचार्य, विशिष्ट प्रवक्तागण, डायरेक्टर, पी० एन० ए०, ए० वी० एस० एस०, एस० डी० आई०, पी० आर० सी० सी०, ए० पी० आर० सी० सी०, एन० पी० आर० सी० सी० द्वारा समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था का प्राविधान है। निरीक्षण कर्ता/पर्यवेक्षक शैक्षिक वातावरण स्थापित कराने में अपना निरन्तर सहयोग भी प्रदान करते रहे इसके लिए मासिक बैठकों का आयोजन अधिकारिक स्तर पर किया जायेगा जिसमें समस्याओं के निदान में अधिकारियों की सार्थक भूमिका निर्धारित की जा सके।

12-- विशेष आवश्यकता वाले अथवा विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था -

विभाग द्वारा विकलांग बच्चों का सर्वे कराकर सूचना प्राप्त की गयी है जिन बच्चों को किसी उपकरण की आवश्यकता है उनके बारे में ए० डी० पी० आई० को सूचित किया जायेगा। श्रवण हीनता, अस्थि विकलांगता, मन्द बुद्धिता आदि प्रकार के बच्चों का प्रतिवर्ष सर्वे कराकर विभिन्न माध्यमों से तथा जन सहयोग से उनके उपकरण उपलब्ध कराये जाने की योजना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति मृदु व्यवहार, सरल एवं सहज भाव से शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किये जाने का प्रावधान है।

13- बाल श्रमिकों हेतु शिक्षा की व्यवस्था -

बाल श्रमिकों की समस्या के समाधान हेतु 6-14 वय आयु वर्ग वाले बच्चों जो श्रमिक हैं उनके अभिभावकों से सम्पर्क कर शिक्षा के प्रति जागरूक बनाया जायेगा। श्रम विभाग के माध्यम से शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाया जायेगा तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों पर रात्रिकालीन कक्षाओं की व्यवस्था करायी जायेगी। ऐसे बाल श्रमिक छात्रों को पढ़ाने के लिए अलग से शिक्षकों को प्रशिक्षित किये जाने की योजना है। प्रतिवर्ष बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण कराया जायेगा तथा उनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उनकी रुचि एवं आवश्यकतानुसार वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों/नवाचार शिक्षा केन्द्रों पर उनके शिक्षण की योजना प्रस्तावित है। इसके साथ-साथ यह प्रयास किया जायेगा कि बाल श्रमिक प्रत्येक स्थिति में शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े इसके लिए ग्रिज कोर्स, समर कैंप आदि का भी प्रावधान किया जायेगा।

### 14- अवकाशों की अधिकता

यद्यपि विभाग द्वारा अवकाशों पर अंकुश लगाने का पूर्ण प्रयत्न किया गया है। अवकाशों को कम करने के लिए समय विभाग चट्ट, एवं राष्ट्रीय पर्वों पर पूर्ण समय तक विद्यालय में शिक्षक की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी। इस कार्य में निरीक्षक एवं पर्यवेक्षक एवं ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग लिया जायेगा साथ ही यह अनिवार्य किया जायेगा कि प्रत्येक अध्यापक को निर्धारित समय से पूर्व निर्धारित अवकाश पूर्ण करना है इसके साथ-साथ फर्जी अवकाशों पर अंकुश लगाने की योजना है।

### 15- नामांकन सम्बन्धी समस्या -

शत प्रतिशत नामांकन प्रा० वि० में सन् 2001 तक तथा 30 प्राथमिक विद्यालयों में 2010 तक का लक्ष्य रखा गया है। शत प्रतिशत नामांकन हेतु ग्राम शिक्षा समिति, अभिभावक शिक्षक संघ, माता शिक्षक संघ तथा जन प्रतिनिधियों के सहयोग के साथ-साथ नुमांकड नाटक/गोष्ठियों/कलाकृत्यों/दृश्य-श्रव्य सामग्री आदि का प्रदर्शन किया जायेगा।

### 16- ग्रामीण क्षेत्र में परिशदीय एवं मान्टेसरी स्कूलों की तुलना -

अधिकाधिक बच्चे, परिशदीय विद्यालयों में अपना नामांकन कराये इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों को आकर्षक बनाने के लिए निर्धारित शिक्षण सामग्री, फर्नीचर, खेल-बोर्ड, आकर्षक खेल सामग्री आदि के लिए धनराशि की व्यवस्था करना आवश्यक है तथा शिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित करने की योजना है ताकि

ग्रामवासी परिषदीय विद्यालयों के छात्रावरुण एवं मान्टेसरी स्कूल में कोई अन्तर न माने।

17- सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ापन -

वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है उपजाऊ भूमि परिवार की सदस्य संख्या के अनुपात में कम है इस लिये ग्रामीण समाज पिछड़े पन का शिकार है। इस समस्या को दूर करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति बाल विकास परियोजना, महिला मण्डल दल ए० एन० एम० एवम् अन्य जागरूक स्वयं सेवी संघटनों के सहयोग से अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी। तथा समाज की सोच में बदलाव लाने के लिये जन चेतना के सभी प्रयास किये जायेंगे।

18- छात्र संख्या के सापेक्ष अध्यापकों की कमी --

इस समस्या के समाधान के लिये ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से शिक्षण समस्या ठीक की जायेगी 40 : 1 पर अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जायेगी। 30 प्रा० विद्यालयों में विषय अध्यापक नियुक्त किये जायेंगे। अधिक जन संख्या वाले गांव में 30 प्रा० व प्रा० विद्यालय एक ही भवन/स्थान पर खोले जाने का प्राविधान है। इस व्यवस्था में 30 प्रा० विद्यालय का प्रा० अध्यापक कक्षा एक से आठ तक सम्पूर्ण व्यवस्था का एक ही समय विभाजन तक से विद्यालय संचालन करेगा।

19- असेवित/मलिन बस्तियों में विद्यालयों का न होना -

जन-जन तक शिक्षा पहुंचाने के लिये 1.5 कि० मी० तथा 300 की आबादी वाले गांवों/बस्तियों में प्रा० विद्यालय/शिक्षा घरों/बाल शालाओं की व्यवस्था की

जायेगी। 6-8 आयु वर्ग के 30 बच्चा म एक 1क0 मी0 विद्यालय से दूरी के मानक पर ई0 जी0 एस0 केन्द्र खोले जायेगे तथा 9-14 वर्ग के बच्चों के लिए ए0 टी0 ई0 केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। नगर क्षेत्र में विद्यालय दो पार्श्वों में बलाये जायेगे। कम बच्चों वाले विद्यालयों को असेवित/मलिन वस्तियों में स्थानान्तरित किया जायेगा तथा प्रथम वर्ग में 3 कि0 मी0 और 800 की आयुर्दी वाले समूह में 30 प्रा0 विद्यालयों की स्थापना की जायेगी तदोपरान्त यह प्रयास किया जायेगा कि दो प्राथमिक विद्यालयों के मध्य एक 30 प्रा0 विद्यालय की स्थापना की जाये।

#### 20- सामाजिक कठिनाइयाँ -

शिक्षा को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाने के लिये नदी, झरने, जंगल आदि समाधान उत्पन्न करते हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिये मानक के अनुसार शिक्षा गारन्टी योजना एवं वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा केन्द्र खोल-कर शिक्षा से वंचित बच्चों की शैक्षिक सुविधा प्रदान की जायेगी और बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।

#### 21- शिक्षक की योग्यता व्यवहार कुशलता एवं व्यक्तित्व -

परम्परागत पाठ्यक्रम को बदलकर नया पाठ्यक्रम कुछ जटिल है इसकी शिक्षण पद्धति भी आधुनिक है इस समस्या के समाधान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षणों के माध्यम से यह प्रेरित किया जायेगा कि वह छात्रों के प्रति व्यवहार में कोमलता महुरता लाये तथा विषय वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण हो। शिक्षक को सामुदायिक सहभागिता हेतु व्यवहार कुशल बनना ही होगा। इस प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगे।

22- अध्यापको की शिक्षण में अरुचि -

इस समस्या के निदान हेतु विषय वस्तु आधारित प्रतियोगितायें आयोजित की जायेगी तथा शिक्षको में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी वह अपना स्वाध्याय करेगा। प्रशिक्षणोपरान्त वस्तु निष्ठ परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसमें 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने का प्राविधान है।

23- शैक्षिक गुणवत्ता का कम प्रतिशत -

शैक्षिक गुणवत्ता की सम्प्राप्ति हेतु मानक के अनुसार विद्यालय में शिक्षको की नियुक्ति 30 प्रा० विद्यालय में विषय अध्यापको की नियुक्ति प्रस्तावित है ताकि शिक्षा विभाग में उपलब्धि के नाम पर अधिक से अधिक गुणवत्ता की सम्प्राप्ति हो।

24- शिक्षक अभिभावक बालको में सामंजस्य का न होना -

अभिभावको का निरन्तर अध्यापक से सन्तर्क बना रहे इसलिये त्रैमासिक अभिभावक सम्मेलन कराया जायेगा, जिसमें वाम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक सघ माता/अभिभावक सघ आदि के सदस्य सक्रिय भूमिका अघनाते हुए तीनों घटकों में सामंजस्य स्थापित करने के सर्वांक उपाय करेंगे इन सम्मेलनों में समस्याये भी पूछी जायेगी तथा निदान के उपायो पर सुझाव आमन्त्रित किये जायेंगे।



25 - सक्रिय सामाजिक सहभागिता का अभाव -

ग्राम शिक्षा समिति अथवा ग्राम पंचायतने ग्राम में परिपक्वीय विद्यालयों के प्रति समाज की सकाशात्मक सोच उत्पन्न करने के लिए निरन्तर अभियान को के सम्पर्क रखेगी तथा विद्यालयों का सतत मूल्यांकन भी किया जायेगा। सामाजिक सहभागिता के लिये ग्रामों के बुद्धि जीवी लोगों की सहभागिता ली जायेगी ताकि विद्यालय के परिवेश को घरेलू परिवेश की संज्ञा दी जा सके। ग्रामवासियों के सहयोग से स्कूली बच्चों में शुधार हेतु, नगवेश स्वच्छता अनुशासन, विद्यालय परिसर का रख रखाव एवं सजा सज्जा दी जायेगी। कर्मचारियों के ग्राम में कार्य के विरहित लोगों की मदद ली जायेगी। विद्यालय की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए समय-समय पर ग्राम के सम्मानित नागरिकों को आमन्त्रित किया जायेगा तथा विज्ञान नोटिषों का आयोजन किया जायेगा।

26- खेलकूद के लिये पर्याप्त सामग्री का अभाव -

खेलकूद की उचित व्यवस्था हेतु विद्यालयों में खेल सामग्री का अभाव प्रस्तावित है तथा ग्राम सम, पंचायत के माध्यम से मदान विहीन विद्यालयों में सार्वजनिक स्थान पर खेलकूद की व्यवस्था का प्राविधान किया जायेगा। की० पी० एड०/सी० पी० एड० परिशिष्ट शिक्षकों के माध्यम से खेलकूद के लिये अलग समय देने की योजना बनायी जा रही है।

27 - विद्यालयों का वातावरण आकर्षक न होना -

परम्परागत शिक्षण पद्धति को न अपना कर अध्यापकों को आधुनिक शिक्षण पद्धति के अनुरूप शिक्षण करने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। बच्चों की समूह,

में बैठाना, चर्चा करवाना, शिक्षण सामग्री तैयार करवाना, वृक्षारोपण, कृषि जागवानी  
सामुदायिक कार्य आदि सम्पन्न कराके जायेंगे।

23- पाठ्यक्रम जटिल हैं अध्यापकों में अज्ञातता है -

निरन्तर बदलते परिवेश में नये पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पाठ्य पुस्तकों में  
बदलाव आ रहा है। कुछ पाठ/अध्यास/विषय वस्तु आदि ऐसी हैं जिन की हाई  
स्कूल/इण्टर स्तरता वाली अध्यापक या अग्रशिक्षित अध्यापक नहीं पढ़ सकते इस  
लिए उच्च स्तरता शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है इसके अतिरिक्त  
आरट/बी० आर० सी० सी० के माध्यम से अध्यापकों के लिये पुर्न स्तरतात्मक  
प्रशिक्षण की व्यवस्था का प्रावधान है।

उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त समय-समय पर बायोमिडिच विचार  
संशोधनों/सामूहिक विचार विमर्श के बाद राज्याय में आयी समस्याओं के बारे में  
आवकशी प्राप्त कर निवारण हेतु प्रयास किये जायेंगे।

## अध्याय-6

### शिक्षा की पहुँच का विस्तार - (नवीन औपचारिक विद्यालय)

उत्तर प्रदेश मुसलमानों के लिए प्रथम श्रेणी के कार्यक्रम (ईओ पीओ ईओ पीओ द्वितीय) से प्राथमिक शिक्षा के अभाव में रहने वाले बच्चों को प्रथम श्रेणी में वर्ष 97-98 से सम्मिलित है। इस योजना के द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रथम विद्यालयों में वर्तमान निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध करायी गयीं -

सारणी 6.1

क्र. सं.	विवरण	1997-98	98-99	99-2000	2000-01	2001-02
1	नवीन विद्यालय		68			165
2	भूत निर्माण		36			
3	शौचालय		431			
4	अतिरिक्त कक्षा कक्ष		103			
5	पुस्तकालय		95			
6	विद्युत		103			

स्रोत - जीओ पीओ ईओ पीओ कार्यालय से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर

उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यापक प्रशिक्षण, ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण तथा 98-99 में 50 एवं 99-2000 में 110 शिक्षा केंद्रों का संचालन किया गया। वर्ष 97-98 में जीओ ईओ आर 72.03

न० ई० आर० 54.88 शू। एन० आई० एस० से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह गटकर कमशः 94.11 तथा 81.19 हो गया।

नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना -

गुरादाबाद जनपद में जि० प्रा० शि० कार्यक्रम से अन्तर्गत 233 चिह्नित असेवित वस्तियों में प्रा० विद्यालय खोले जा चुके हैं परन्तु इन वस्तियों में सरासरी उपलब्धता न होने के कारण अभी भी ऐसी 174 असेवित वस्तियाँ हैं जिनमें मातृक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है। फोकस ग्रुप डिस्कशन एवं वर्तमान प्रयोग के आधार पर निम्नलिखित वस्तियों की संख्या निम्नवत् है। जिनकी संख्या 300 से अधिक है। तथा 1.5 किमी० परिधि में कोई प्रा० विद्यालय उपलब्ध नहीं है। त्वाकवार नवीन प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता निम्नवत् है -

सारणी 6.2

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	300 से अधिक आबादी एवं (1.5 किमी० दूर विद्यालय) वस्तियों की संख्या
1-	गुरादाबाद	07
2-	गूढाबाण्ड	18
	भगतपुर टांडा	16
	छजलैट	09
	दाकुंधारा	17
	डिलारी	10

7-	विलासि	10
8-	कुन्दरकी	10
9-	बनियारखडा	12
10-	बहजोई	15
11-	सम्भल	14
12-	पवासा	24
13-	असमोली	06
14-	सम्भल शहर	—
15	कदीरी शहर	—
16	मुरादाबाद शहर	—
	योग	174

उपरोक्त सारणी में 25 प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता पर 76 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता प्रस्तावित है।

उपरोक्त सारणी में आधार पर सम्भल विकास खण्डों पर 174 असेवित विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं इसलिए चर्चा शिर्षा अभियान के अंतर्गत 174 खोले जाने का 2002-2003, 2003-04 में कमशः 35 एकम् 3-5 प्राथमिक विद्यालय खोले जाने प्रस्तावित है।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना -

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के खोलने के लिए के आधार 319 ऐसी बरितियां प्रस्तावित की जावनी है। जो से अधिक है तथा 3 विन्डो की परिधि में 30-30 विद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। विकास खण्डवार विवरण सारणी 6.4 में अंकित है। चर्चा शिर्षा अभियान में प्रत्येक दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना यदि की जाये तो आकलन के अनुसार 602 की आवश्यकता ज्ञाते परन्तु सारणी 6.4 के आधार पर 319 ऐसी असेवित बरितियां चिन्हित की गयी है जहां 30 प्रा० वि० की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः 300 उ० प्रा० वि० खोले जाने प्रस्तावित है।

सारणी 6.3

क्र.सं.	विवरण	प्राथमिक	उच्च	योग
1	कमशर्त परिपक्व प्राथमिक विद्यालय	1559	153	1712
2	अनुप्राप्त परिपक्व प्राथमिक विद्यालय	174	-	174
3	वर्तमान अनुपात में प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालय	686	19	885
4	वर्तमान में उपलब्ध उच्च प्राथमिक विद्यालय	186	19	205
5	वर्तमान अनुपात से उच्च प्राथमिक विद्यालय आवश्यकता	686	=	686
6	वर्तमान वित्त आयोग से स्वीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालय कुल आवश्यकता	602		602

2001-02 में 30 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण वर्ष 2002-07 में 120 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण होना प्रस्तावित है, सन् 2001-02, 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 में क्रमशः 20, 80, 100 एवं 100 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण प्रस्तावित है।

विकास खण्डवार असेचित बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है तथा 3 किमी० की परिधि में उ० प्रा० विद्यालय उपलब्ध नहीं है

सারণी 6.4

क्र० सं०	ब्लाक का नाम	उच्च प्राथमिक वि० खोलने हेतु असेचित बस्तियों की सं० जिनकी आबादी 800 से अधिक तथा 300 किमी० की परिधि में विद्यालय नहीं है।
	मुसादाबाद	11
2	मूढामण्ड	30
3	भगतपुर टाडा	30
4	छजलेट	17
5	दाकुरदाश	26
6	डिलारी	14
7	विलारी	15
8	कुन्दरकी	20
9	बनियाखोडा	25
10	बहोई	21
11	सामल	32
12	पन्नास	31
13	अरामोली	30
14	सामल शहर	30
15	बन्दीरी शहर	
16	मुसादाबाद शहर	
	योग	308

संदर्भ— सं० ग० शिक्षा अधिकारियों के द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।

विद्यालय भवन, शौचालय, पेयजल एवं चाहर दीवारी की व्यवस्था -

सर्वे शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नवीन प्राथमिक विद्यालय में दो कक्षा का निर्माण प्रस्तावित है। तथा छात्र संख्या वृद्धि होने पर अतिरिक्त कक्षा कक्ष प्रस्तावित है। प्रत्येक विद्यालय में छात्र एवम् छात्राओं के लिये पृथक्-पृथक् शौचालय का निर्माण कराया जायेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन में चार कक्ष तथा एक प्रधानाध्यापक कक्षा का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है जो छात्र संख्या में वृद्धि होने पर अतिरिक्त कक्षा कक्षा का निर्माण कराया जायेगा।

विद्यालय प्रांगण को सुरक्षित शौचवर्धक सुरक्षित एवम् वृक्षारोपण के उद्देश्य से चाहर दीवारी का निर्माण कराया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय में स्वच्छ एवम् मृदुल पीने के पानी की व्यवस्था हेतु इंडिया मार्का सेकिन्ट हेन्ड पम्प लगाये जाने का प्रस्ताव अभियान के अन्तर्गत रखा गया है।

निर्माण कार्यवाही संस्था -

सर्वे शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्माण विद्यालय भवनों के निर्माण शौचालय चाहर दीवारी अन्य सभी निर्माण कार्य सामुदायिक सहभागिता को दृष्टिगत रखते हुये एक शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा।

शिक्षकों की व्यवस्था -

प्रत्येक नवीन प्रा० विद्यालय में कम से कम एक अध्यापक तथा एक शिक्षा नियुक्त कराने का प्रबन्धान किया गया है। छात्र संख्या वृद्धि होने पर अध्यापक



संख्या में वृद्धि किया जाना भी प्रस्तावित है। प्रत्येक तृतीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक तथा चार सहायक अध्यापकों सहित कुल पांच अध्यापकों की व्यवस्था की जायेगी जिसको छात्र संख्या वृद्ध होने पर विद्यमानानुसार एवम् मानक अनुसार बढ़ाया जा सकता है। चार उच्च प्राथमिक में से एक विद्यालय एक महिला तथा एक संयुक्त, अंग्रेजी तथा एक उर्दू अध्यापक तथा बालिका विद्यालय को प्राथमिक करने हेतु एक महिला शिक्षक व्यवस्था की जायेगी। अधिसूचनाओं में शिक्षकों की आवश्यकता प्राथमिक विद्यालयों में साक्षरी 2.3 एवम् उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 6.6 में प्रदर्शित है।

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता एवं वर्षवार व्यय विवरण  
सारणी 65

क्र.सं.	वर्ष	परिषदीय कुल शिक्षक	नवीन विद्यालय	18 वर्ष की शिक्षकों की संख्या			वर्तमान कार्यरत शैक्षिक शिक्षक			शिक्षकों की आतिरिक्त आवश्यकता			आतिरिक्त प्रो. प्रो. पर व्यय		अतिरिक्त सहायक अध्यापकों पर व्यय	
				प्रो. प्रो.	प्रो. प्रो.	योग	प्रो. प्रो.	प्रो. प्रो.	योग	प्रो. प्रो.	प्रो. प्रो.	योग	व्यय प्रो. प्रो.	कर्मगत योग	व्यय प्रो. प्रो.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4771-02	205	0	205	205	162	53	148	43	48	43	43	3182	--	--	--
	2002-03	205	183	205	152	194	205	83	134	143	714	337	226	32544	714	35680
	2003-04	205	197	205	196	205	197	152	134	143	640	362	32129	1259	150460	
	2004-05	634	120	634	277	322	634	200	262	120	496	630	482	49008	1733	238560
	2005-06	644	83	644	253	302	644	257	322	33	332	415	565	51360	2070	248500
	2006-07	727	80	727	223	405	727	293	365	30	33	430	645	92880	2390	291500
	2007-08	717	0	717	223	494	717	322	435	0	0	0	645	92880	2390	296200
	2008-09	717	0	717	223	494	717	322	435	0	0	0	645	92880	2390	296500
	2009-2010	717	0	717	223	494	717	322	435	0	0	0	645	92880	2390	296500

टिप्पणी - वर्तमान विद्यालयों की संख्या के आधार पर उपरोक्तानुसार प्रथम वर्ष में मात्र 43 अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिये पूर्ण किया जाना है। यदि आगामी वर्षों में प्रो. प्रो. विद्यालयों के सुलभ के कारण आवश्यकता प्रदर्शित की नहीं है जो पशुच के विवरण में ही अध्यापकों की नियुक्ति कर पूर्ण कर ली जायेगी।

परिपटीय प्रथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

सारणी 8.266

क्र. सं.	वर्ष	परिपटीय कुल नामांकित बच्चे	वर्तमान स्वीकृत पद शिक्षक	वर्तमान स्वीकृत पद शिक्षक	शिक्षक शि. मि. मि. मि. 4+5	40:1 का दर से आवश्यकता	कुल	नवीन प्र. शि. के शिक्षकों का योग	आवश्यक अन्य शिक्षक	आवश्यक अन्य शि. मि. मि.	आवश्यक न. भागत योग	आवश्यक शि. भागत योग	कुल शिक्षक 4+10	कुल शि. मि. 5+11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1-	2001-02	298334	5178	629	5807	7458	1651	45	802	801	802	801	5980	1430
2-	2002-03	318421	5993	1130	7116	7961	1331	110	200	201	1002	1002	6180	1631
3-	2003-04	345242	6180	1631	7811	8631	110	110	335	335	1337	1337	6515	1960
4-	2004-05	362578	6515	1966	8481	9064	583	0	292	291	1629	1628	6807	2257
5-	2005-06	369829	6807	2257	9064	9246	182	0	91	91	1720	1719	6898	2348
6-	2006-07	377226	6898	2348	9248	9431	185	0	92	93	1812	1812	6990	2441
7-	2007-08	384770	6993	2441	9431	9619	189	0	94	94	1906	1906	7081	2535
8-	2008-09	392466	7081	2535	9619	9812	193	0	96	97	2002	2003	7180	2632
9-	2009-10	400315	7180	2632	9812	10008	196	0	98	98	2100	2101	7278	2730





### उपलब्धि एवं विरलक्षणा :-

प्राथमिक विद्यालय के सर्वांगीणिकरण की दृष्टि से इस कार्यक्रम से उपलब्धियां हो रही हैं परन्तु संकल्पनाओं आशाओं के साथ योजना संवाहित की गयी थी लेकिन उससे उचित उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो सकी।

अनीपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रत्येक परियोजना में 100 केन्द्र संचालित किये गये तथा प्रत्येक केन्द्र पर 25 बच्चे सामाजिक करने का लक्ष्य रखा गया इस प्रकार प्रत्येक परियोजना में 2 वर्षों के लिये 2500 छात्र/छात्राओं को सामाजिक करने का लक्ष्य निर्धारित किया उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर इन 2500 छात्र/छात्राओं में से कक्षा-6 की परीक्षा में औसतन 1050 छात्र सम्मिलित हुए सम्मिलित छात्रों में से लगभग 300 छात्र उत्तीर्ण हुए जिनमें से लगभग 25 प्रतिशत छात्रों ने निर्गम प्रमाण पत्र कर कक्षा-6 में 20 प्रतिशत छात्रों ने प्रवेश लिया तथा शिक्षा की मुख्य भाषा से जुड़े इस प्रकार इस कार्यक्रम द्वारा निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धिता नहीं हो सकी तथा शास्त्र लगभग बच्चों का भी आशा के अनुसार मुख्य भाषा से नहीं जोड़ा जा सका।

### जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम --

जनपद मुख्यालय वर्ष 97-98 से 100 बी० ई० पी० से आरम्भित जनपद में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 160 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है जिसमें 60 शिक्षा घर, 20 ग्रहण पाठशाला 10 बालशाला, 20 मक़दम तथा 50 ई० पी० ए० केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 3800 है।

श्री 0 पी0 30 पी0 के अन्तर्गत व जटानुसार दो विकास खण्डों तथा नगर में भी0-वर्गवार वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों संवर्धित किए गए। इन केंद्रों के लिए अनुसंधान, नए बयान परिधान, नमूने परकण पुस्तक, शिक्षा सामग्री की व्यवस्था श्री 0 पी0 30 पी0 के मद से की गयी। सभी विकास खण्डों में योजना केंद्र संवर्धित नहीं हो पाये। जिन आचार्य तथा आकांक्षाओं पर केंद्रों का संवर्धन किया गया उसकी उपलब्धि नहीं हो पाये। हालांकि स्वामी बच्चे वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों में नामांकित ही हुए परन्तु उक्तनी संख्या में मुख्य भाषा से नहीं जुड़ पाये। परियोजना के लक्ष्य के अनुसार वय 90-95 में 50 केंद्र तथा 99-2000 में 170 केंद्रों का संवर्धन किया गया। जिसमें लगभग 4800 बच्चों का नामांकन हुआ उनमें से 1600 बच्चों का नामांकन प्राइमरी विद्यालय में हुआ।

### ई0 पी0 30 ए० ए० (शिक्षा भारती योजना)

ई0 पी0 30 ए० ए० केंद्रों का संवर्धन सभी शिक्षा अधिकांश के अन्दर विभिन्न स्तर साक्षात् 30 पर सभी के द्वारा शिक्षा मा0योग्यता परीक्षा मज लखनऊ में हुआ। जहाँ परीक्षा हुआ तब तक केंद्रों पर 6 से 8 तक के बच्चे परीकृत किए जायेंगे। इन केंद्रों को एक स्तर में संवर्धित किया जायेगा जो संभरे, टीले, बहरी 30 पी0 से 4 कि०मी० की परिधि के आर ओगे तथा नगर स्कूल में जाने वाले 20 बच्चों उपलब्ध होंगे, इन केंद्रों पर कक्षा-01 से 02 तक शिक्षण व्यवस्था हो जायेगी। इन केंद्रों पर एक 1000 रुपया की निधि का परस्ताव रखा गया है। जिसमें कुल 75 केंद्र खोले जाया प्रस्तावित है जो वर्ष 2001-02, 2002-03 में लगभग 25 एवं 50 खोले जायेंगे।

परिवार सर्वेक्षण स्कूल से बाहर बच्चों का विवरण

5 से 6 वर्ष			7 से 10 वर्ष			11 से 14 वर्ष			योग		
बालक	बालिकाएँ	योग	बालक	बालिकाएँ	योग	बालक	बालिकाएँ	योग	बालक	बालिकाएँ	योग
16363	18596	34959	21671	21758	43429	24071	27117	51188	62105	67471	129576

बिहिता बच्चों का कारण

	5 से 6 वर्ष		7 से 10 वर्ष		11 से 14 वर्ष		योग		योग
	बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ	
1. अपने घर के कामों में लगा रहना	3862	4127	13746	14097	12684	12404	30292	30628	60920
2. भाई बहन की देखभाल	3975	5596	5034	0	0	0	90009	5596	14605
3. मजदूरी में लगे रहना	1309	193	1094	587	4032	826	6435	1606	8041
4. विद्यालय दूर होने के कारण	441	359	549	390	739	1482	1729	2231	3960
5. अन्य कारण	6776	8321	1248	6648	6614	12405	14640	27410	42050



## स्कूल चलों अभियान की अद्यतन प्रगति (वर्ष 2003-2004)

क्रम श्री	जनपद	परिवार सर्वेक्षण के दौरान स्कूल जाने वाले विहित बच्चों की संख्या									महा योग	स्कूल जाने वाले बच्चों के सापेक्ष 31.8.03 तक विद्यालय में नामांकित कराये गये बच्चों की संख्या									महा योग
		51 से 61			71 से 101			111 से 141				51 से 61			71 से 101			111 से 141			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	मुरादाबाद	16368	18601	14969	24671	26758	51429	21071	27117	51183	137586	12950	11980	24930	18105	17610	35715	18500	17950	36450	97095

विशेषज्ञ तैरिक्त शिक्षा अधिकारी  
सर्व शिक्षा अभियान, मुरादाबाद

स्कूल से बाहर बच्चों का स्कूल में लाने का लिए रणनीति

कार्य योजना:-

शिक्षा गारन्टी:-

शिक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003 में जनपद मुरादाबाद में 200 केन्द्रों का लक्ष्य है यह सुविधा उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय सुविधा उपलब्ध न होने के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उनको कक्षा 1 व दो की शिक्षा देकर बच्चों का नामांकन औपचारिक विद्यालय में कक्षा 3 में प्रवेश दिलकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा। इन 200 केन्द्रों के माध्यम से लगभग 8000 बच्चों का नामांकन मुख्य धारा में कराया जायेगा।

ई0जी0एस0 का वर्णवार लक्ष्य:-

वर्ष	केन्द्र	अनुमानित नामांकन संख्या
03-04	200	7068
04-05	200	7500
05-06	200	7000
06-07	200	6000
योग:-	800	27568

### अनुदेशक का चयन:-

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा गोष्ठों के अनुसार चयनित करके चयन किया जायेगा।

### प्रशिक्षण:-

ई0जी0एस0 केन्द्रों पर शिक्षण कार्य करने वाले आचार्य को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा एक माह का प्रशिक्षण दिलाया जायेगा।

### शिक्षण सामग्री:-

प्रत्येक केन्द्रों पर मानक के अनुसार शिक्षण समिति की व्यवस्थायें हैं।

### मानदेय:-

ई0जी0एस0 केन्द्र के आचार्या, दीदी को प्रतिमाह 1000/- एक हजार मानदेय के रूप में दिया जायेगा।

### ए0आई0ई0 प्राथमिक:-

मुरादाबाद पीतल नगरी से जाना जाता है। पीतल उद्योग में आज भी बहुत से बच्चे काम करते हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण बालिका शिक्षा स्थिति शोचनीय है। कई सामाजिक परिस्थितियों के कारण विद्यालय के समय में बालक बालिकायें विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक केन्द्रों की व्यवस्था। इसमें 6-14 वर्ष के बच्चे स्तर के आधार पर नामांकन करके 1 से 5 तक की कक्षा की पढ़ाई कर सकते हैं। इस वर्ष का लक्ष्य 14 है।

ए0आई0ई0 प्राथमिक केन्द्रों का लक्ष्य:-

वर्ष	केन्द्र	अनुमानित संख्या
03-04	14	560
04-05	39	1560
05-06	69	2760
06-07	69	2760

उच्च प्राथमिक:- उच्च प्राथमिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत देखा गया है कि आज भी सूदुर क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय की कमी दिखायी देती है। बच्चे 5 वीं परीक्षा औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप कर लेते हैं परन्तु उच्च प्राथमिक विद्यालय व्यवस्था न होने के कारण आगे पढाई रुक जाती है। बालिकाओं को लोग सुरक्षा के हिसाब से दूर नहीं भेजना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में उच्च प्राथमिक केन्द्रों की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत रखी गयी है। वर्ष 2003-04 में इन केन्द्रों का लक्ष्य 14 लाख है। आगामी वर्षों में भी इन केन्द्रों के माध्यम से 6 से 8 तक शिक्षा दिलवायी जायेगी।

## लक्ष्य उच्च प्राथमिक (A.I.E.)

वर्ष	केन्द्र	अनुमानित संख्या
03-04	100	4000
04-05	160	6400
05-06	160	6400
06-07	160	6400

उच्च प्राथमिक केन्द्रों में दो अनुदेशक शिक्षण-कार्य हेतु रखे जाने का प्राविधान है। एक अनुदेशक साहित्य वर्ग से तथा दूसरा अनुदेशक विज्ञान वर्ग से चयनित किया जायेगा।

### ट्रिज कोर्स / गैर आवासीय :-

गलिन वस्तियों के बाल श्रमिक, धुमुन्तु बच्चे चाय की दुकान एवं होटलों में काम करने वाले बच्चे लघु-उद्योगों में लगे बच्चों के लिए त्रीष्व कालीन शिविर अथवा ट्रिज कोर्स आयोजित किये जायेंगे। इन ट्रिज कोर्सों में 40 से 50 तक की संख्या में शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। इन शिविरों के माध्यम उचित माहौल में रहकर बच्चे शिक्षा से जुड़कर मुख्य धारा में प्रवेश कर सकेंगे।

इस वर्ष प्रत्येक न्याय पंचायत स्तरपर ब्रिज कोर्स संचालित करने का लक्ष्य है।

वर्ष	ब्रिज कोर्स की संख्या	अनुमानित संख्या
03-04	94	3760
04-05	13	520
05-06	13	520
06-07	13	520

लगभग वर्ष 2007 तक बच्चे शिविर में मटाई करके मुख्य धारा में प्रवेश कर-सकते हैं।

#### आवासीय ब्रिज कोर्स:-

बालिकाओं के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आवासीय ब्रिज कोर्स की व्यवस्थाएँ हैं। इस वर्ष 13 आवासीय ब्रिज कोर्स का लक्ष्य है। इसके लिए एन0जी0ओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। कार्यक्रम को देखते हुये इन ब्रिज कोर्स का लक्ष्य बदला जा सकता है।

## स्कूल से बाहर बच्चों के लिए रणनीति / कार्य योजना

- 1- सर्व प्रथम प्राथमिक विद्यालय में नामांकन
- 2- जागृति तथा स्कूल अभियान के अन्तर्गत नामांकन
- 3- मात्र शिक्षा संघ तथा ग्राम शिक्षा समितियों के साथ बैठने के तथा विद्यालय में नामांकन।
- 4- वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अन्तर्गत ई0जी0एस्त0 केन्द्रों की स्थापना (जहाँ पर विद्यालय पहुँच से बाहर है।)
- 5- बाल श्रमिक तथा कामकाजी बच्चों के लिए प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक केन्द्रों की स्थापना (जो बच्चे विद्यालय समय में प्रवेश नहीं ले पाते)
- 6- विशेष रूप से बालिकाओं के लिए आवासीय तथा गैर आवासीय द्विज कैंम्पों की व्यवस्थाएँ जो बच्चे छोटा बच्चा या बड़ी बच्चियों जो विद्यालय में प्रवेश लेने में हिचक रखते हैं।

## **इण्डो-यू. एस. डोल प्रोजेक्ट**

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 5 जनपदों - अलीगढ़, इलाहाबाद, फिरोजाबाद, मुरादाबाद तथा कानपुर नगर में बाल श्रमिकों को ट्रांजिनशल एजुकेशन सेन्टर एवं अल्टरनेटिव सेन्टर के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 'इण्डो-यू.एस डोल प्रोजेक्ट' स्वीकृत किया गया है। इस प्रोजेक्ट में भारत सरकार, यूनाइटेड स्टेट तथा श्रम विभाग की भागीदारी है। यह प्रोजेक्ट सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित किया जायेगा। प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सर्वेक्षण कराकर बाल श्रमिकों को चिन्हित किया जायेगा और उनकी शिक्षा हेतु स्थानीय आवश्यकता के अनुसार एजुकेशन सेन्टर स्थापित किये जायेंगे अथवा औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जायेगा।

इण्डो-यू. एस. डोल प्रोजेक्ट के संचालन क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं समन्वय हेतु जनपद स्तर पर एक सहायक शिक्षा अधिकारी, एक सहायक, एक आशुलिपिक तथा एक परिचारक के वेतन की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है जो कि भारत सरकार के अंशदान के रूप में मानी जायेगी।



वैकल्पिक तथा नवाचार शिक्षा कार्यक्रम -

परिचर की आर्थिक सहायता में वृद्धि के लिए बालक बालिकाओं की शिक्षा योग्य में ही छुड़वाने के कलशवस्त्र द्वारा आउट की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है विशेषकर काम बालों बच्चे (बाल श्रमिकों) तथा ऐसे बच्चे जो बढती उम्र के कारण शिक्षक महसूस करते है को मुख्य धारा को जोड़ने के लिये वैकल्पिक तथा नवाचार शिक्षा केन्द्रों का आयोजन किया जायेगा। यह केन्द्र प्राथमिक 6-11 उम्र के तथा उच्च प्राथमिक 11-14 वर्ष के बच्चों के लिये दोनों हर के होंगे।

मुख्यतः झुग्गी, जामडी, गलिन बरियारा, बाल श्रमिकों से आच्छादित स्थल जहाँ पर 6-11, 11-14 आयु वर्ग के द्वारा आउट बच्चों उपलब्ध होने तथा विद्यालय न जाने वाले 50 बच्चों उपलब्ध होंगे वहाँ नवाचार एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इन केन्द्रों पर जिस स्तर के बच्चे होंगे पढाई पूर्ण कराकर किसी भी समय योग्यतानुसार औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड दिया जायेगा इन केन्द्रों पर बाल का प्रवेश किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिये मानक नियेशक वेडिंग और अवर नियेशक बजट परियोजना द्वारा निर्धारित किया जायेगा। प्राथमिक स्तर के वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र पर आचार्य जी/दीदी जी एवम् उच्च प्राथमिक स्तर आचार्य जी/दीदी जी की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद में 160 केन्द्र ज्ञान सभका प्रस्तावित है जो सत्र 2001-02 व 2002-03 में क्रमशः 60 व 100 खोले जायेंगे।

ई0 जी0 एस्0, वैकल्पिक नवाचार शिक्षा (ए0 आई0 ई0) केन्द्रों की स्थापना के लिये प्राथमिकता

अनुसूचित जाति, अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्र -

पुरसे उच्च पाठ्य बालिकाओं का नामांकन प्रोत्साहित कर रहे है।

ऐसे क्षेत्र जहाँ ड्रॉप आउट के कारण विद्यालय न जाने जाते बच्चों की संख्या अधिक है।

स्टीट विस्कॉन्सिन, पाठ श्रमिक, धुमरु, खातरनाक उद्योगों में शक्तिय बच्चों की संख्या बहुत ही कम है।

आचार्य जी/दीदी जी का चयन —

1- नियुक्ति की प्रक्रिया तथा योग्यता विवरण —

आचार्य जी एवं दीदी जी की नियुक्ति ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आचार्य एवं दीदी जी नियुक्ति हेतु प्रस्ताव एवं चयन कर आवेदन पत्र अर्पित किये जायेंगे। ग्राम आचार्य पदों का विश्लेषण कर ग्राम शिक्षा समिति उपयुक्त व्यक्तियों की सूची अर्पित करने के द्वारा प्राप्त अंक पत्रों का आचार्य पर तैयार करेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार भी ग्राम आचार्य पदों के चयन का प्राथमिकता दी जायेगी। तथा ग्राम में आई अन्यथा आवश्यकता न होने पर नियुक्ति ग्राम विद्यालयी को नियुक्त किया जायेगा।

ग्राम क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा केन्द्र के आचार्य/दीदी जी का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आचार्य/दीदी जी के शिक्षा अभिकर्ता शिक्षा अधिकारी, ग्राम क्षेत्र, सभासद संयुक्त बोर्ड, ग्राम क्षेत्र का संरक्षक प्रधान शिक्षक, शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

प्राथमिक स्तर शिक्षा केन्द्र हेतु —

उच्चतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल

- 2- न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी तथा अधिकतम आयु सीमा नहीं मन्त्रोक्त है।
- 3- अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर अनुदेशक के रूप में 3 वर्ष की सन्तान जनक सेवा पर 5 अंक का बोनस दिया जायेगा।
- 4- महिलाओं को पक्षिता या जयश्री शैक्षणिक अथवा प्रशिक्षण पर पक्षिता कम निर्धारित किया जायेगा।
- 5- उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षा केन्द्रों पर आचार्य जी/दीदी जी के पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष तक अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है स्नातक अथवा न मिलने पर इन्टरमीडिएट महिलाओं को रोककर जायेगा।

#### आचार्य जी/दीदी जी का प्रशिक्षण -

आचार्य जी एवं दीदी जी का क्षेत्र आधारित प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर पर आयोजित किया जायेगा। प्रत्येक वर्गगत आचार्य एवं दीदी जी को एक माह का प्रशिक्षण जिला प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों, सहायक जिला शिक्षा अधिकारी/एसओ जी.0 आई.0/ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन तथा योग्य अन्य अधिकारी, समन्वयक/सहायकों के माध्यम से कराया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा ₹50,000/- प्रति आचार्य/दीदी जी की दर से एक माह जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा जयश्री शैक्षणिक अथवा न मिलने पर आचार्य/दीदी जी का मानदेय की कोई धनशुल्क देना नहीं होगी।

#### आचार्य/दीदी जी का मानदेय -

आचार्य/दीदी जी का मानदेय जिला जैलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा

प्रति आचार्य/दीदी जी 1000/- की धनराशि ग्राम शिक्षा समिति के संयुक्त खाते में प्रति माह हरतान्तरित कर दी जायेगी। जिसे अध्यक्ष एवं सचिव ग्राम शिक्षा समिति द्वारा माह के प्रथम सप्ताह में आचार्य/दीदी जी को प्रतिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा। मान्यता की धनराशि एक बार में 6 माह के अंतिम के रूप में समिति खाते में इस्तान्तरित की जायेगी तथा ए० बी० एस० ए०/एस० डी० आई० की संरक्षित पर अगले 6 माह की धनराशि खाते में इस्तान्तरित कर दी जायेगी।

नगर क्षेत्र में शिक्षा अधीक्षक एवं जिला वैकल्पिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आचार्य/दीदी जी की सेवा संरक्षित संयुक्त खाते में की जायेगी। इस प्रकार की धनराशि ए० एस० ए० द्वारा शिक्षा अधीक्षक को उपलब्ध करा दी जायेगी।

शिक्षा नगरी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन का समय व स्थल -

सर्वांगिक स्थल, चौपाल, विवाद रहित भवन, आदि में ग्रह केन्द्र संचालित किये जायेंगे। केन्द्र संचालन की प्रवांच 4 घंटे प्रतिदिन होगी। ग्रह केन्द्रों प्रातः 9 से सायं 4 बजे के मध्य होगी। इसके साथ समन का निवारण उपलब्ध छात्रों की संरक्षितता सुनिश्चित रखते हुये किया जायेगा।

सभी परिस्थितियों व नगरीय क्षेत्रों में माइक्रोस्कोपिक द्वारा 2001-2002 में अध्ययन किया जायेगा ताकि स्कूल से बाहर बच्चों, आयु वर्ग व कारणों को सही रूप से ज्ञात किया जा सके। यह सर्वेक्षण इरातिये किया जाना आवश्यक है ताकि 2002-2003 के बाद एस० एस० ए०, ई० डी० एस०/ए० आई० ई० कार्यक्रमों को बच्चों के अतीव नरम/विचित्र समूह पर केंद्रित किया जा सके। प्रस्ताव है कि

निकटतम विद्यालय के प्रधानाध्यापक/अध्यापकों का भी यह कर्तव्य होगा कि वह निरन्तर इन केन्द्रों का पर्यवेक्षण कर अपनी आख्या से ग्राम शिक्षा समिति/ब्लाक स्तरीय समिति को अवगत कराते रहेंगे।

पर्यवेक्षण की व्यवस्था --

पर्यवेक्षण कार्य ब्लाक स्तर पर ए० पी० एस्० ए०/एस्० डी० आई०/वी० आर० सी० सी०/ए० पी० आर० सी० सी०/एन० पी० आर० सी० सी० प्रचारियों द्वारा किया जायेगा। समय-समय पर जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी भी पर्यवेक्षण करेंगे। जिन जनपदों में सी० आर० सी० और पी० आर० सी० प्रभासी कार्यरत नहीं है वहां कलरटर सिरोसा पशुन की नियुक्ति की व्यवस्था का भी प्रस्ताव है निकटतम विद्यालय के प्रधानाध्यापक/अध्यापकों का भी यह कर्तव्य होगा कि वह निरन्तर इन केन्द्रों का पर्यवेक्षण कर अपनी आख्या से ग्राम शिक्षा समिति/ब्लाक स्तरीय समिति को अवगत कराते रहे।

पर्यवेक्षक के चैंक बिन्दु --

- क- आचार्य/दीदी जी की कार्य स्थिति
- ख- छात्रों का रसा स्थान
- ग- नियमित केन्द्र संचालन
- घ- छात्रों की योग्यता बढ़ाने का अथक प्रयास
- ङ- अभिभावकों में जागरूकता लाना।
- छ- छात्रों को अतिशीघ्र मुख्य धारा में जोड़ने के प्रयास में

ख- पर्यवेक्षक प्रणाली

- 1- स्वयं शिक्षा अधिकारी/एसओ डीआईओ
- 2- डीआईओ सीओ को आडीनेटर/केंद्रीय प्रामाण्यपत्रक
- 3- सीओ आरओ सीओ प्रभारी

जहां पर सीओ आरओ सीओ प्रामाण्यपत्र की व्यवस्था नहीं है वहां नये कलेक्टर द्वारा परीक्षा की नियुक्ति की जाती प्रस्तावित है।

- 4- निम्नस्तर प्रथमिक विद्यालय के प्रामाण्यपत्रक
- 5- उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रामाण्यपत्रक एवं अध्यापक
- 6- विकास स्वयं अधिकारी
- 7- एसओ को शिक्षा अधिकारी
- 8- जमापत्रीय अधिकारी
- 9- मंडलीय अधिकारी

क- पर्यवेक्षण हेतु मानदेय/व्यय की व्यवस्था --

पर्यवेक्षण के 200 रुपये प्रतिमाह में मानदेय पर वहां जहां राज्य के प्रत्येक पर्यवेक्षक अधिकारी का पर्यवेक्षण व्यय वर्ग में 2400 रुपये प्रस्तावित है।

शिक्षार्थियों का मूल्यांकन में मुख्य धारा में शामिल होने की व्यवस्था --

आचार्य जी/दीदी जी द्वारा वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों में पढने वाले बच्चों का सहित एवं नियमित मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए आचार्य/दीदी जी द्वारा प्रत्येक बच्चे के लिए रजिस्ट्रार करनी होगी, बच्चों को रिमांडी-रिमांडी तथा वार्षिक मूल्यांकन हेतु मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा तथा यह प्रस्ताव होगा।

कि इन केंद्रों पर पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को सीधे इस शोध औपचारिक विद्यालय की उपयुक्त कक्षा में जिसके लिये वह योग्य है किसी भी समय प्रवेश किया जाये।  
 आचार्य जी/दीदी जी का यह दायित्व होगा कि उनमें केंद्र में पढ़ने वाले बच्चे सीधे आतिशीघ्र एवं अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा की मुख्य धारा में उपयुक्त कक्षा में प्रवेश पाते रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में आचार्य जी/दीदी जी का मूल लक्ष्य ज्ञान शिक्षा समिति एवं विकास खण्ड स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय द्वारा किया जायेगा।

आचार्य जी/दीदी जी द्वारा बच्चों के अध्ययन-अभ्यास में उनके पारम्परिक स्तर में आये सुधार से अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समिति को लगातार अवगत कराया जायेगा। केंद्रों में अध्ययनरत बच्चों को कक्षा-5 हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेने उनकी परीक्षा वैश्विक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित परीक्षा पैमाने के आधार पर निकट के प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक व्यापक द्वारा कराई जायेगी।

#### निःशुल्क शिक्षण सामग्री :-

प्रत्येक शिक्षा केंद्र हेतु आवश्यक सामग्री एवं साधन साज्जा हेतु जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति विभाग द्वारा निर्धारित साधनी व्यय पर देनामीय पैमानेनुसार कस कस के आचार्य जी/दीदी जी को उपलब्ध करायी जायेगी। इन केंद्रों पर नामांकित सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक भी जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। इन

केंद्रों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एनम् मुद्रित पाठ्य पुस्तकों ही प्रयोग में लायी जायेगी इन केंद्रों पर अन्य निम्नवत विन्या जायेगा।

#### अनुसंगिक व्यय

ई० जी० ए०	845 प्रति बच्चा प्रति वर्ष
वैकल्पिक नवाचार शिक्षा केंद्र	1200 प्रति बच्चा प्रति वर्ष

प्रवचन पर व्यय -

ई० जी० ए० वैकल्पिक नवाचार शिक्षा केंद्रों की कुल अनुसंगिक व्यय में 5 प्रतिशत राज्य/जिला एनम् विकास समूह स्तर पर प्रशासनिक/प्रवचन पर होने वाला सम्मिलित है।

विभिन्न समूह स्तर पर प्रवचन पर व्यय की अधिकतम सीमा निम्नवत होगी-

30-100 केंद्रों पर	2.50 प्रति वर्ष
50-80 केंद्रों पर	2.00 प्रति वर्ष
25-50 केंद्रों पर	1.50 प्रति वर्ष
5 सार्वजनिक केंद्रों पर	100 प्रति बच्चा प्रति वर्ष

उच्च कोर्स प्रोग्राम कालीन/क्षेत्र पर आधारित कोर्स -

इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य औपचारिक विद्यालयों से वंचित बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था कर उनको औपचारिक विद्यालयों के योग्यतानुसार प्रवेश दिलाना है।



संघ सरकार द्वारा 14 वर्ष के बच्चों को इस व्यवस्था से जोड़ने का प्रावधान किया है परन्तु भारत सरकार द्वारा अधिक आयु के बच्चों को इस व्यवस्था का प्रावधान करने की बात कही नहीं है।

इस तरह के बच्चों 9-14 वर्ष वर्ग के भूमिहीन, अल्पवर्गी, महिला बरती में काम वाले, दुकानों, होटल पर कार्य करने वाले, कुली मिले करने वाले, खतरनाक कामों पर कार्य करने वाले, शाला त्यागी, मजूतों पर कार्य करने वाले अथवा बाल श्रमिक को मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया है।

मुसादाबाद नगर क्षेत्र में बाल श्रमिकों की संख्या 1980-2000 में कम दिखाने मुसादाबाद द्वारा सर्वे कराया गया जिससे पता आकेडी में अन्धकार पर बाल श्रमिकों की संख्या 6099 है। इनके अतिरिक्त सम्भल नगर के समस्त तटीय क्षेत्र में भी बाल श्रमिकों की अधिकता है इसके अतिरिक्त कुछ निवास क्षेत्र ऐसे हैं जिनके काम मजदूर पर अधिक है। ऐसे क्षेत्रों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम समर काम/मिज कोर्स आयोजित किये गये इन विशेष शिविरों के माध्यम से इन बाल श्रमिकों को सामाजिक विद्यालयों में नामांकित नहीं थे प्रेरित किया गया इनके शिक्षण की व्यवस्था की गयी तथा योग्यतानुसार उच्चतर औद्योगिक विद्यालयों में नामांकित किया गया इन बच्चों से अच्छे परिणाम मिले तो दृष्टिकोण बदलकर अतिम वर्गों में संदेश प्राप्त होने पर प्रावधान किया जायेगा।

मिज कोर्स/ओपनकालीन/विशिष्ट क्षेत्रों के शिविरों से 9-14 वर्ष वर्ग के बच्चों 50 से लेकर 150 बच्चों को सम्मिलित करने की व्यवस्था का प्रावधान होगा। कार्यक्रम 10 दिन अपना आवश्यकतानुसार अवधि में किया जायेगा। प्रति शिविर अनुमानित 45000 रुपये व्यय करने का प्रावधान प्रस्तावित है। यह शिविर

पूणतया आव्यास्य ह्येते दिनमे वृत्तो के रक्ते खाने विने पद्यम भिद्यत इति की व्यवस्था निधुत्क की जायगी तथा स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जायेगा

निर्धारित मानकों के अन्तर्गत इस प्रकार के विद्यार्थियों को शिबिरों में भेजा जायेगा, जहाँ पर एक टीचर एक रसोइया तथा एक चौकीदार की व्यवस्था का प्रबन्धन किया गया है। इसका चयन जिला स्तरीय समिति के माध्यम से शिबिरों के अन्तर्गत व्यवस्था की जायेगी।

ट्रिज कोर्स, प्रोफेशनल डिग्री तथा डिप्लोमा केवी पर आयोजित शिबिरों के रूप में प्रत्येक वर्ष मई माह में बाल गणना के समय में कराया जायेगा। इन शिबिरों में मई माह में पढ़ने वाले शाला त्थर्गी, बाल शैक्षिक अधिकारी आदि तथा अभावग्रस्त व्यवस्था निधुत्क प्राप्त होगी। इन शिबिरों की अवधि 4 माह में 18 माह के समय होगी तथा 3000 रु. प्रति छात्र की दर से धनराशि व्यय की जायेगी। 2001-02 में 4, 2002-03 में 6 तथा 2003-04 में 6 ट्रिज कोर्स प्रस्तावित किये गये हैं।

जिला समिति का महान (जिला सलाहकार समिति)

जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का महान किया जायेगा जो अन्तर्गत में सर्वे शिक्षा अभियान को संचालित करेगी। समिति में कार्य जायेगी। जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का महान जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा। इस प्रकार होगी -

जिलाधिकारी

विशेषज्ञ/वे.शि.अ./वि. के. वि.अ.

सदस्य

सदस्य सचिव

अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	-	सदस्य
जिला स्तरीय श्रम विभाग का एक अधिकारी		सदस्य
जिला पंचायत राज अधिकारी	-	सदस्य
जिला एम. लैब्रा अधिकारी (कार्यालय में रिटिअर अ०)	-	सदस्य
स्वच्छिक समूहों के दो प्रतिनिधि	-	सदस्य

स्वच्छिक समूहों के प्रतिनिधियों का नामांकन जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा उन्नत योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार करने एवं कार्यक्रम को संचालन करने का पूर्ण उत्तरदायित्व इस समिति को होगा।

जिला स्तर पर स्वच्छिक समिति -

जिला स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन के लिये निम्न समिति का गठन किया जाएगा।

प्रधान सदस्य	-	अध्यक्ष
सहायक संचालक शिक्षा अधिकारी / एस० डी० आई०	-	सदस्य / सचिव
राज्य पंचायत (स्वाक)	-	सदस्य
जिला स्तर पर के वरिष्ठ एम० आ० में से एक	-	सदस्य
एम० आ० डी० आ० द्वारा नामित		
डी० आ० सी० डी०	-	सदस्य
डी० आ० एम० डी० आ० डी० सी० डी०	-	सदस्य

### ग्राम शिक्षा समिति :-

ग्राम शिक्षा समिति प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण ने कार्य कर रही है इस योजना के क्रियान्वयन करने में अहम भूमिका निभायेगी।

खिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति के प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व -

- क- स्तर के एवं नवमीय स्तर से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करना एवं तदुपरान्त प्रेषित करना।
- ख- ग्रीज कोर्स/प्री-प्रकाशीन शिक्षा/तथा शैक्षिक क्षेत्री समर्थकों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की संरक्षित सहित स्टेट सोसाइटी को प्रेषित करना।
- ग- कार्याक्रमों का क्रियान्वयन करना।
- घ- अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ अपेक्षित समन्वय स्थापित करना।
- ङ- कार्याक्रमों का नियमित अनुवर्णन करना एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाखाओं का आयोजन करना।
- च- स्टेट सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराई गये पदवीय समर्थकों को विकास कार्य क्षेत्रीय समितिओं के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा शैक्षिक समर्थकों को कार्यक्रमों के संचालन हेतु अंतिम रूप से उपलब्ध कराना।

ग्राम शिक्षा समिति के कर्तव्य एवं दायित्व -

- क- कार्याक्रमों के लिये उचित वातावरण तैयार कराने में सहयोग प्रदान करना।
- ख- केन्द्र संचालन हेतु पदवीय तैयार कर परस्ताव अधिकांशों को प्रेषित कराना।
- ग- केन्द्रों के समर्थन का निर्धारण।

- 4- केन्द्र संचालन हेतु स्थल का निर्धारण।
- 5- केन्द्रों की शिक्षण सामग्री विभागीय निर्देशानुसार तैयार कर केन्द्रों को उपलब्ध कराना।
- 6- अनुदेशकों को प्रशिक्षणोपरान्त केन्द्र संचालन/निर्भूषित पत्र जारी करना।
- 7- केन्द्र संचालन हेतु अनुदेशक उपस्थित एवं छात्र उपस्थिति नियमित कराने में सहयोग प्रदान करना।
- 8- अनुदेशकों के मानदेय का नियमित भुगतान कराना।

विकास खण्ड स्तरीय समिति की भूमिका -

योजना को सफल बनाने में विकास खण्ड स्तरीय समिति की निम्न भूमिका प्रस्तावित है-

- 1- ग्राम शिक्षण समिति से प्राप्त प्रस्तावों को प्राप्त कर समीक्षा करना।
- 2- ग्रामीण क्षेत्र की मातृकोशिकाओं की योजना को पूर्ण रूप देना।
- 3- कलस्टर, रिसोर्स परिसर तथा पर्याप्त संसाधन केन्द्र समन्वयक की सहायता से केन्द्रों/शिक्षणों का समर्थन एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण (अनुभवगत)।
- 4- जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध संदर्भ दस्तावेजों की सहायता से अनुदेशकों का प्रशिक्षण कराना।
- 5- मासिक सूचनाएं संकलित करना।
- 6- सूचनाओं का गौतमिक सत्यापन कर जिला समिति को प्रस्तुत करना।

**विकलांग/अल्पसंख्यक/बालिकाओं के लिए विकासात्मक शिक्षा केंद्र**

जिन प्रांशों में विकलांग एवं अल्पसंख्यक बच्चों का बाहुल्यता वाले विद्यालय नज़र आकर बच्चों को उपलब्धता कर सिद्धित कर अधिकतम 14 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों हेतु वैकल्पिक शिक्षा केंद्र का विशिष्टता के आधार पर केंद्र खोले जायेंगे। कोई भी विकलांग शिक्षा से वंचित न रहे जावे। इसका प्रयास किया जायेगा। विशेष क्षेत्रों के विद्यालयों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराया जायेगा।

बालिकाओं के लिये, बालिकाओं की कम संख्या वाले गाँवों में, बच्चियों में बालिका केंद्र खोले जायेंगे तथा महिला अनुशिक्षिका को चयन किया जायेगा। इनमें सामुदायिक सहभागिता कला, नृत्य, शिक्षा समारंभ, प्रारंभिक महिला कल्याण समिति, भी चले केन्द्र, शिवांगी संघ आदि के सहयोग से चयन जायेंगे एवं बालिका शिक्षा में सचिव बच्चों को प्रयास किया जायेगा। नवलख भवनों में भी ई.जी. एम. केंद्र खोले जाते हेतु प्रयास किया जायेगा।

साप्ताहिक वार खोले जाते वाले ई.जी.एम. केंद्रों की सूची

क्र.सं.	पंचायत	ई.जी.एम.विद्या केंद्र/इसम केंद्र	द्वितीय काम	ग्राम कार्यक्रम अधिक	उ.प्र. संसद
1-	सुरदाशर	10			10
2-	सुरदाशर	4			10
3-	उजसरी	10			10

4-	टाक्युनड्रान	6	1	-	13
5-	दिनांग	2	02	01	10
6-	दिनांग	1	02	01	09
7-	बनियारखंडा	01	01	-	13
8-	बहमोड	06	01	-	15
9-	सिमल	06	02	01	10
10-	संभर	10	02	01	15
11-	सुनारका	09			10
12-	धुमनाली				10
13-	मुडावाखंड				10
14-	साल क्षेत्र समथल	05	01	-	05
15-	साल क्षेत्र धरमाल		01		05
16-	साल क्षेत्र सुनारका	05	02	01	05
	योग	75	16	5	160

विकास खण्ड वार ई.सी. एम. फेड उपरोक्त अनुसार क्षेत्रों वाले का प्रस्ताव है : कुल 75 फेड का एम. एम. 2001-2002/2002-2003 बजट 25 एवं 50 फेड क्षेत्रों वाले जल का प्रस्ताव है :

इंजी.एस.

इंजी.एस. प्राथमिक स्तर के केंद्रों/विभागों / क्षेत्र केंद्र वर्षवार 2001-2002 में 25 तथा 2002-03 में 50 केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव वर्ष विभा अभियान के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है

इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर जनशक्ती वर्ष 2001-02 में 60 तथा 2002-03 में 100 खोले जाने का प्रस्ताव है

त्रिज कोर्स भी आवश्यकता अनुसार वर्ष 2001-02 में 4, 2002-03 में 6 एवं 2003-04 में 6 खोले जाने का प्रस्ताव है

समर क्षेत्र

समर क्षेत्र प्रथम वर्ष में प्रस्तावित नहीं है 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 में 5-5 समर क्षेत्र प्रत्येक वर्ष में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है

मजरा/ सदरसे

डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत 20 मजरा स्तर के केंद्र संयोजित हैं जिनमें 2002-03 तक 10 डी.पी.ई.पी. के माध्यम से खोले जाते हैं उसके उपरान्त इनकी निम्न संयोजित करने हेतु 2003-04 से 2009-10 तक संयोजित अभियान में प्रस्तावित किया गया है

संयोजित अभियान के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष नईको खोले जाने का प्रस्ताव है



लि. खण्ड. बहरीई

- 1- आपत्ता
  - 2- कुमासपुर बरि
  - 3- बरखेडा मोनक
  - 4- बवन पुनि मढिया
  - 5- तोराजपुर मढिया
  - 6- हसनपुर खुई बरि
- विकास खण्ड - भगतपुर, बगला, 2

- 1- कचनारा देहन, माली
  - 2- मिलाक मिरसदां हरचन्द्र
  - 3- पीपललाना देहत, माली
  - 4- लालू बाता देहत, माली
- विकास खण्ड - छजरी, 3

- 1- कारीपुरा
- 2- जमनिधा
- 3- सिमि
- 4- ...
- 5- मढिया
- 6- जेसडी
- 7- भैसाडा
- 8- रतुपुरा
- 9- अजदापुर
- 10- बर

- 1- कथना
- 2- सदर सराय
- 3- मल्ली सराय
- 4- शरकपुर
- 5- मल्ली
- 6- मसालपुर

विकास खण्ड - ठाकुरद्वारा -5

- 1- मुंशीगंज
- 2- मसाल
- 3- शरकपुर
- 4- मुंशीगंज
- 5- मसाल केवटवाला पार्क
- 6- मसाल केवटवाला पार्क

- 1- अलासनापुर
- 2- व्यासपुर वृथा
- 3- कनकपुर
- 4- भिमाताटेर
- 5- ताईटेर
- 6- मुरावपुर
- 7- हाथपुर चन्दोई
- 8- जमापुर
- 9- भिमाक मरणा अमान  
विकास खण्ड - भिमाताटेर
- 1- भिमाक भिमावपुर  
विकास खण्ड - भिमाताटेर
- 2- केवरावपुर  
विकास खण्ड - भिमाताटेर
- 1- सरकाडा  
विकास खण्ड - धर्मिमाताटेर -9
- 1- इतनापुर कप  
विकास खण्ड - मुरावपुर -10
- 1- वारीपुर
- 2- चक गिन्दोडा
- 3- तैदपुर खदर

4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

मिलक अली बाबा  
मिलक भाला सिंह  
चक वाजना

मिलक वागवानो वाली  
मिलक काजी वाली  
भखरा राम मूर्तिवाला  
भखरा प्रभावाला

विभाग खण्ड - पन्ना - 11

1-  
2-  
3-  
4-  
5-  
6-  
7-  
8-  
9-  
10-

नाई वाली मठवा  
बावपुर  
मिलक मठ मुंड  
सिमला मठवा  
नाई वाली अखरा  
पेरिया मठवा  
बैरवापुर धेर  
तारंगपुर धेर  
भदानीपुर नाई बरित  
औरंगाबाद बेहरी चाटव बरती

### 46- गढ़िया मुजफ्फरपुर

ई० जी० एस० वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न मॉडल्स तथा नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिन्न कार्यक्रमों की शर्णाति विकसित करने के लिए जनपद में उपलब्ध अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों के शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में योगदान लिया जायेगा। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जायेगी जिसके अन्तर्गत समाचार पत्र में निर्धारित प्रकाशित कर स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता आमंत्रित की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त अभियन पत्र/प्रस्ताव का डेस्ट टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल कराया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं सचिवों को सहयोग से स्वयं सेवी संगठनों के प्रस्ताव का अप्रेजल एवं विकसिकरण किया जायेगा। उपरोक्त पाठ्य पत्रे स्वयं सेवी संगठनों के कार्य क्षेत्र एवं आवश्यक गजट की संस्तुति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा राज्य स्तरीय ई० जी० एस०/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना क्रियान्वयन समिति को भेजित की जायेगी। जनपद में जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित है तथा कार्यालय झाप संख्या २० प० नि०/५६६/२००१-२००२ दिनांक १५ जून, २००१ द्वारा जनपद समिति को ई० जी० एस०/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। संदर्भित कार्यालय झाप की प्रति परिशिष्ट में दी गई है। राज्य स्तर पर ई० जी० एस०, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के लिए सचिवीकार प्राप्त समिति कार्यालय झाप संख्या - २० प० नि०/५३९/२००१-२००२ दिनांक ७ जून, २००१ द्वारा उ० प्र० राशि के लिए शिक्षा

परिवार के अधीन गठित की जा चुकी है। इस कार्यालय ज्ञान की प्रति भी परिशिष्ट में दी गई है।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा संरक्षित स्वयं सेवी समूहों की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई० सी० एन०/ए० आर० ई० योजना के तहत नजद स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त हो। उक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात् जगपद में चर्चित स्वयं सेवी समूहों द्वारा एजुकेशन गारण्टी स्कीम व नवाचार शिक्षा योजना कार्यों को क्रियान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार स्वयं सेवी समूहों के वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुमोदन स्वयं सेवी समूहों द्वारा एजुकेशन गारण्टी स्कीम व नवाचार शिक्षा योजना की दृष्टि से किया जायेगा। इन स्वयं सेवी समूहों के अनुमोदन की प्रकृति भी उपरोक्तप्रकार रखी गयी है।

#### परिवार सर्वेक्षण आंकड़ों का वार्षिक अद्यतनीकरण

साइकोप्लानिय के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 11-14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर आउट आफ स्कूल बच्चों को चिन्हित किया जाता है। अण्डर ऐज व ओवर ऐज बच्चों को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयुवार बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण में परिवार सर्वेक्षण विभाग द्वारा उचित वांछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त की गयी।

प्रति वर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आंकड़ों को अद्यतन किया जाएगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष ₹ 50,000/- की वित्तीय व्यवस्था रखी गयी है।

माइक्रोप्लानिंग के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या के वितरण की व्यवस्था है। वैशिक शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजना में इस वितरण का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर जनसंख्या में 11-14 वय वर्ग के 17674 आकर आंकड़ों को चिह्नित किये गये हैं। आगामी वर्षों में आंकड़ों के वार्षिक अद्यतन के समय इस सूचना का अंकन भी किया जायेगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा में श्रावण प्राप्त किया गया है। यह सूचना प्राप्त करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे से सम्बन्धित प्रतिमान प्रपत्र को पुनर्विहित किया जायेगा ताकि वांछित सूचना का सम्बन्धित रूप से प्राप्त हो सके। द्वितीय वर्ष के अद्यतन वितरण प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित प्रपत्र प्रयोग किया जायेगा।

अगिलाक गॉडल्स 11-14 आयु वर्ग हेतु

11-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिये जो औपचारिक विद्यालय में प्रवेश नहीं कर पाये हैं-किन्हीं कारणों से असमर्थ रहे हैं, उनके लिये नवाचार शिक्षा की योजना अन्तर्गत स्थानीय परिेश्वर बच्चा क विशिष्ट समूह की आवश्यकताओं को ध्यान में आधुनिक विद्यालयों में सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कतिपय इन्फोर्मेटिव गॉडल्स विकसित किये जायेंगे। इस हेतु नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अगिलाक गॉडल्स विकसित करने के उद्देश्य से जनसंख्या में ₹ 50,000/- का इन्फोर्मेटिव फण्ड रखा जायेगा। पहले दो वर्षों में इस आयु वर्ग हेतु कम से कम 2-3 गॉडल्स विकसित किये जायेंगे। इस कार्य में वैशिक शिक्षा के विशेषज्ञों, शिक्षा विदों, अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों आदि की सहायता प्राप्त की जायेगी।

## अध्याय-४

### ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

पूर्व में किये गये शिक्षा के सर्ववर्गीय प्रयासों के बावजूद ठहराव का प्रमाण है। बालक बालिकाओं का विद्यालयों में नहीं आना जो जो कारणों से ठहराव में वृद्धि न होने के कारण प्राप्त लक्ष्य की संभरना नहीं कर पाये। इस सर्व शिक्षा अभियान में ठहराव में वृद्धि करने के लिए उपयुक्त प्रयास किये जा रहे हैं। इनमें मुख्य प्रयास निम्नवत हैं -

वर्तमान में भौतिक संरचना के अन्तर्गत प्रमुख

सारणी ४.१

क्र० सं०	आइटम/सुविधा	प्राप्तियोग्य	वर्तमान
1-	विद्यालय पुनः निर्माण	73	33
2-	अतिरिक्त कक्षा कक्षा	1120	80
3-	पेयजल सुविधा	200	64
4-	शौचालय	590	110
5-	बाह्य दीवारें	0	2

विद्यालयी सुविधाएँ -

प्रथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय भवन के लिये खर्च प्रति वर्ष 5000/- का अनुमान किया जायेगा।



## निःशुल्क पाठ्य पुस्तक

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के लिए परिषदीय एवं उच्च माध्यमिक सहायता प्राप्त एवं माध्यमिक विद्यालयों में अनु0जाति0/ अनु0जन जाति एवं सभी बालिकाओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का प्राविधान वर्ष 04--05 में किया गया है।

वर्ष	कक्षा 1 से 5 तक अनु0जाति0/ अनु0जन जाति एवं बालिका	कक्षा 6 से 8 तक अनु0जाति0/ अनु0जन जाति एवं बालिकाएं
03-04	253102	99029
04-05	275200	100,000
05-06	290,000	1100,000
06-07	300,000	12500

## अध्यापक अनुदान

वर्ष 04-05 से प्रत्येक परिषदीय अध्यापकों को 500 प्रति अध्यापक एवं सहायता प्राप्त विद्यालय के मात्र 3 अध्यापक प्रति विद्यालय के दर से देय होगा।

### अध्यापक अनुदान हेतु विवरण

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की संख्या	प्राथमिक विद्यालय के शिक्षामित्र की सं०	सर्व प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की संख्या	सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रति विद्यालय के तीन अध्यापक
04-05	3341	1566	907	42X 3 = 126
05-06	3341	1566	907	42X 3 = 126
06-07	3341	1566	907	42X 3 = 126

कुल  $3341 + 1566 + 907 + 126 = 5940$  अध्यापकों से 500 प्रति अध्यापक की दर से अध्यापक प्रशिक्षण सामग्री (TLM) के लिए दिया जायेगा।

$$5940 \times 500 = 29,70,000$$

29,70,000 धनराशि का वितरण वर्ष 04-05 से अध्यापकों से किया जाने का प्रावधान बनाने में किया गया है।

## जनपदीय विद्यालयों के लिए विद्यालय विकास अनुदान

जनपद के विद्यालयों के लिए विद्यालय विकास अनुदान के रूप में 2000/- प्रति विद्यालय की दर से प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों को वर्ष 04-05 से दिया जायेगा।

### वर्ष वार विद्यालयों की सूची

वर्ष	परिषदीय प्राथमिक विद्यालय की सं०	प्राथमिक सहायता प्राप्त विद्यालय	उच्च प्राथमिक परिषदीय	सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक
03-04	1788	4	376	—
04-05	1788	4	470	42
05-06	1788	4	470	42

वर्ष 04-05 से प्रत्येक वर्ष  $1788 + 470 + 42 + 4 = 2304$  विद्यालयों को  $2304 \times 2000 = 46$  लाख, हजार रूपया विद्यालय विकास अनुदान के रूप में दिया जायेगा।

### विद्यालय विद्यार्थी अनुदान

प्रति वर्ष 2000-01 से विद्यालय विद्यार्थी अनुदान प्रति वर्ष प्रत्येक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय को दिया जायेगा। (अथ स्थापना प्राप्त विद्यालयों को 2004-05 से प्रतिवर्ष दिया गया है।)

#### अनुदान कक्षा व संख्या -

अनुदान के प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम तीन कक्षा कक्ष पूरा करने का लक्ष्य 5/65 अधिसूचना कक्षा कक्षों की तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम दो कक्षा कक्ष प्रत्येक विद्यालय का पूरा करने का लक्ष्य है। अधिसूचना कक्षा कक्षों में अधिसूचना 71 कक्षा बनवाने हेतु 2002-03, 2003-04, 2004, 2005 में 2005-06, 2006-07, 2007-08 में अनुदान राशि क्रमशः 2, 5, 31, 390

140 लाख कुल 1126 अधिसूचना कक्षा कक्षों का प्रस्ताव दिया गया। अधिसूचना का प्राप्ति 82 व 83 में प्रदर्शित किया गया है।  
3, 3, 0, 0, 0 तथा कुल 33 प्रतिशत कक्षा कक्षों का प्राप्ति 82 व 83 में प्रदर्शित किया गया है।  
अनुदान -

अनुदान के 110 व 111 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय नहीं है।  
2002-03, 2003-04, 2004-05 में क्रमशः 100, 200, 200 शौचालय का लक्ष्य रखा गया है। कुल 700 शौचालय का निर्माण एवं विकसित किया गया है। (02-07) में 57 निर्मित है।

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षा कक्षा कक्षा की वर्षवार आवश्यकता  
संलग्नक 8.2

अनुभाग - मुरादाबाद

क्र.	सत्र	भाषा/का	गो 1 की वर्ग में आवश्यकता	वर्तमान कक्षा कक्षा	कक्षा विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षा	अतिरिक्त वर्ग में उपलब्ध कक्षा कक्षा	सीमा उपलब्ध 5+6+7	आवश्यकता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1-	2001-02	298334	7458	3402	48	0	3450	4008		587
2-	2002-03	318421	7961	7458	150	200	7808	153	1970	16
3-	2003-04	345242	8631	7961	150	200	8311	320	2170	116
4-	2004-05	362578	9064	8631	0	72	8703	361	702	55
5-	2005-06	369829	9246	9064	0	0	9064	182	182	46
6-	2006-07	377226	9431	9246	0	0	9246	185	185	46
7-	2007-08	384770	9619	9431	0	0	9431	188	188	
8-	2008-09	392466	9812	9619	0	0	9619	193	193	
9-	2009-10	400315	10008	9812	0	0	9812	193	193	
	योग		71250	71250	0	472	72444	5786	5786	

उच्च प्रदर्शन विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षा की संख्या आवश्यकता  
 वर्ष 2001-02

क्र.	वर्ष	अधिन युक्त परिपरीक्षा विद्यालय	नवीन विद्यालयों की संख्या	पुनः निर्माण में विद्यालयों की संख्या	वर्तमान कक्षा कक्ष	नवीन विद्यालयों के कक्षा कक्ष	पुनः निर्माण के कक्षा कक्ष	योग उपरोक्त 6+7+8	11 से कक्षा कक्षों की आवश्यकता	SSA के प्रदर्शन अतिरिक्त कक्षा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-	2001-02	146	20	0	517	80	0	597	664	
2-	2002-03	166	80	59	609	120	236	1220	1220	
3-	2003-04	305	100	0	1220	400	0	1620	1620	
4-	2004-05	407	100	0	1620	400		2020	2020	
5-	2005-06	505			2020			2020	2020	
6-	2006-07	505			2020			2020	2020	
7-	2007-08	505			2020			2020	2020	
8-	2008-09	505			2020			2020	2020	
9-	2009-10	505			2020			2020	2020	

विद्यालयों की व्यवस्था

जनपद में 200 प्राथमिक तथा 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा नहीं है। 2002-03 में इन विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था हेतु लक्ष्य रखा गया है।

वर्धमान व भवितव्य विद्यालयों में भवन पुनर्निर्माण

जनपद में कुल 73 प्राथमिक व 33 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण का आग्रहकता है। इसके लिये सन् 2002-03 व 2003-04, 2004-05 में क्रमशः 63.70 व 10 प्राथमिक विद्यालय तथा वर्ष 2002-03 में 33 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

शौचालय

जनपद में 700 विद्यालयों में शौचालय की सुविधा नहीं है। इनमें सत्रवार 2002-03, 2003-04 व 2004-05 में क्रमशः 200, 50 व 200 शौचालय बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

मरम्मत एवं रख रखाव

जनपद के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 5000/- रु० के विद्यालय प्रति वर्ष निर्यात अनुदान वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2001-02 के संकलित आकड़ों के आधार पर जनपद में 108 प्राथमिक व 40 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की लघु मरम्मत करायी जायेगी। 40 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की वृद्ध मरम्मत करायी जायेगी लघु मरम्मत के लिये प्रति विद्यालय 20000/- रु० तथा वृद्ध मरम्मत के लिये 70000/- रु० प्रति विद्यालय की दर से धनराशि दी जायेगी। लघु मरम्मत की स्वीकृति जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा वृद्ध मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार राज्य परियोजना कार्यालय को होगा। लघु मरम्मत वर्ष 2002-03, 2003-04 में क्रमशः 10 व 15 तथा वृद्ध मरम्मत 2002-03, 2003-04 में क्रमशः 5 एवं 5 विद्यालयों में करायी जायेगी।

## उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिये कार्यानुभव

करके सीखने की शिक्षण विधि के आधार पर प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यानुभव शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा इसके अन्तर्गत खिलौने बनाना कला शिक्षण, रंगारंग, सिलाई, कताई, बुनाई की शिक्षा के साथ-साथ स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर टोकरियाँ मिट्टी के खिलौने कागज के समान बनाने की कला सिलाई जायेगी। कार्यानुभव योजना में कृषि, पशुपालन, पुस्तककला, धातुकला, आदि से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान अनुभव आधारित कर विद्यालय के प्रति आकर्षण बढ़ा किया जायेगा प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में सिलाई का कार्य कार्यानुभव योजना में प्रस्तावित इसी के साथ प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की गई जो बालिकाओं के लिये रोजगारपरक होगा इसका बर्धवार विवरण निम्न है।

वर्ग	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10
उच्च प्रा. विद्यालयों की संख्या	-	130	130	130	130				



परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति

एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

क्र. सं.	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	वर्तमान स्वीकृत पद शिक्षक	वर्तमान स्वीकृत पद शिक्षागित्र	शिक्षक + शिक्षागित्र का योग 4+5	40 : 1 की दर से आवश्यकता	कमी	आवश्यक अन्य शिक्षक	आवश्यक अन्य शिक्षागित्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2003-04	345242	6180	1631	7811	8631	820	410	
2	2004-05	362578	6590	2040	8631	9064	433	216	627
3	2005-06	369829	6806	2258	9064	9246	182	91	91
4	2006-07	377226	6897	2349	9246	9431	185	92	93

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	सहायता प्राप्त विद्यालयों की संख्या
1	छजलेट	01
2	असमोली	02
3	मुरादाबाद	02
4	वहजोई	02
5	वनियाखेडा	02
6	सम्भल	02
7	पंचासा	01
8	बिलारी	01
9	मूडापाण्डे	02
10	भगतपुर टाण्डा	02
11	डिलारी	01
12	ठाकुरद्वारा	04
13	नगर क्षेत्र मुरादाबाद	14
14	नगर क्षेत्र सम्भल	04
15	नगर क्षेत्र चन्दौरी	02
योग		42

इन विद्यालयों में 42 प्रधानाध्यापक एवं 310 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं।

उपरोक्त विद्यालय में कुल छात्र सं० 3780 है। जिसमें बालिकायें 1815 एवं अनु०जाति/

अनु०जाति के विद्यार्थी 975 शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षकों को टी०सी०ए० बनाने

हेतु 500/ प्रति शिक्षक अनुदान वर्ष 03-05 से दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

तथा सभी बालिकायें एवं अनु०जाति/ अनु०जाति बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य

पुस्तकों का वितरण करने का प्राविधान किया गया है।

जनसंघ के समस्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक चहार दीवारी विद्यालयों में राज्य सरकार के निर्धारित मानक 40,000-00 रु० प्रति विद्यालय के साथ प्रस्तावित किया गया है। जनसंघ में 1494 प्रा० वि० व 150 उ० प्रा० वि० में चहार दीवारी की वृद्धि के लिए अतिरिक्त वित्तसहायता की व्यवस्था सुचारु रूप से की जायेगी। चहार दीवारी वर्ष 2003-04, 2004-05 व 2005-06 में

37182-000

उत्कृष्टता के साथ ही जारी है

संविधान संशोधन

संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिये नया बदलाव किया गया है।

नया अनुसूचना के शिर्षक होने से ही राष्ट्र की समग्र उन्नति एवं विकास होगा है।

संविधान में शिशु न्याय मौलिक अधिकार भी नागरिकों को हर प्रकार के अत्याचार पर आधारित सखीयता से रक्षा करता है। पंचवर्षीय योजना ने भी संविधान में न्यायिकता की शिक्षा के लिये नया बदलाव का समर्थन किया है। समग्र के साथ साथ बालिका शिक्षा में प्रचलित परिवेश एवं स्थिति में भी बदलाव आया है।

1988 में आधी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा उसके पश्चात आरम्भ की गयी नीति का कारगरित व्यवस्था से महिला एवं बालिका शिक्षा का परिवेश बदला है।

राष्ट्रीय साक्षरता दर 52.2 प्रतिशत है जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 61.4 प्रतिशत और महिलाओं की साक्षरता दर 25.3 प्रतिशत है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 41.6 प्रतिशत है।

नामांकन के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण स्पष्ट करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश का टहराव में असमानता है। ग्रामीण तथा शहरीय क्षेत्रों में नामांकन अनुपात में एक स्पष्ट दूरी दिखायी देती है।

उत्तर प्रदेश में कुल नामांकन अनुपात में 1999-00 में 20.7 अंकों की वृद्धि हुई है। जबकि 1999-2000 में नामांकन अनुपात में 93 प्रतिशत तक पहुँचा है।

बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में नामांकन 100 प्रतिशत है 1999-2000 में बालकों के लिये यह 98.3 प्रतिशत है। बालिकाओं के लिये 98.7 प्रतिशत है।

### बालिकाओं की शिक्षा के अवरोधक तत्व

बालिकाओं के स्कूल न जाने, नामांकन में कमी व शास्त्रात्मक शिक्षा के अभाव जटिल हैं। अन्ध विश्वास, महिला शिक्षकों की कमी, आर्थिक बाधाएँ, समाज में प्रचलित सांस्कृतिक धारणाएँ, जातिगत पूर्वाग्रह, स्कूलों का निकटस्थ स्थान का अभाव इसके मुख्य कारण हो सकते हैं।

क्षेत्र विशेष व समुदाय विशेष के आधार पर भी बालिकाओं की शिक्षा में कमी की कमी है। यह कारण ही विशेष तौर से बालिकाओं के न्यूनतम नामांकन का मुख्य कारण है। जबकि यह दर्शाया जाता है कि बालिकाओं के लिये शैक्षिक सुविधाएँ अन्यायित हैं।

स्कूलों का वातावरण भी ऐसा है जो बच्चों विशेषकर बालिकाओं को शिक्षा के लिये प्रेरित व आकर्षित करने में अक्षम है। समाज व परिवेश के कार्य, कटाई, फसल लाभाना, शादी विवाह के आगमन, पूजाओं की तैयारी आदि पर भी बालिकाओं के सहयोग के लिये प्राधान्यता के आधार पर शोक लिया जाता है। इससे स्कूलों में उनकी उपस्थिति कम हो जाती है।

बालिका शिक्षा को प्रेरित करने के उपाय -

- 1-- विद्यालयी वातावरण बालिकाओं को अनुरूप बनाने पर बल।
- 2-- समाज के बालक एवं बालिकाओं की शैक्षिक अनारस समान रूप से प्रदान करने के लिये जेण्डर संवेदीकरण द्वारा प्रेरित करना।
- 3-- बालिका शिक्षा के महत्त्व पर प्रकाश डालने वाली पत्र-पत्र सामग्री विकसित व वितरित करना।
- 4-- कक्षा कक्षा में बालिका विषय की गतिविधियाँ रोकने के लिये आवश्यक जेण्डर संवेदीकरण हेतु प्रशिक्षण देना।
- 5-- छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के कारण लड़कियों के स्कूल जाने से रोकने की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिये छोटे बच्चों के लिये 10 से 10 से 10 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलना।

कार्य अनुभव का समाजोत्साहक कार्य पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था करना। हर ब्लॉक में प्रत्येक वर्ष 05 विद्यालयों को सामाजिक कार्य हेतु चयनित किया जाना प्रस्तावित है।

### बालिका शिक्षा हेतु कार्यक्रम

जनपद में 100 पीठ 150 पीठ संघालित किया जा रहा है इसमें बहुत से कार्यक्रम चलाने वाले जिसके परिणाम सकारात्मक रहे हैं। इनमें से अधिकतर कार्यक्रमों को सर्व शिक्षा अभियान में जारी रखा जायेगा।

### महिलाओं की संघटना व कार्यक्रम में भागीदारी

100 आर0 100 (बालिका शिक्षा) जिला सार्वजनिक समूह का गठन -

जनपद स्तर पर आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रम नियंत्रण, अनुमोदन, मूल्यांकन आदि के कार्य के लिये जनपद स्तर पर बालिका शिक्षा के लिए एक जिला सार्वजनिक समूह का गठन किया जायेगा जिसमें निम्न व्यक्ति हों -

1- निर्दिष्ट वैशिक शिक्षा अधिकारी	-	अध्यक्ष
2- जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा)	-	सचिव/सदस्य
3- प्राथमिक डायट	-	सदस्य
4- आरंभ प्रवक्ता/प्रवक्ता डायट	-	सदस्य
5- 100 आर0 100/150 आर0 100/	-	सदस्य
एन0 100 आर0 100 से प्रत्येक एक समन्वयक		
की नाम प्रदान	-	सदस्य
दो स्वयं सेवी संस्थानों के सदस्य/पदाधिकारी	-	सदस्य

- |    |                                      |   |       |
|----|--------------------------------------|---|-------|
| 8- | दो-दशदिश परिमर्दीय अध्यापक           | — | सदस्य |
| 9- | शिक्षा विभाग (प्रशिक्षण) के प्रवक्ता | — | सदस्य |

1- ग्राम शिक्षा समिति -- (900)

ग्राम शिक्षा समिति (पी० ई० पी०) में पी० सदस्य अभिभावक होने जिन्हे सहायक वैशिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम निर्देशित किया जायेगा इनमें से एक अभिभावक सदस्य महिला का होना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- एम० टी० ए० (ग्राम शिक्षक समिति)

महिलाओंकी समस्त सहभागिता पर अन्तर्गत यह समन्वय प्रत्येक विद्यालय में किया जायेगा यह समन्वय प्रत्येक विद्यालय में कसता जायेगा जो शिक्षक अभिभावक समिति की तरह विद्यार्थी व्यवस्था विशेष रूप से बालिका शिक्षा की योजनाओं के अन्तर्गत अनुपालन में प्रयत्न करेगा।

3- डब्ल्यू एम० जी० (महिला प्रेरक समिति)

विद्यालय विहीन गांवों में शैक्षिक वातावरण सृजन, प्रचार-प्रसार के लिये महिला प्रेरक समूह का गठन किया जायेगा।

4- मोना फिल्म प्रदर्शन अभियान --

डी० पी० ई० पी० के अन्तर्गत बालिका शिक्षा के वातावरण सृजन में इस प्रेरक समूह फिल्म प्रदर्शन के लिये योजना बनायी गयी जो सफल रही है।

यूनिसेफ द्वारा निर्मित इस फिल्म का प्रदर्शन सभी शिक्षा अभियान के दौरान भी किया जाता रहेगा।

3- मां देवी मेलो -

मालिकाओं के शैक्षिक विकास में महिलाओं का योगदान आवश्यक है। इसके लिये मां देवी मेलो का आयोजन डी० पी० ई० पी० के दौरान किया गया है।

मालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति

समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षण -

माता शिक्षक संघ -

— यह माता शिक्षक संघ प्राथमिक विद्यालय में उच्च माता की 10-12 सक्रिय - मालिकाओं तथा शिक्षकों के समूह का निर्माण कर सभी इनके कार्य एवं दायित्व का प्रति - सरो-द्वारतीय बनाने-हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से - मालिकाओं की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कार्य करना।

महिला प्रेरक दल -

इसे गांव/मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर है वहां मालिकाओं की विद्यालय से उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करने हेतु महिला प्रेरक दल गठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल ही स्थानीय स्तर पर वौ० शि० केंद्र/मालिका केंद्र तथा विद्यालयों की विभिन्न समितियों का अनुष्ठान कर सामुदायिक तथा शिक्षा विभाग पर दवाव बनाने हेतु प्रयास करेंगे।



**उद्हरण परिक्रमा तथा सारांकन -**

- बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु उद्हरण परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह पाठ्य स्तर पर निकाली जायेगी जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक व अभिभावक शामिल होंगे। उद्हरण परिक्रमा के दौरान जो बच्चे कम विद्यालय में उपस्थित रहते हैं उनके घर के बाहर थोड़ी देर तक खड़े होकर गारे लगाकर बच्चों को विद्यालय आने के लिये दवाव बनाया जायेगा।

- बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एवं बच्चों को सचेत करने के लिये बच्चों को हवा, पीला एवं लाल तारा निशान प्रदिमान उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार सारांकन किया जायेगा -

साह के 15 दिन या उसकी अधिक उपस्थिति	हरा निशान
साह में 14 दिन व 7 दिन तक की उपस्थिति	पीला निशान
साह में 6 दिन या उससे कम की उपस्थिति	लाल निशान

सत्र के मध्य एवं सत्रान्त में अभिभावक सम्मेलन

शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैठक में छात्रों की उपस्थिति तथा उससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनों के विषय में उन्हें अवगत कराते हुए नियमित आने वाले बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित कर अन्न की वंदित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रान्त समारोह में साह के सत्रान्त अभिभावकों को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित करें जिनके बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे हैं। सत्रान्त समारोह में अगले सत्र के लिये बच्चों का सारांकन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

## उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिये कार्यानुभव

करके सीखने की शिक्षण विधि के आधार पर प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यानुभव शिक्षा को दहावा दिया जायेगा इसके अन्तर्गत खिलौने बनाना कला शिल्प, रंगारंग सिलाई, कताई, बुनाई की शिक्षा के साथ-साथ स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर टोकरियाँ मिट्टी के खिलौने कागज के समान बनाने की कला मिट्टाई जायेगी । कार्यानुभव योजना में कृषि, पशुपालन, पुस्तककला, धातुकला, आदि से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान अनुभव जागरित कर विद्यालय के प्रति आकर्षण पैदा किया जायेगा प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में निलाई का कार्य कार्यानुभव योजना में प्रस्तावित इसी के साथ प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की गई जो बालिकाओं के लिये योजनाबद्ध होगा इसका वर्षवार विवरण निम्न है।

वर्ष	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10
उच्च प्रा. विद्यालयों की संख्या	—	130	130	130	130				

## कोहार्ट: स्टडी

अधिकतम शाला त्याग दर वाले विद्यालयों में पिछले पांच वर्षों का बच्चों का शालात्याग दर रजिस्टर से निकाल कर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा जिन्होंने पिछले पांच साल में विद्यालय छोड़ा है। ऐसे बच्चों के लिये ग्राम कालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

## ग्रीष्म कालीन शिविर

एसे गांव/ग्रामसभा जहाँ न्यूनतम 40 कालिकाये शालात्यागी के रूप में चिन्हित की जायेगी उन्हें 10 दिवसीय ग्रामकालीन शिविर चलाकर उन्हें पुनः विद्यालय में दाखल कराया जायेगा इन शिविरों का वर्षवार विवरण निम्न है।

वर्ष	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10
शिविरों का संख्या	—	130	130	130	130	130	-	-	-

### कोहट स्टडी

अधिकतम शाला त्याग दर वाले विद्यालयों में पिछले पांच वर्षों का बच्चों का आलात्याग दर रजिस्ट्रर से निकाल कर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा जिन्होंने पिछले पांच साल में विद्यालय छोड़ा है। ऐसे बच्चों के लिये शीघ्र कालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

#### — शीघ्र कालीन शिविर —

ऐसे गांव/ग्राम सभा जहाँ न्यूनतम 40 बालिकायें शाला त्यागी के रूप में निर्दिष्ट की जायेगी उनमें दस दिवसीय शीघ्र कालीन शिविर चलाकर उन्हें पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा।

#### बेटी के स्कूल में — कला उत्था अभियान —

सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला उत्था एक सशक्त माध्यम है। बालिकायें बीच में विद्यालय न छोड़ दें यह सुनिश्चित करने के लिये "बेटी हो स्कूल में" — कला उत्था अभियान चलाया जायेगा जिसमें स्थानीय कलाकारों को शिक्षित कर गांव-गांव में नाटकों की प्रस्तुतियाँ की जायेगी। यह अभियान ऐसे गांव में चलाया जायेगा जहाँ महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शाला त्याग दर अधिकतम है।

— शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण —

वास्तविक शिक्षा के प्रति शिक्षकों का भ्रमोन्मत्तता बदलने तथा उन्हें संवेदनशील बनाने हेतु अत्यंत से शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों/बालिकाओं के विद्यालय वीथ में छोड़ देने के कारणों उनके निराकरण तथा उपायों/उपायों पर ध्यान/अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

कार्यक्रम —

1. शिशु शिक्षा केंद्रों की स्थापना

छोटे भाई बहनों की देखभाल में तन रहने के कारण कुछ बालिकाएं निराकरण हेतु भ्रमोन्मत्त समान नहीं वे जाती जिससे विद्यालय में उनका टहराव सुनिश्चित नहीं हो पाता। कुछ बालिकाएं इन बच्चों में-अधिक व्यस्त रहने के कारण विद्यालय छोड़ देती हैं।

इस अभियान के अन्तर्गत जनपद में संचालित रहे में माध्यम से संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों को अधिक प्रभावी तथा इन केंद्रों में 3-6 वय वर्ग के बच्चों का भागीकरण कराने हेतु विशेष प्रयास किया जायेगा। इस हेतु इन केंद्रों के अतिरिक्त भागदोष एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जनपद में आई० सी० डी० एम० विभाग द्वारा नगर क्षेत्र सहित विभाग खण्डों में 311 आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। जनपद के जिन विकास खण्डों में आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन नहीं किया जा रहा है और जो अधिकतर कारणों की दृष्टि से भिन्न हैं। प्रति विकास खण्ड दो चरणों में 50-50 केंद्र खोले जायेंगे इस प्रकार प्रति विकास

खण्ड कुल 100 केंद्रों खोले जायेंगे। केंद्रों हेतु ग्राम विद्यालय का चयन न्यूनतम महिला साक्षरता, उच्च शाला त्याग दर तथा शैक्षिक विच्छेदात्मक ही होगा। केंद्रों हेतु कार्यकर्त्रियों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर किया जायेगा।

### सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम

सर्व शिक्षा अभियान के "प्री पोस्टवट रिविजिटी" के अन्तर्ग में ग्राम कार्यकर्ता, महिला विभाग, निकलांग कल्याण पंचायत राज विभाग, महिला एवं बाल विकास, सभी क्षेत्री संगठनों के सहयोग एवं समुदायों के विभिन्न वर्गों के साथ विचार विमर्श एवं सहभागिता के द्वारा अंकड़ों का संकलन व तात्कालिक सृजन किया गया तथा ही अभियान में योजना के संचालन व क्रियान्वयन में भी इनके सहयोग व सहयोग का सर्व शिक्षा अभियान में सफल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

ग्राम शिक्षा समिति एवं नगर शिक्षा समितियों का गठन एवं प्रशिक्षण

6-14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के सार्वजनिकरण में समुदाय की सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण है। निरक्षर लोग नगर की अपेक्षा गावों में अधिक हैं। तथा नगर क्षेत्रों में गलिन गरितगों में निरक्षरों की संख्या अधिक है। शिक्षा के विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहित रखते हुये एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये गावों में ग्राम शिक्षा समितियों तथा नगरों में वार्ड शिक्षा समितियों को गठित किया गया है इनका सहयोग सर्व शिक्षा अभियान में भी लिया जायेगा। इनका प्रत्येक को 10-15 दिनों के लिए तीसरे वर्ष प्रशिक्षण का प्रस्ताव किया गया है।

**सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति आवश्यक है। पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा समितियों को सुदृढीकृत एवं क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, नामांकन, ठहराव परिक्रमा सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से संबंधित समस्त विकास कार्य एवं एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पंचायतीराज समितियों का सहयोग लिया जायेगा।**

बी० आर० जी० का मठन एवं प्रशिक्षण --

प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक गतिशीलता एवं सहयोग के लिये बी० आर० जी० को गठित किया जायेगा जिसमें 20 सदस्य होंगे इसमें यह ध्यान रखा जायेगा कि प्रत्येक न्याय पंचायत से कम से कम दो व्यक्ति तथा आधी महिलाएं हों। इनको डाक्ट पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

पारिवार सर्वेक्षण एवं सूझ नियोजन --

बी० आर० जी० के सहयोग से ग्राम शिक्षण समिति तथा समुदाय में कुछ सदस्यों को जो पी० टी० ए०, एम० टी० ए० या स्वयं सेवी के रूप में विद्यालय से जुड़ने को प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिससे कि पूरे गांव का परिवार सर्वे हो सके।

व्यवस्थापन सृजन --

विविध अवसरों पर समुदाय का सहयोग लिया जायेगा जैसे ठहराव परिकल्पना, समारोह अभियान, राष्ट्रीय पर्व, विद्यालय में वागवानी, फुलवारी, खेल समारोह, सांस्कृतिक मेला तथा विद्यालय अनुभवण। इन सभी कार्यों के सहयोग के लिये प्रेरित करने में युवा जनमद स्तर पर सहित्य, पोस्टर, पम्फलेट, दीवार लेखन आदि कार्य कराये जायेंगे।

बालिका शिक्षा के लिये सामुदायिक सहभागिता के कार्यक्रमों का सार

1-- पूर्वो सी० सी० ई० केन्द्रों का संवाहन --

- 2- एम0 सी0 डी0 ए0 का प्रस्ताव - 2001-02 - 10 एन पी आर सी  
2002-03 - 25 एन पी आर सी  
2003-04 - 50 एन पी आर सी  
4-5 50 एन पी आर सी  
5-6 50 एन पी आर सी
- 3- बीमा कम्पेन्स 2001-02 - 10 ग्राम पंचायत के सभी गाँव  
2002-03 - 25 " " "  
2003-04 - 50 " " "
- 4- कला सल्लाह कार्यक्रम डाय आउट की अधिक संख्या वाले 05 ब्लॉक
- 5- एम0 डी0 ए0/पी0 डी0 ए0 का गठन -- समस्त विद्यालय  
प्राथमिक विद्यालय - 1712  
उच्च प्राथमिक विद्यालय - 205
- 6- महिला प्रेरक बस का गठन एवं प्रशिक्षण (उत्कृष्ट एम0 सी0)
- 7- अक्षय परियोजना तथा सामाजिक - ग्रामो व उच्च प्राथमिक
- 8- कोहार्ड स्टडी --
- 9- पी0 आर0 ए0 -- 2001-02 - 10 ग्राम पंचायत के सभी गाँव  
2002-03 - 25 " " "  
2003-04 - 50 " " "



10- जेण्डर ट्रेनिंग कार्यक्रम - सभी शिक्षक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय  
समस्त ब्लाक/व समस्त सेशन व  
कोऑर्डिनेटर

भाषाभाषा शिक्षा (कम्प्यूटर शिक्षा) -

काठमाडौं जिल्ला में प्रयोगात्मक तौर पर कालिकाओं के लिये कार्यानुभव के अन्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा का प्राविधान किया गया था जिसके फलस्वरूप उस क्षेत्र में कालिकाओं के विद्यालय में उद्योग में आशातीत वृद्धि हुई। इसी प्रकार का प्रयोग अन्य जिले में किये जाने का प्रस्ताव है और प्रत्येक विकास खण्ड में केन्द्रीय विद्यालय में एक कम्प्यूटर की व्यवस्था इस अभियान के अन्तर्गत किये जाने का प्रस्ताव है तथा इसी प्रकार प्रत्येक बी० आर० सी० पर एक कम्प्यूटर का प्राविधान किया गया है। इसके लिये प्रति कम्प्यूटर तथा उसकी केबिल के लिये कुल रु० 1-70 लाख की यूनिट कास्ट प्रस्तावित है।

विद्यालयों की स्थिति सुधराने में सामुदायिक भूमिका -

सूक्ष्म नियोजन उपरान्त विद्यालय में जो समस्याएँ हैं उनका निराकरण करने में समुदाय के लोग सहयोग प्रदान करेंगे ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जहाँ विद्यालय के लिये भूमि नहीं है अथवा कम भूमि है वहाँ पर मानवदासियों के सहयोग से भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। बच्चों को खेलने के लिए मैदान उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस बात की जानकारी दी जायेगी कि विना खेल के बच्चा सीख नहीं सकता और खेल का मैदान आवश्यक है।

विद्यालय में बागवानी हेतु समुदाय को गतिशील बनाया जायेगा -

आकर्षक परिेश हेतु बागवानी का विशेष महत्त्व है। इसके लिए वृक्षारोपण, फुटपाटिका हेतु जानकार लोगों की सहायता ली जायेगी उन्ही से फोंदे आदि की व्यवस्था करके विद्यालय में उनका रोपण कराया जायेगा। उद्यान विभाग के सहयोग से बागवानी की व्यवस्था सुनिश्चित कर विद्यालय को आकर्षक बनाया जायेगा।

साज-सज्जा में सहयोग -

विद्यालय में फर्नीचर, टाट-मट्टी, शाम मट्ट, चाक, शैक्षिक उपकरण आदि की व्यवस्था में ग्राम के जानकार एवं अनुभवी लोगों की मदद ली जायेगी तथा ग्राम पञ्चम समिति की मदद ली जायेगी। गरीब बच्चों के लिए समुदाय के लोगों से उनके गणवेश, स्लेट, पेंसिल, कर्मी आदि सामग्री की व्यवस्था के लिए सहयोग लिया जायेगा। प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत करने की व्यवस्था भी समुदाय से करायी जायेगी।

विद्यालय सुदृढीकरण में सक्रियता -

कक्ष निर्माण, भवन की मरम्मत, चार दिवारी निर्माण, भिट्टी भराव, प्रांगण की भूमि ऊंची नीची होने पर समतल कराने हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा।

### विद्यालय परिवेश निर्माण में सहयोग —

वातावरण एवं परिवेश आकर्षक बनाने में बच्चों के गणवेश का विशेष महत्त्व है। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, अभिभावकों एवं जानकार लोगों की मदद से विद्यालय में भरीय बच्चों के लिए गणवेश की व्यवस्था करायी जायेगी। जिससे वे अपने अलग से आकर्षक एवं शिष्ट लगे और अन्य बच्चों से उनकी पृथक् से विशिष्ट पहचान हो तथा स्कूल न जाने वाले बच्चे अपने बड़े अपराल भागना से देखे और स्वयं भी विद्यालय जाने के लिए तैयार हो सकें।

### राष्ट्रीय पर्व एवं अन्य पर्वों पर चेतना जागृति —

राष्ट्रीय पर्वों में प्रभात फेरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम व जन सहयोग लिया जायेगा। सम्बन्धित पर्व के अभिभावकों एवं बच्चों को इससे जोड़ा जायेगा। प्रतिगोष्ठित आयोजित कर सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा बच्चों को पुरस्कृत कर इन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।

### अध्यापक सहयोग —

समुदाय के शिक्षित लोगों को इस बात के लिये प्रेरित किया जायेगा कि वे विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए समय दें तथा अध्यापक के कार्य में सहयोग करें।

### विद्यालय पर्यवेक्षण तथा अनुभवण में सहयोग —

ग्राम के सम्बन्धित व्यक्ति शिक्षित एवं जागरूक अभिभावकों को इस बात के लिए संक्षिप्त बनाना जायेगा कि वे अपना विद्यालय की भावना से विद्यालय को

सतत पर्यवेक्षण करते रहे और मासिक रूप से उसका अनुश्रण भी करें तथा शैक्षिक गुणवत्ता में उत्तरोत्तर संबर्द्धन हेतु अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करें।

सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता —

अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्थानीय समुदाय में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न करने तथा अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों से स्वयं सेवी संगठनों को जोड़ा जायेगा। विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय एवं स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रक्रिया में स्वयं सेवी संगठनों को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान किया जा सकता है। इस हेतु स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हकरण के लिए जनपद स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया तथा मासिक व्यवस्था अपनायी जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे इन प्रस्तावों को डेस्क टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

समेकित शिक्षा (विशेष दर्म विकलांग हेतु शिक्षा)

शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य सभी को शिक्षित करना है। किन्तु वे बच्चे जो किसी भी शारीरिक अथवा मानसिक विकलंगता से ग्रस्त हैं शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समेकित शिक्षा के माध्यम से

सामान्य बच्चों के साथ उन्हीं की तरह शिक्षा प्रदान करना है। इस अभियान के निम्न एवं मध्यम श्रेणी के अक्षम बच्चों को उपयुक्त वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता की जायगी जिससे उनका सामान्य बच्चों की ही भाँति सर्वांगीण विकास हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति समुदाय, अभिभावकों, शिक्षकों को जागरूक कर इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जायेगा। तथा उनको सामान्य बच्चों की भाँति प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जायेगी।

विकलांगता एवं अक्षमता के प्रकार -

- 1- दृष्टि अक्षमता/विकलांगता
- 2- श्रवण एवं वाणी विकलांगता
- 3- शारीरिक विकलांगता
- 4- मानसिक मन्दता
- 5- अज्ञेय अक्षमता

इन विकलांगताओं का कारण जैविकीय, परिवेशीय कुछ भी हो सकता है। मुम्बई जन्मद में इन बच्चों की अनुमानित संख्या (विभागीय आंकड़ों के आधार पर) बालक 2266 तथा बालिका 1791 तथा कुल योग 4057 है जो कि विकलांगतावार निम्न सारणी से स्पष्ट है -

विकलांगता प्रकार	बालकों की संख्या	बालिकाओं की संख्या	योग
दृष्टि अक्षमता	2272	1343	3615
श्रवण एवं वाणी अक्षमता	194	145	339

कुल संख्या	335	233	568
मानसिक अक्षमता	139	54	193
अधिमन अक्षमता	23	16	42
योग	2966	1791	4757

स्रोत - वी० आर० सी० सी० द्वारा प्राप्त आंकड़े

अक्षमता के परिणाम -

1- बच्चों में -

आत्म निर्भरता में कमी

चलने में परेशानी

समाज में उपेक्षित

2- परिवार एवं समाज में -

अधिक खर्च देने की आवश्यकता एवं आर्थिक बोझ अधिक उत्पादन  
एवं समाज में एकीकरण में कमी

3- संवेदीकरण -

अक्षय बच्चों की शिक्षा के लिये निम्न संवेदीकरण अत्यावश्यक है।

इस बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये निम्नलिखित पहलुओं  
पर ध्यान दिया जायेगा -

परिवार समुदाय एवं अध्यापकों का संवेदीकरण -

विकलांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये यह बहुत जरूरी  
है। अक्षय बच्चों की वास्तविक स्थिति में परिचित कराना तथा उन्हें सीखने के लिये  
सर्वाधिक अवसर दिया जाना। इस प्रकार परिवार का मार्गदर्शन जरूरी है। अध्यापकों

का संशोधन तथा प्रशिक्षण भी आवश्यक है। अक्षमता बच्चों को सहानुभूति नहीं बल्कि उनकी क्षमताओं को और विकसित करने की आवश्यकता है।

मैडिकल एसोसिएट शिबिर -

प्रत्येक दिवस खण्ड स्तर पर कम से कम तथा अधिक से अधिक दो शिबिर आयोजित किये जायेंगे जिससे प्रत्येक अक्षम बच्चों को विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत हो सके जिसके उपरान्त उन्हें उपकरण/उपस्कर प्रदान किये जायेंगे।

उपकरण/उपस्कर शिबिर -

मैडिकल एसोसिएट के उपरान्त अक्षम बच्चों को उपयुक्त सहायक उपकरण प्रदान किये जायेंगे। इनकी आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के नाम -

- 1- राष्ट्रीय दृष्टि एवं विकलांग संस्थान, 112 राजपुर रोड, देहरादून।
- 2- राष्ट्रीय मानसिक विकलांग केंद्र, 13, लुकर गंज, इलाहाबाद।
- 3- यू० पी० विकलांग केंद्र, 13, लुकर गंज इलाहाबाद।
- 4- नेशनल एसोसिएशन आफ द ब्लाइन्ड एजू० डिपार्टमेंट, काटेनगीन, एल० पी० वाला कामप्लेक्स, वगदई।
- 5- अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन सेंटर, ककरडूआ, विकास मार्ग, दिल्ली।
- 6- एलिको, जी० टी० रोड, कानपुर।
- 7- असीयावरजंग राष्ट्रीय क्षमण विकलांग संस्थान, बांद्रा, वगदई।

इन संस्थानों से सम्पर्क स्थापित कर उपकरण/उपस्कर उपलब्ध कराये जायेंगे।

### अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण -

अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में स सम्बन्धित शिक्षा पर बल दिया जायेगा। इसमें प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, सान्नायक बच्चों के साथ विकलांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा। 65 दिवसीय प्रशिक्षण से अध्यापक/अध्यापिकाएँ प्रत्येक प्रकार की विकलांगता के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त करायी जायेगी। तथा इन अध्यापकों को प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनरी द्वारा दिया जायेगा।

### मास्टर ट्रेनरी का प्रशिक्षण -

अध्यापकों को प्रशिक्षित करने हेतु उसी विकास क्षेत्रों के 4-4 मास्टर ट्रेनरी का भ्रमण करके उन्हें 10 दिवसीय प्रशिक्षण देलाया जायेगा ताकि वे अपने विकास क्षेत्रों में प्रशिक्षण दे सकें। यह दस दिवसीय प्रशिक्षण एडवन्स रटर्नर्स इन स्पेशल एजुकेशन क्वालिफाइड शिक्षाविद्यालय/ बरेली से करायें जाने का प्रयास किया जायेगा।

### शिक्षकों के लिये सामग्री का विकास -

सहाय छात्रों की शिक्षा हेतु शिक्षकों के लिये विशेष सामग्री का मुद्रण कराया जायेगा जिसमें जनसमुदाय के लिये "आप क्या कर सकते हैं" फोल्डर तथा शिक्षकों के लिये हस्तपुस्तिका का विकास किया जायेगा तथा पाँच विकलांगताओं-दृष्टि, श्रवण, अङ्गिण, अस्ति एवं मानसिक विकलांगता पर फोल्डर्स तैयार किये जायेंगे।



स्वयं सेवी संस्थान की भागीदारी -

विशिष्ट आवश्यकता वाले यच्चों को तकनीकी सहायता देने के लिये स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता ली जायेगी उनके प्रस्ताव प्राप्त किये जायेगे जिसका टॉप अफ़ेजल जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। इन संस्थाओं की पात्रता निम्नलिखित होगी-

- 1- संस्था/सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड हो।
- 2- संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ की उपलब्धता हो।
- 3- विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव।
- 4- संस्था विकलांग जन अधिनियम 1995 की धारा 51 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

स्वास्थ्य परीक्षण सबसे आवश्यक कार्य स्वास्थ्य परीक्षण है इससे विकलांगता की जांच करागी जामे 110 नि०/वर्ष 110 नि० के प्रत्येक बालक/बालिका का स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा उनमें प्रत्येक श्रेणी (कम, मध्यम, गम्भीर) की विकलांगता की जांच करागी जायेगी तथा स्वास्थ्य कार्ड का मुद्रण नहीं कराया जायेगा वलिक पत्रिका में काहम बनाकर उसमें प्रगतिपत्र की जायेगी।

जनपद मुरादाबाद में 13 विकारा खण्डों में यह व्यवस्था की जायेगी जिसका अनुमानित बजट निम्नवत है

1- सर्वेक्षण	-	2000 X 13	=	26000
2- मेडिकल एसोसमेंट	-	5000 X 11	=	55000
3- परिशिक्षण --				
मास्टर ट्रेनिंग (10 दिवसीय)		2575 X 24	=	61800

परामर्शक सेवा कार्य	174240 X 25	
43,56000-00		
110 दि० अ० प्रशिक्षण	1725 X 5175 / 37 =	2407070-00
सांख्यिकी मुद्रण	13,200 X 11 =	
उपकरण एवं उपकरण	10,500 X 11	
वितरण कौम्य		
रिसोर्स सेंटर	30,000 X 6 =	180,000-00
अभियंताक परामर्श केंद्र	500 X 3 X 13 =	19500-00
वोकेशनल ट्रेनिंग	3000 X 13	
यातायात सुविधा कौम्य	5375 X 11	
रूफटॉप सेंटर कौम्य	4757	
ऑफिसर-स जाग ए-10	3,00,000 X 13	
जी० अ०		
अन्य		

- मेडिकल एसीसमेंट कौम्य	-	2 विकास क्षेत्रों का	1000 X 2
- यातायात सुविधा कौम्य	-	2 विकास क्षेत्रों का	5300 X 2 =
- सांख्यिकी मुद्रण कौम्य	-	2 विकास क्षेत्रों का	13200
- प्रशिक्षण (अध्यापक)	-	1 विकास क्षेत्रों का	154800
- गारटर ट्रेनिंग	-	1 विकास क्षेत्रों का	3575 X 2 =
- उपकरण वितरण कौम्य	-	2 विकास क्षेत्रों का	5500 X 2 का आवंटित बजट को छोड़कर बजट उत्तर किया गया है।

## अध्याय—9

### डायट का परिचय

भारतीय संविधान के भाग-4 सेक्शन 42 में सभी के लिये शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान है। राज्य सरकार अपनी आर्थिक क्षमताओं व सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करती है नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि 14 वर्ष के बच्चों के लिये अनिवार्य तथा मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करेगा। भारत में स्वतंत्रा प्राप्ति के पश्चात विभिन्न आयोगों की नियुक्तियाँ शिक्षा के स्तर में वृद्धि एवं गुणवत्ता के दृष्टिकोण से की गयी है।

#### कोटारी आयोग :-

(1984-88) कोटारी समीक्षण ने स्पष्ट किया कि सभी लय जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रमाणित करते हैं। विशेष रूप से शिक्षकों के (प्राथमिक) प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर जोर दिया गया।

#### राष्ट्रीय शिक्षा नीति :-

1986 में लनी इसका नवीनीकरण 1992 में किया गया। इसकी सिफारिशों के आधार पर अध्यापक पुनर्बोध के लिये 216 डायट की स्थापना की गई। डायट कांट की स्थापना 1992 में हुई जो वर्तमान समय में जनपद मुरादाबाद व जे0 पी0 नगर दोनों ही जनपदों को शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान कर रही है।

### डाायट की संकल्पना:-

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त भारतीय संविधान के 45वें अनुच्छेद में वर्णित सबके लिए शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की संकल्पना के अनुसार शिक्षा में सार्वजनीकरण के लिए विशेष योजनाएँ बनायी गयी हैं। अतः एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली के सौजन्य से भारत के प्रत्येक प्रान्त में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों का गठन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुतियों के अनुसार शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए जन-जन तक शिक्षा को पहुँचाने के अतिप्राय से राष्ट्र स्तर के प्रत्येक जनपद के ग्रामीण अंचल में नवोदय विद्यालय एवं जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना सुनिश्चित की गई। उत्तर प्रदेश में भी अक्टूबर 1987 के प्रथम चरण 20 जनपदों पर संस्थानों को प्रारम्भ किया गया धीरे-धीरे इसी तारतम्य में द्वितीय चरण में 20 तथा तृतीय चरण में 23 जनपदों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित किये गये। इन संस्थानों में मानवीय संसाधन की आपूर्ति हेतु नव सृजित पद निम्नवत हैं:-

संस्थागत व्यवस्था की एक झलक:-

- 1- प्राचार्य 1 पद (डिप्टी डायरेक्टर कैंडर का)
- 2- उप प्राचार्य 1 पद (डी०0आई०ओ०एस० कैंडर का)
- 3- वरिष्ठ प्रवक्ता -6 पद (राजपत्रित दत्ता -2 कैंडर के)
- 4- प्रवक्ता 16 पद
- 5- तकनीकी सहायक संख्यकीकार, कार्यानुभव शिक्षक - 3 पद
- 6- कार्यालय अधीक्षक, लेखाकार, कनिष्ठ लिपिक, प्रयोगशाला सहायक
- 7- आशुलिपिक 1पद, पुस्तकालयाध्यक्ष तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 5 पद

उर्पक्तलिखित जनशक्ति के सहयोग से जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान संचालित किये गये हैं

भौतिक संसाधन के अन्तर्गत संस्थान भवन, छात्रावास, काष्ठोपकरण विज्ञान आदि से सम्बन्धित शैक्षिक उपकरण, फोटो कापियर, कम्प्यूटर की व्यवस्था संसाधनानुसार अन्य वित्तीय व्यवस्था भी शासन द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के बहुआयामी शैक्षिक कार्यक्रमों के संचालन हेतु 7 विभाग कार्यरत है। इन विभागों में प्रथक प्रथक जनशक्ति एवं प्रगारी का

काय भी आवांटेत है अपना कार्य संचालन उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से कर रहे हैं।  
विभाग एवं शैक्षिक गुणवत्ता सम्बन्धी कार्यक्रम निम्नवत है—

1- सेवा पूर्व विभाग—

सेवा पूर्व विभाग के अन्तर्गत सुयोग्य प्राथमिक शिक्षक तैयार करने हेतु वी0टी0सी0 (द्वि वार्षिक) संस्थामत प्रशिक्षण की व्यवस्था तकनीकी की गयी है। एक प्रवक्ता तथा 8 प्रवक्ता प्रयोगशाला सहायक एवं तकनीकी सहायक कार्यानुभव शिक्षक के मार्ग दर्शन में उक्त प्रशिक्षण संचालित है।  
कार्यानुभव विभाग—

शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन में मात्र पुस्तकीय ज्ञान अधूरा रह जाता है। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुतियों के अनुसार समाजोपयोगी उत्पादनकार्य, हस्त शिल्प का महत्त्व को विशेष स्थान दिया गया है। एक प्रवक्ता एवं कार्यानुभव शिक्षक के निर्देशन में विभाग संचालित होगा।

3- जिला संसाधन इकाई—

यह विभाग शिक्षा में सार्वभौमिकरण में कार्यरत अनौपचारिक/वैकल्पिक शिक्षा के क्रियान्वयन में शैक्षिक प्रगति हेतु मार्ग दर्शन देना है। प्रशिक्षण व्यवस्था, कार्यशालाओं का आयोजन प्रमुख कार्य है। उप प्रचार्य एवं चार प्रवक्ताओं के कुशल निर्देशन में कार्य संचालित होता है।

4- सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण विभाग—

शिक्षा जगत में हो रहे नये शोध, नवाचार दक्षताओं एवं कौशलों के प्रयोग से शिक्षकों को अवगत कराने हेतु, शिक्षा में गुणवत्ता सुधार, स्तरोन्नयन के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण विभाग अति महत्वपूर्ण है। इस विभाग में एक वरिष्ठ प्रवक्ता, एक प्रवक्ता व लिपिक कार्यरत है।

5- पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन विभाग—

देशकाल, और परिस्थिति के अनुसार समय समयपर पाठ्यक्रम से परिवर्तन एवं संशोधन होते रहते हैं। पाठ्यक्रम एवं शैक्षिक क्रियाकलापों के सतत मूल्यांकन द्वारा कार्यक्रमों में प्रवर्तन इस विभाग के कार्य है।

6- शैक्षिक तकनीकी विभाग—

शैक्षिक तकनीकी प्रभावी अधिगम के लिए विद्याओं/ विधियों, प्रविधियों के विकास पर बल देती है। शैक्षिक तकनीके में शिक्षा और प्रशिक्षण में वैज्ञानिक ज्ञान का अनुप्रयोग किया जाता है। उनके विश्लेषण निराकरण के लिए शोध एवं सुधार से इसका सम्बन्ध है।

7-- नियोजनल एवं प्रबन्धन विभाग:-

प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिए उक्त विभाग का अग्रिम महत्वपूर्ण योगदान है। विद्यालयों में ह्रास-अवरोध की समस्या को हल करने और धारण क्षमता में वृद्धि करने और योजना क्रियान्वित करने, सुनियोजित ढंग से सुव्यवस्था के अन्तर्गत समय समय पर दीक्षा सर्वेक्षण और मूल्यांकन करना है।

अन्त में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत सातों विभागों की समीक्षा करते हैं तो यह भाव होता है कि संस्थान के प्रत्येक विभाग का प्रत्येक क्रिया कलाप गुणवत्ता सर्वधन में सबल सहायक है। स्थानीय परिवेश से प्राप्त एवं तैयार की गई सहायक सामग्री छात्रों को अधिक सक्षम बनाती है। न्यूनतम अधिगम स्तर की सम्प्राप्ति वाले केन्द्रित शिक्षा विद्यालयों का अनुश्रवण तथा शैक्षिक सपोर्ट द्वारा शिक्षक शिक्षार्थी शिक्षण कार्य में रूचि लेने लगे हैं। नवाचारों दक्षताओं से परिचित हो रहे हैं।

## अध्याय — 7

### शिक्षा गारन्टी योजना / वैकल्पिक शिक्षा / नवाचार शिक्षा योजना

जनपद मुरादाबाद में डी0पी0ई0पी0 / सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 200 ई0 जी0एस0 14 प्राथमिक, 100 उच्च प्राथमिक 13 आवासीय तथा 94 गैर आवासीय ब्रिज कोर्स का लक्ष्य है। हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार लगभग 129576 बच्चे स्कूल से बाहर चिन्हित हुये हैं। इनके शिक्षा गारन्टी / वैकल्पिक शिक्षा तथा / नवाचार शिक्षा व्यवस्थाएँ हैं। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से स्कूल के बाहर बच्चे इन दोनों में शिक्षा ग्रहण करेंगे। अलग अलग मण्डलों में आयु तथा शैक्षिक स्तर के आधारपर इनका नामांकन लिया जा सकेगा। घरेलू काम में लगभग 60920 बच्चे हाउस होल्ड सर्वे में पाये गये इन बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स की व्यवस्थाएँ हैं। तथा प्राथमिक केन्द्र है जिससे बच्चा स्कूल के समय से बाहर भी पढाई कर सकते हैं। घरेलू देखभाल में लगभग 14605 बच्चे चिन्हित हुये हैं। इन बच्चों के लिए 200 ई0जी0एस0 तथा 14 प्राथमिक केन्द्र हैं। 314 केन्द्रों के माध्यम से लगभग 12874 बच्चे केन्द्रों से नामांकित होकर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। 94 ब्रिज कोर्स प्रत्येक न्याय पंचायत में संचालित किये जायेंगे। जिसमें लगभग इस वर्ष 12874 बच्चे ब्रिज कोर्स के माहौल में रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। 13 आवासीय ब्रिज कोर्स खास कर उन बालिकाओं के लिए हैं जो घरेलू काम काज के कारण विद्यालय नहीं पहुँच पाती हैं। अतः लगभग 1000 बालिकाएँ ब्रिज कोर्स के माध्यम से पढाई कर सकेंगी।

इस वर्ष का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में वैकल्पिक शिक्षा के माध्यम से लगभग 24048 बच्चे लाभान्वित हो सकेंगे।

अनेक वर्ष के लिए कार्ययोजना

### दृश्य

- सेवा पूर्व प्रशिक्षण योजनाओं को प्रभावी करना।
- शिक्षण प्रशिक्षण योजनाओं में नवीनता लाना।
- 1- शिक्षकों की विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं तथा ब्लॉक समन्वयक/एनओ पीओ आरओ सीओ समन्वयकों का प्रशिक्षण। ग्राम शिक्षा समिति, न्याय पंचायत समन्वयक, ईओ सीओ सीओ ईओ। वीओ आरओ जीओ के अन्तर्गत प्रशिक्षित करना।
- 4- अकादमिक संसाधन समूह का प्रबंध करना।
- 5- शोध कार्य की प्राथमिक शिक्षा के दिग्ग प्रवर्धन करना तथा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना।
- 6- प्राथमिक शिक्षा में शैक्षिक परिवेश में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का निवारण एवं प्रतिक्रियात्मक शोध करना।

### डायट मुरादाबाद --

वर्ष 1992 में स्थापित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मुरादाबाद 2 अप्रैल 1997 तक मुरादाबाद जनपद के अन्तर्गत कार्यशील रहा। 21 अप्रैल 1997 में मुरादाबाद जनपद का एक नया जिला ज्योतिबाफूले नगर गठित होने से डायट ज्योतिबाफूले नगर की सीमाओं में आ गया इस प्रकार मुरादाबाद जनपद के 13 विकास खण्ड एवं ज्योतिबाफूले नगर के 6 विकास खण्डों के प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हुए गुणवत्ता सुधार के विभिन्न विन्दुओं का अध्ययन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जा रहा है।

### जीओ पीओ ईओ पीओ आच्छादित ब्लॉकों का शैक्षिक परिदृश्य --

जनपद की कुल साक्षरता 31.03 प्रतिशत है जिनमें कुछ ब्लॉक जैसे मिशवरी, कन्दरवी, गुढामाण्डे और बनियाखेडा में एकाग्रचित्त प्रयासों की आवश्यकता



है। सभी ब्लॉकों का एक साथ लीन पर साक्षरता की दर मात्र 24.39 प्रतिशत जिसमें महिला साक्षरता की दर 9.71 प्रतिशत है जबकि शहरी क्षेत्रों में उनकी साक्षरता दर 39.76 प्रतिशत है। कुछ विकास खण्ड जैसी कुन्दरकी व पवासा में महिला साक्षरता 5 प्रतिशत से भी नीचे है। केवल ठाकुरद्वारा ब्लॉक ही 20 प्रतिशत के चिह्न को पार कर पाया है वहीं महिला साक्षरता की दर 20.25 प्रतिशत है। इन परिस्थितियों में शैक्षिक सुधार के उद्देश्यों की पूर्ति करना कठिन हो जाता है। आकड़ों के अनुसार पूर्ण साक्षरता तभी सम्भव है जब सभी महिलाएँ साक्षर हों।

विकास खण्डों की साक्षरता दर -

विकास खण्ड का नाम	पुरुष साक्षरता	महिला साक्षरता	कुल साक्षरता दर
ठाकुरद्वारा	54.16	20.25	38.56
छजलट	49.00	16.02	33.93
डिलारी	38.66	12.32	26.66
असमोली	34.64	8.74	22.94
समल	33.56	8.63	22.37
गुरदावाड़	9.75	9.70	21.77
दिल्ली	32.19	6.50	20.84
बहजोई	31.18	6.54	20.72
गमतपुर टाण्डा	31.38	7.42	20.52
बनियाखोडा	28.60	6.05	16.62
कुन्दरकी	27.27	4.09	17.15
गूण्डापाण्डे	25.42	5.04	16.57
पवासा	24.34	4.6	15.56

प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या (विकास खण्डों में)

विकास खण्ड का नाम	प्रथम चरण में प्रशिक्षित	द्वितीय चरण में प्रशिक्षित
	प्रथम	द्वितीय
सम्भल	305	409
पंचारण	259	285
असमोली	268	303
बनियाखेडा	271	360
चन्दौसी	189	176
विलारी	248	272
कुन्दरकी	352	310
छजेलेट	817	387
मुसादाबाद	403	583
मनसापुर टाण्डा	225	259
डिलारी	335	359
मुण्डापाण्डे	219	232
दाकुरद्वारा	414	421
मुसादाबाद नगर	220	235
सम्भल नगर	118	133
चन्दौसी नगर	72	82

### प्राइमरी विद्यालयों में भौतिक सुविधायें -

प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों के अध्ययन के लिये विद्यालयों में सुविधाये होनी चाहिये। मुरादाबाद जनपद में कुल 1712 प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें अधिकतर मूलभूत सुविधाओं के अभाव में चल रहे हैं अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों में एक या दो कमरे हैं कुछ विद्यालयों में पीने का पानी, शौचालय, दिजली, खेल के मैदान तथा विद्यालय की इमारत आदि की मूलभूत सुविधाये भी नहीं है।

जनपद मुरादाबाद में शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान कांठ मुरादाबाद में स्थित है जो जनपद जे० पी० नगर को भी संचालित करता है जनपद में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु वर्ष 1997 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डी० पी० ई० पी० संचालित किया गया जिसके अन्तर्गत कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से डी० आर० सी०/एन० पी० आर० सी०/वी० ई० सी० का गठन किया गया तथा इनके द्वारा ब्लॉक तथा न्याय-पंचायत स्तर पर प्राथमिक विद्यालय के अनुश्रवण तथा शैक्षिक सपोर्ट का दायित्व सौंपा गया। समय-समय पर डायट स्तर पर मासिक बैठकें तथा कार्यशाला आयोजित कर शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन में अध्यापकों के साथ आने वाली कठिनाइयों पर विचार विमर्श तथा उनके निवारण के उपायों पर विस्तृत की जाती रही है।

वर्ष 1997 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी० पी० ई० पी०) शिक्षक सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण प्रथम चरण के प्रशिक्षण हेतु टी० ओ० टी० के चयन हेतु डी० आर० जी० के प्रशिक्षण आयोजित किये गये तथा उसमें प्रथम चरण के प्रशिक्षकों की पहचान कर टी० ओ० टी० के प्रशिक्षण हेतु 25 प्रशिक्षकों को डायट ललितपुर भेजा गया तथा उसके उपरान्त डायट स्तर पर जनपद के समस्त

अध्यापक अध्यापिकाओं को चयनित प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

उक्त प्रशिक्षण का मुख्य लक्ष्य था शिक्षकों की सोच में परिवर्तन कर शिक्षक और समाज के बीच गहरी दूरी को कम करना। शिक्षकों की डिङक को दूर करना। शिक्षक समाज व बच्चों के बीच सहभागिता की वृद्धि के लिए समान सोच विकसित करना।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जा सका इस कारण उच्च प्राथमिक विद्यालयों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पाया।

- 1- जनपद में प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 1712
- 2- जनपद मुरादाबाद में ई0 री0 ई0 केन्द्रों की संख्या 74
- 3- ब्लाक सराधान केन्द्रों की संख्या 13
- 4- ग्राम पंचायत सराधान केन्द्रों की संख्या 94/95
- 5- ग्राम शिक्षा समिति की संख्या 960

जिला प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत चलने वाले प्रथम चक्र अभिप्रेरण प्रशिक्षण को डायट स्तर पर 131 फेसे में संचालित किया गया जिससे जनपद मुरादाबाद व जे0 पी0 नगर के कुल 6142 अध्यापक/अध्यापिकाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

## ई० सी० सी० ई० (आंगनवाडी कार्यकर्त्रियों का प्रशिक्षण)

वाइय सहायकित परियोजना की सहायता से संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यालय (डी० पी० ई० पी०) के द्वारा अर्ली चाइल्ड केयर एण्ड एजुकेशन (ई० सी० सी० ई०) केन्द्रों को वात्त विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित आंगनवाडी केन्द्रों में माध्यम से चलाया जा रहा है। इस योजना का मूल उद्देश्य है कि अपन घर घर छोटे भाई-बहिनो की देखभाल करने के कारण स्कूल शिक्षण से वंचित रहने वाली बालिकाओं को स्कूल शिक्षा प्रदान की जाये। ऐसी बालिकाये समीपवर्ती स्कूलो में दाखिला ले तथा उनके छोटे भाई-बहिनो की देखरेख स्थापित किये जाने वाले ई० सी० सी० ई० केन्द्र में प्रवेश दिया जायेगा और उनकी केन्द्र सहायिका ई० सी० सी० ई० केन्द्र में सहायिका का कार्य करेगी।

ई० सी० सी० ई० कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित करने हेतु डायट और वात्त विकास परियोजना के कुछ सदस्यों को प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राज्य शैक्षिक प्रशासन और प्रशिक्षण परिषद, इत्वाहनानाद मास्टर, ट्रेनर्स के रूप में प्रशिक्षित किये गये।

जनमद गुसादानाद के असामोली व विलाडी विकास खण्ड में ई० सी० सी० ई० की योजना प्रारम्भ की गयी डायट ने मास्टर ट्रेनर्स की सहायता से आंगनवाडी कार्यकर्त्री ब्लाक संसद्धान हेतु समन्वयक, न्याय फंडायता प्रमारी आदि के प्रथम चरण में कार्यकर्त्रियों, सम्बन्धित विकास खण्डों के सी० डी० पी० ओ० केन्द्रों के सुपरवाइजर अवटूवर व नवम्बर माह 1998 से दो फेरो में सम्पन्न किया गया, जिनमे कार्यकर्त्रियों की संख्या 45 थी।

प्रथम चरण में खाल गय ई0 सी0 सी0 ई0 केन्द्रों के सफल संचालन हेतु विभाग आधारित एक वार्षिक एक्टिविटीस कैलेंडर विकसित किया गया है जिसके प्रयोग करने हेतु आगनवाडी कार्यकर्तियों को मास्टर ट्रेनर की सहायता से तीन दिवसीय प्रशिक्षण मार्च 2000 में सम्पन्न किया गया।

द्वितीय चरण में गुरादाबाद, कुन्दरगुं और गिलारी विकास खण्डों में नये ई0 सी0 सी0 ई0 केन्द्र खोले गये हैं। डायट के द्वारा इन केन्द्रों का प्रशिक्षण दो फेरो में पूर्ण होगा प्रथम फेरे में 8 मार्च से 14 मार्च 2000 तक 33 प्रतिभागियों को सात दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इरामें गुरादाबाद विकास खण्ड की 5 बालशाला अभ्यागताओं ने प्रतिभाग किया द्वितीय फेरा अप्रैल 2000 में प्रस्तावित है।

इस प्रशिक्षण में आगनवाडी कार्यकर्तियों को बताया गया 3 से 6 वर्ष के बच्चों का शारीरिक, मानसिक तथा भाषाई कौशलों का विकास किस प्रकार किया जाना है जिससे आगे मिलने वाली शिक्षा को सरलता से ग्रहण कर सकें इसके अन्तर्गत खेल, कहानी, गीत, नॉर्तालाप, कूठपुतली, खेल, गुडिया का खेल, निरीक्षण, कर्ण अभिनय, खेल किराये आदि पर अधिक बल दिया गया।

डायट के विशेष प्रवक्ता/प्रवक्ताओं के द्वारा अनुभवण किया गया उनके द्वारा ई0 सी0 सी0 ई0 की कार्यकर्तियों को निम्न सुझाव दिये गये-

- 1- किसी बच्चे विशेष को अपना प्रिय न बनाये।
- 2- बच्चों की आपस में तुलना न करें।
- 3- बच्चों से बड़े व्यक्तियों जैसी व्यवहार की आशा न करें।
- 4- बच्चों को समझाने के लिए लम्बा चौड़ा भाषण न दें।

जनसद मुसादानाद में स्कूल पूर्व शिक्षा के प्रचार व प्रसार के लिए शिशु शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया गया तब विकास विभाग उ० प्र० द्वारा संचालित केन्द्रों में से 75 केन्द्रों का चयन कर उन्हें शिशु केन्द्र के रूप में विकसित किया गया। इन केन्द्रों के संचालन हेतु डायट स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्मियों व सह कार्यकर्मियों को 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया इनके साथ-साथ उक्त केन्द्रों के पर्यवेक्षण से सम्बन्धित बी० आर० सी०/एन० पी० आर० सी० को भी प्रशिक्षित किया गया।

शिशु शिक्षा केन्द्र से बच्चों की विद्यालय में नामांकन स्थिति पर अच्छा प्रभाव तथा बालिकाओं के नामांकन की औसत दर में भी वृद्धि हुई।

ग्राम शिक्षा समिति की प्रशिक्षण व्यवस्था तथा दायित्व --

जनसद मुसादानाद में वर्ष 1997-98 में 952 ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया तथा डायट स्तर से चयनित एत प्रशिक्षित बी० आर० सी० के प्रशिक्षकों द्वारा समस्त ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। इस समिति में अनुसूचित जातियों तथा महिलाओं तथा स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया इस समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान तथा सदस्य सचिव सरकारी विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है इसके अतिरिक्त समिति में विकलांग बच्चों के अभिभावकों को भी सम्मिलित करने का निर्देश है इस समिति का विशेष कार्य विद्यालय भवन की मरम्मत, अनुभवण विद्यालय की अन्य सुविधाओं जैसे भवन आदि का निर्माण आदि का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है।

ब्लॉक समन्वय समूह प्रशिक्षण के इतिहासियों की सूची

दिनांक	ब्लॉक	प्राइमरी विद्यालय अध्यापक		नेहरू युवा केंद्र		स्वयं सेंकी		अनुदेशक		ग्राम प्रधान		योग
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
26/12/97 से 29/12/97	सम्भल	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	11
30/12/97 से 2/1/98 तक	सम्भल	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6
3/1/98 से 6/1/98 तक	सम्भल	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
30/12/97 से 2/12/98	कुन्दरकी	6	1	2	—	—	—	—	—	—	—	9
3/1/98 से 6/1/98	कुन्दरकी	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	6
30/12/97 से 2/1/98	14	2	7	1	—	—	—	—	—	—	—	24
3/1/98 से 6/1/98	16	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	27
3/1/98 से 6/1/98	6	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	18
5/2/98 से 3/2/98	14	2	3	—	—	—	—	—	—	—	01	20
5/2/98 से 3/2/98	9	2	—	—	—	—	—	—	06	07	—	22



+ २२ -										
17/12/98 से 27/12/98	सुगनापुर	10	0							27
17/12/98 से 27/12/98	मूटावाण्ड	10	0			01			पत्रकार-	27
17/12/98 से 3/12/98	भगतपुर टाण्डा	10	4						1	20
3/12/98 से 7/12/98	पहणोई	4				17	3			21
3/12/98 से 5/12/98	बनियारखडा	19	3			02	01			25
3/12/98 से 6/12/98	टाकुरघारा	07	130 हो			05	03			26
3/12/98 से 13/12/98	विलारी	11	01			09				21
									कुल योग	428

इन समितियों को अधिक कियाशील बनाने शैक्षिक विकास हेतु इनके प्रशिक्षण में स्कूल का मानचित्र, तथा गाइकोप्लानिंग अभ्यास भी कराये गये।

शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट एवं सहयोग की व्यवस्था -

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मुरादाबाद के नेतृत्व में जनपद जे० पी० नगर तथा मुरादाबाद के समस्त परिपटीय विद्यालयों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को उनकी शिक्षण क्षमता व प्रतिभा विकसित करने व विषय वस्तु ज्ञान में अभिवृद्धि करने व शिक्षण कौशल में बदलाव लाने के उद्देश्य से न्याय पंचायत स्तर पर एन० पी० आर० सी० ब्लॉक स्तर पर स० वे० शि० अ०, बी० आर० सी० तथा जनपद स्तर पर जिला वे० शि० अ०, जिला परियोजना अधिकारी तथा डायट प्राचार्य, वरिष्ठ प्रवक्ता/प्रवक्ता द्वारा समय-समय पर विद्यालयों का अनुश्रवण/मूल्यांकन तथा शैक्षिक सपोर्ट का कार्य किया जाता है। डायट तथा ब्लॉक स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवास्त शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किये जाने की व्यवस्था है। शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट के लिए मुख्य रूप से जिला स्तर पर डायट ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समन्वयको तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत समन्वयको की आवश्यकता है। शैक्षिक सपोर्ट देने के लिए डायट संकाय के सदस्यों निरीक्षण वर्ग, डी० आर० जे०, एन० पी० आर० सी० को तीन दिवसीय शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं का आयोजन डायट स्तर पर किया गया। जिसे सात फंसे में पूर्ण किया गया। इस प्रशिक्षण में

	मुरादाबाद	जे० पी० नगर
1-- स० वे० शि० अ० की संख्या	13	6
2-- बी० आर० सी० की संख्या	13	6
3-- एन० पी० आर० सी० की संख्या	95	48

शिक्षक सभाएं एवं अनुश्रवण कक्षाओं के उपरान्त जी० आर० सी०, एन० जी० आर० सी० के माध्यम से परिपटीय प्राथमिक विद्यालय की श्रेणीबद्ध सूची तैयार की गयी। जिसमें जनपद मुरादाबाद/जे० पी० नगर के परिपटीय प्रा० वि० की श्रेणीबद्ध सूची निम्नवत है।

जनपद-मुरादाबाद - प्राथमिक विद्यालयों की श्रेणीकरण की स्थिति

क्र०	विकास खण्ड का नाम	विद्यालयों की संख्या	क	ख	ग	घ	अन्य विवरण	
1-	मुरादाबाद नगर क्षेत्र सहित	171	27	57	45	42	-	जिला बालिक शिक्षा अधिकारी
2-	संगमल नगर क्षेत्र सहित	134	13	68	38	15	-	मुरादाबाद नगर समन्वयक के अधीन
3-	मुहम्मदाबाद	102	14	30	43	20	-	अध्यापक के अधीन
4-	पंचसाल	138	20	95	21	02	-	
5-	बनियामोहल कन्दौरी नगर क्षेत्र सहित	131	29	68	33	01	-	
6-	दिल्ली	127	10	43	41	29	-	
7-	अरमोली	123	14	35	29	45	-	
8-	दिल्ली	132	16	75	29	12	-	
9-	कुदरकी	130	17	65	48	-	-	
10-	कानोई	104	01	62	10	11	-	
11-	कानपुरद्वारा	117	33	48	27	03	-	
12-	ममतपुर टाण्डा	104	07	49	34	04	-	
13-	छजलेट	134	32	74	14	01	-	

उपरोक्त श्रेणीवद्ध व्यवस्था आधेकाशतः भातिक व छाक्षक ससाधनो पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त डी श्रेणी के विद्यालयों को सी श्रेणी, सी श्रेणी के विद्यालय को डी श्रेणी में, डी श्रेणी के विद्यालयों को ए श्रेणी में लाने का प्रयास डाक्ट वी० आर० सी०, एन० पी० सी० तथा जनपद के विभिन्न स्तरीय अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था व क्रियान्वयन -

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत परिषदीय प्राथमिक वि० के शिक्षकों को 5 चकों में प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है। यह 3 चकों में 3 चकों में प्रशिक्षण का लक्ष्य पूरा किया गया है।

प्रयोग चक -

(अभिप्रेरण प्रशिक्षण) शिक्षकरोदय माडयूल्या पर अछारित 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण वर्ष 1997-98 में दोनो जनपदो के अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण 131 फेरो मे डाक्ट स्तर तथा वैकल्पिक प्रशिक्षण केन्द्रो पर संचालित कर पूर्ण किया गया। इसमे जनपद मुरादाबाद/जे० पी० नगर के दि० खण्डो के कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं का प्रशिक्षण सम्मन्न किया गया जिसकी सूची निम्नवत है -

क्र. सं.	वि० ख० का नाम	प्रशि० अ० की संख्या
1-	मुरादाबाद	403 + 200 (नगैर क्षेत्र)
2-	छजलैट	387

3-	कुन्दरकी	352
4--	मूडापण्डे	219
5 -	मिलारी	240
6 -	डिलारी	335
7 -	ठापुरदारा	414
8--	असमोली	268
9--	सम्भल	305 -- 118 (नगर क्षेत्र)
10--	पंचाना	259
11--	वहजोई	189
12--	बनियारखेडा	271 -- 72 (नगर क्षेत्र)
13--	भगतपुर टांडा	225

#### मैटीरियल मेला रिपोर्ट

विषयगत सहायक सामग्री के प्रचार व प्रसार के लिए समस्त ब्लॉक के सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रेरित कर प्रथम न्याय पंचायत स्तर पर मेला आयोजित किया गया। न्याय पंचायत स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त अध्यापक/अध्यापिकाओं को अपनी शिक्षण सहायक सामग्रियों के साथ ब्लॉक स्तर पर आमंत्रित किया गया। ब्लॉक स्तर पर बी० आर० सी०/ए० बी० ए०/एस० डी० आई० द्वारा मूल्यांकन कर उसमें जिन प्रतिभागियों ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया उन्हें जनापद स्तर पर मैटीरियल मेले में आमंत्रित किया गया।

जनपद स्तर का मैट्रिक्यूल मेला दिनांक 28 अगस्त 1999 को आयोजित किया गया। मेले में दोनों जनपद जे० पी० नगर तथा मुरादाबाद के 209 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जिसका विवरण निम्नवत है -

जनपद - मुरादाबाद

1-	मुरादाबाद	10
2-	कुन्दरकी	08
3-	सम्भल	09
4-	बनियाखेडा	11
5-	बिलाशी	12
6-	डित्तारी	15
7-	ठाकुरद्वारा	14
8-	भगतपुर टाण्डा	09
9-	गुण्डापाण्डे	12
10-	अरामोली	15
11-	बहजोई	11
12-	पवांसा	03
योग		129 उमा 80 = 209

द्वितीय चक्र -

सेवाश्रम अध्यापकों के प्रशिक्षण का द्वितीय चक्र जिसे (सबल) सत्र योजनासे तथा सबल गतिविधि बैंक माड्यूल पर आधारित था। जिसमें भाषा, यणित तथा

पर्यावरण का ज्ञान गतिविधियों के द्वारा कराया गया। यह आठ दिवसीय प्रशिक्षण गैर-आवसीय था। इस प्रशिक्षण में विषय वस्तु आधारित कक्षा शिक्षण तथा दक्षता आधारित प्रशिक्षण पर बल दिया गया। सहायक सामग्री निर्माण व उसका कक्षा में प्रयोग एवं गतिविधियों के माध्यम से कराया शिक्षण को सरल व रोचक बनाया तथा अध्यापकों की विषय के प्रति समझ विकसित करना, अध्यापकों में सृजन शीलता, विनयन व तर्क शक्ति का विकास करना मुख्य उद्देश्य था।

यह प्रशिक्षण जनपद मुरादाबाद के 13 वैकल्पिक केन्द्रों पर तथा जनपद जेठ की नगर के 6 वैकल्पिक केन्द्रों पर आयोजित किया गया। ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण की सम्पूर्ण व्यवस्था का दायित्व ब्लाक समन्वयक को सौंपा गया।

इस प्रशिक्षण में निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं ने प्रतिभाग किया —

क्र० सं०	वि० ख० का नाम	प्रशि० अ० की संख्या
1-	मुरादाबाद	583
2-	कुन्दरकी	310
3-	वित्तारी	272
4-	वनियाखेडा	356
5-	वहजोई	176
6-	पंवारा	265
7-	रागल	392
8-	असमोली	302
9-	ठाकुरधारा	352
10-	डित्तारी	326
11-	भगतपुर टांडा	254

12-	मूडापाण्डे	232
13-	छजालेट	381

तृतीय चक्र -

शिक्षक-सेवाएत प्रशिक्षण अिसे सभान नाजबूल के नाम से जानते हैं। यह प्रशिक्षण माह मई 2001 में क्वाक एतए पर क्वाक समन्वयको द्वारा टाचठ की संखशेख में सचालित किया गया। इसमें जनपद मुरादाबाद के 13 नैकस्थिक केन्द्र व जनपद जे0 पी0 नंबर के 8 नैकस्थिक केन्द्रों का समय कर प्रशिक्षण सम्पन्न कराया गया। इसमें नव नियुक्त कार्यरत शिक्षा भित्तों का आठ दिवसीय गैर आवसरीय प्रशिक्षण होना शेष है। अिषयमें बतमान माह अक्टूबर 2001 में पूर्ण विषय जाना परतामित है।

इस प्रशिक्षण में वारताभिक कर्तों शिक्षण पर विशेष रूप से बल दिया गया। अिषयके द्वारा शिक्षकों को अपनी शैक्षिक कर्गियों को समझने में तथा उन्हें कैसे दूर किया जाने की जानकारी तृतीय चक्र के प्रशिक्षण से दी गयी। टी0 एल0 एम0 निर्माण तथा पाठ्य वस्तु के अनुसार उसका कक्षा में प्रयोग कैसे किया जाने पर भी इस प्रशिक्षण में मुख्य रूप से बल दिया गया। तृतीय चक्र प्रशिक्षण में प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं का विवरण निम्नगत है -

जनपद -- मुरादाबाद --

क्र0 सं0	गि0 ख0 का नाम	प्रशि0 अ0 की संख्या
1-	मुरादाबाद	592
2-	कुन्दरकी	312



3	विद्यार्थी	176
4	विनियम-सूची	322
5-	बहजोई	165
6-	पंवारसा	231
7-	सम्भल	358
8-	असमोती	274
9-	ठाकुरद्वारा	380
10-	डिलारी	329
11-	भगतापुर टांडा	229
12-	मूझागाम्हे	220
13-	छजलद	332

प्रशिक्षण का कक्षा में प्रयोग —

प्रशिक्षकों-शिक्षकों से चर्चा करने-पर राजधानी में आया कि शिक्षकों में जागरूकता बढ़ी है। सहायक सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक हो रहा है। उनको की कक्षा शिक्षण में सहभागिता बढ़ी है। एकल तथा दो अध्यापकों वाले विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षण व्यवस्था कैसे की जाये। इस सम्बन्ध में अध्यापकों की समझ विकसित हुयी है।

द्वितीय चरण के प्रशिक्षण-के उपरान्त डाइट स्तर पर वरिष्ठ प्रवक्ताओं/प्रवक्ताओं तथा वी० टी० सी० के छात्राध्यापक/छात्राध्यापिकाओं, अध्यापक मूल्यांकन, रट-डी, सर्वेक्षण कराया गया जिसके अनुसार छात्र/छात्राओं की वैश्विक उपलब्धियां निम्नवत् रही —

कक्षा-1 भाषा में छात्रों की उपलब्धि प्रारम्भिक मूल्यांकन बालक मध्यमान प्रतिशत 54.1 तथा बालिका मध्यमान प्रतिशत 52.7 रहा। जबकि मध्य राष्ट्रीय मूल्यांकन में बालक मध्यमान 72.42 रहा इसी प्रकार कक्षा-1 मणित में छात्रों की उपलब्धि प्रारम्भिक मूल्यांकन 40.79 तथा बालिकाओं का मध्यमान प्रतिशत 38.36 रहा जबकि मध्य राष्ट्रीय मूल्यांकन में बालकों औरतम मध्यमान प्रतिशत 85.9 तथा बालिकाओं का 83.13 रहा इसी प्रकार 4 भाषा में छात्रों की उपलब्धि तथा मणित में बालक बालिकाओं की उपलब्धि रतार तालिका अग्रलिखित है।

कक्षा भाषा में छात्रों की उपलब्धि प्रारम्भिक मूल्यांकन बालक मध्यमान प्रतिशत 42.45 तथा बालिका मध्यमान प्रतिशत 42.88 जबकि मध्य राष्ट्रीय मूल्यांकन में बालकों का मध्यमान प्रतिशत 61.07 तथा बालिकाओं का 69.53 रहा इसी प्रकार मणित विषय में छात्रों का प्रारम्भिक उपलब्धि रतार 33.9 तथा बालिकाओं का 34.1 जबकि मध्यराष्ट्रीय मूल्यांकन में मध्यमान प्रतिशत 51.48 और बालिकाओं का 53.16 रहा इन आकड़ों से स्पष्ट होता है कि द्वितीय चक्र प्रशिक्षण के बाद बालकों के शैक्षिक रतार में वृद्धि हुई है।

प्रारम्भिक मूल्यांकन तथा मध्यावधि रतार की अनुसार छात्रों की उपलब्धि-

कक्षा - 1 भाषा में छात्रों की उपलब्धि -

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत
प्रारम्भिक मूल्यांकन	54.1	52.7
मध्य राष्ट्रीय मूल्यांकन	72.42	72.42

सात-विभागीय आकड़े

कक्षा - 1 गणित में छात्रों की उपलब्धि

परीक्षण	बालक गण्यमान प्रतिशत	बालिका गण्यमान प्रतिशत
प्रारंभिक मूल्यांकन	40.79	33.36
अन्त में राष्ट्रीय मूल्यांकन	35.9	33.13

स्रोत - विभागीय आंकड़े

कक्षा-4 भाषा में छात्रों की उपलब्धि -

परीक्षण	बालक गण्यमान प्रतिशत	बालिका गण्यमान प्रतिशत
प्रारंभिक मूल्यांकन	42.45	42.88
अन्त में राष्ट्रीय मूल्यांकन	61.07	63.53

स्रोत - विभागीय आंकड़े

कक्षा-4 गणित में छात्रों की उपलब्धि

परीक्षण	बालक गण्यमान प्रतिशत	बालिका गण्यमान प्रतिशत
प्रारंभिक मूल्यांकन	33.9	34.1
अन्त में राष्ट्रीय मूल्यांकन	51.48	53.16

स्रोत - विभागीय आंकड़े

उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट होता है कि कक्षा-1 तथा कक्षा-4 में भाषा और गणित दोनों में बच्चों का नैतिक स्तर बढ़ा है। जो बच्चे निम्नतम अधिगम प्राप्त नहीं कर सकते हैं उनके लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।

प्रशिक्षण संवाहन व्यवस्था और अनुभवण -

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद मुरादाबाद/जे० पी० नगर में ब्लॉक सासाधन केन्द्रों तथा न्याय पंचायत सासाधन केन्द्रों की स्थापना की गई। ब्लॉक सासाधन केन्द्र पर ब्लॉक समन्वयक तथा सा० ब्लॉक समन्वयक और न्याय पंचायत सासाधन केन्द्र पर न्याय पंचायत समन्वयक की नियुक्ति की गई तथा डायट स्तर पर ब्लॉक समन्वयक के कार्य तथा दायित्वों की जानकारी देने के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया जो समर्थन मासगृह पर आयोजित था। अनुभवण तथा प्राथमिक शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया समन्वयक के द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण तथा शैक्षिक सपोर्ट के रूप में सार्वसम्यकता का पर्यवेक्षण करना शैक्षिक तथा शैक्षिक आचार पर विद्यालयों का प्रोत्साहन तथा सी० आर० सी० व एन० पी० आर० सी० स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन कर अध्यापकों के साथ कक्षा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों का निवारण किया जाता है।

ब्लॉक समन्वयकों द्वारा ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षणों का आयोजन वार्षिक कार्य योजना, सत्र का निर्माण, शिशु शिक्षा केन्द्र और वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुभवण डायट के मार्ग दर्शन में शिक्षा के गुणवत्ता संवर्धन अध्यापकों का सहयोग तथा वार्षिक सत्र सृजन में शिक्षकों का मार्गदर्शन इसी प्रकार एन० पी० आर० सी० द्वारा भी न्याय

पनायत शहर पर विद्यालयों का अनुश्रवण मासिक बैठकों का आयोजन कर रिपोर्ट भी आर० सी० व डायट को भेजना। समाज में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं आ पाते, उनमें विशेषकर शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे, बाल श्रमिक, खेती हर मजदूर, तथा मलिन वस्तियों में रहने वाले बच्चे मुख्य रूप से होते हैं ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनका सत प्रतिशत नामांकन तथा उद्धार पर विशेष ध्यान न दिया गया तो सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य अवूरु रह जायेगा। अतः हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि ऐसे सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। इसके लिये हमारा प्रयास होगा कि उनके माता-पिता अभिभावक से सम्पर्क कर उनसे भासिक रूप से जुड़कर उनकी सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाया होगा।

ऐसे बच्चों के समाज में यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उनमें किन्हीं भी प्रकार की हीन भावना न पनपने पाये इसके लिए उनमें आत्म विश्वास को जगाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। ऐसे बच्चों को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना एक कठिन कार्य है अतः ऐसे बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था है। ऐसे बच्चों प्राथमिक विद्यालयों की निर्धारित समय सारिणी के अनुसार शिक्षा महत्त्व करने में आसक्ति रहते हैं। ये बच्चे औपचारिक विद्यालयों की कक्षा में प्रवेश देने की उम्मीदों को प्रायः मार कर जाते हैं इसलिए इनका प्रवेश कक्षा की बजाय इनके शैक्षिक स्तर के अनुरूप कक्षा में करना उपयुक्त होगा।

सर्वथाय हमें ऐसे बच्चों को चिन्हित करने के लिए एक सर्वे करना होगा उसमें नाह बच्चों की शारीरिक अक्षमता के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी साथ ही सहा जीवनोपयोगी कौशल का विकास इन बच्चों में करने का प्रयास करना होगा उनमें आत्मविश्वास व आत्म निर्भरता की भावना विकसित हो सके।

विद्यालय समय के समय शिक्षकों से विचार विमर्श के माध्यम से उनकी शिक्षण सामग्री कठिनाइयों के समन्वय में जानकारी करने पर निम्न तथ्य उभर कर आये—

- 1— प्राथमिक विद्यालयों में छात्र अनुपात की असमानता के कारण एक समय में एक अध्यापक को एक से अधिक कक्षाओं पढ़ानी पड़ती है जिसके कारण शिक्षण कार्य सुचारु रूप से करने में कठिनाई होती है।
- 2— अधिकांश अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है इस कारण वे अपने बच्चों को नियमित विद्यालय न भेजकर घरेलू कार्य में लगा देते हैं। जिससे बच्चों का नैतिक विकास नहीं हो पाता।
- 3— अधिकांश अध्यापकों को विभिन्न पाठों के लिए सहायक शिक्षण सामग्री बनाने तथा उसके प्रयोग की पर्याप्त जानकारी का अभाव है अतः अधिकांश अध्यापक पाठों के अनुसार सहायक शिक्षण सामग्री बनाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं।
- 4— यणित, विज्ञान के कुछ कठिन विषय बच्चों के शिक्षण में भी अध्यापकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है जिसकी जानकारी प्रशिक्षणों के माध्यम से भी जाननी आवश्यक है।
- 5— अभिभावक अपने बच्चों को परिपक्व विद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं किन्तु वे चाहते हैं कि उन विद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो। शिक्षक नियमित रूप से शिक्षण कार्य करें तथा विद्यालय में बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान की जाये।

जिससे उनमें अच्छे निकसित हों। साथ ही यन्त्रों-का-स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था भी हो।

उक्त विन्दुओं के आधार पर यह निष्कर्ष सामने आता है कि समाज व समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है।

किसी भी व्यक्ति के अन्दर निहित प्रतिभाओं व क्षमताओं को विकसित करने का अवसर देना ही प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा में गुणवत्ता व सुधारार्थक दृष्टिकोण करने के लिए प्रशिक्षणों की अहम भूमिका होगी।

सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्ता परक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए महत्त्वपूर्ण योजना है। जनपद मुरादाबाद व जे० पी० नगर के 6-14 वय वर्ग के सभी बालक/बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है। यह लक्ष्य समुदाय की भागीदारी एवं समाज के सहयोग से प्राप्त करना होगा। इसके अन्तर्गत 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल गारन्टी स्कूल व वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों के माध्यम से शिक्षा की ई० जे० एस० मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में अध्यापक तथा अच्छी शिक्षण प्रणाली की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके लिए जनपद में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें मुख्य रूप से जनपद विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तर तक समस्त अध्यापकों व अधिकारियों की भागीदारी होगी। इस कार्यक्रम के किसानचयन हेतु इस स्तर पर एक विजिनिंग कार्यालाय का आयोजन किया जायेगा इस कार्यालय में डाइट के सदस्यों जिला परियोजना कार्यालय कर्मियों, विकास खण्ड तथा न्याय

पंचायत स्तरीय अधिकारियों को सम्मिलित किया जायेगा। इस कार्यालय का मुख्य उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों वच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव, शिक्षकों, कक्षा कक्षों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के संदर्भ में सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियाँ तय की जायेंगी।

#### कम्प्यूटर उपयोग सन्बन्धी प्रशिक्षण -

वर्तमान युग में सूचना प्रौद्योगिक के प्रभान को देखते हुये यह अति आवश्यक हो गया है कि छात्रों को भी कम्प्यूटर सम्बन्धी जानकारी दिया जाना आवश्यक है इसके लिए सबसे पहले डायट के दो प्रवक्ताओं को एक मास का आधारभूत कम्प्यूटर सम्बन्धी प्रशिक्षण कराया जायेगा तथा उसके पश्चात उच्च प्राथमिक विद्यालयों के एक-एक अध्यापक को डायट स्तर पर कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रथम चरण में यह योजना 13 विकास संसाधन केन्द्रों पर कम्प्यूटर उपलब्ध हो जाने पर निकटतम उच्च प्राथमिक विद्यालयों लागू की जायेगी तथा धीरे-धीरे सभी प्राथमिक विद्यालयों के एक-एक अध्यापक को प्रशिक्षित किया जायेगा। यह कार्य एन० सी० ई० आर० टी० के सहयोग से किया जायेगा।

#### उच्च प्रशिक्षण -

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक अध्यापक अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण के अतिरिक्त अन्य प्रशिक्षण भी डायट स्तर पर भी अन्वेषित किये जायेंगे।

#### शिक्षा भित्तों का प्रशिक्षण -

वर्ष 2001-2002 में जनपद मुरादाबाद में 574 तथा जनपद जे० पी० नगर 298 शिक्षा भित्तों का चयन कर प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था जो दिनांक



30/9/2001 तथा 671 शिक्षा मित्रों तथा 93 आचार्यों का प्रशिक्षण पूर्ण कर उन्हें प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किया जा चुका है। अवशेष शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण माह नवम्बर 2001 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। विद्यालयों में छात्रों के बढ़ते नानांकन तथा प्राथमिक अध्यापकों की कमी के कारण सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी शिक्षा मित्रों का चयन तथा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था आवश्यकतानुसार की जाती रहेगी। तथा जिन शिक्षा मित्रों को शिक्षण कार्य और बेहतर बनाने के लिए एक सत्र के उपरान्त 15 दिन का पुनर्विद्यार्थक डायट स्तर पर कराया जायेगा।

जनपद मुरादाबाद के वित्तारी विकास ग्राम्ड ई0 सी0 सी0 ई0 की योजना प्रारम्भ की गयी उम्त ब्लाकों की आंगनवाड़ी कार्यकर्मियों को 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर दिया गया। वर्तमान समय में 75 ई0 सी0 ई0 केन्द्र संचालित हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद जे0 पी0 नगर तथा मुरादाबाद के प्रत्येक ब्लॉक में से कम 50-50 ई0 सी0 सी0 ई0 केन्द्र संचालित करने की योजना है। यह कार्य 2007 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

बी0 आर0 सी0 और एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण -

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है समय-समय पर इनकी कार्यशाला भी आयोजित की जाती रही हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु शैक्षिक साधन एवं यत्न व्यापक मूल्यांकन प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है। जो माह दिसम्बर 2001 तक सात फेरो डायट स्तर पर प्रदान किया जायेगा। यह प्रशिक्षण जनपद स्तरीय अधिकारियों जिसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक

जा रही है। साथ-साथ व्यापक मूल्यांकन से छात्र का समय मूल्यांकन होगा तथा साथ-साथ शिक्षक इस बात का अनुभव भी कर सकेंगे कि छात्र के व्यक्तित्व विकास में तथा उनके सीखने एवं शिक्षण प्रणाली में क्या कमियाँ हैं उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। सुधारात्मक शिक्षण प्रणाली को शिक्षण में इस प्रणाली से शिक्षकों को पर्याप्त सुविधा मिलेगी डाक्टरेट स्तर पर सतत व्यापक मूल्यांकन का प्रशिक्षण जनपदीय अधिकारियों/स्वायत्त समन्वयकों/स्वायत्त संसाधन समन्वयकों को माह दिसम्बर 2001 तक प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

सर्व शिक्षा अभियान में भी इस व्यवस्था को और अधिक सद्दृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए और अधिक प्रशिक्षणों की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

क्रियात्मक शोध --

प्रारम्भिक एवं उच्च प्रारम्भिक विद्यालय के आचार्यों को क्रियात्मक शोध के मार्ग में दक्षता अर्जित करने के लिए एक छार दिवसीय कार्यशाला का आयोजन डाक्टरेट स्तर पर किया जायेगा। यह कार्यशाला में एस्० सी० ई० आर० टी० तथा सीमेंट इलाहाबाद के सहयोग से आयोजित की जायेगी। यह कार्यशाला में एस्० सी० आर० टी० को भी शोध कार्य में दक्ष किया जायेगा। शिक्षक अपनी समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्य योजना बनाये तथा उसका समाधान ढूढने में सफल हो सकें। इस प्रकार यह क्रियात्मक शोध का कार्य सकुल स्तर और विद्यालय स्तर पर किया जाना है। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र निम्नलिखित हैं --

- 1- कक्षा की प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के तरीके।
- 2- सतत व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग।
- 3- महिलाओं में आत्म विश्वास जागृत करने के तरीके।

4- शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार सम्भव है।

5- अक्षय बच्चों के शिक्षण के तरीके।

6- गाल श्रनिक तथा धुमन्तु बच्चों को शिक्षण के तरीके।

सर्व शिक्षा अभियान की कार्ययोजना पर विचार विमर्श -

सर्व शिक्षा अभियान की कार्य योजना के लिए जिला शिक्षा अर प्रशिक्षण सभान कांठ में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 11/10/2001 को किया गया। इस कार्यशाला में गणउत्तीय सहायक शिक्षा निदेशक वेसिक, जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी मुसादावाद/जे० पी० नगर, सहायक वेसिक शिक्षा अधिकारी, गति उप विभाजन निदेशक, क्वाक समन्वयको तथा डागत संकाय के सदस्यों तथा प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरण प्रशिक्षण के प्रशिक्षको ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला में मुख्य रूप से विभाकित विन्दु उभर कर आये।

- 1- पाठ से सम्बन्धित सहायक सामग्री निर्माण करने का प्रशिक्षण दिया जाये।
- 2- विषयानुसार प्रशिक्षण की आवश्यकता है जैसे गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान।
- 3- गणित विज्ञान तथा विज्ञान विज्ञान के प्रयोग करने का प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
- 4- गाल मनोविज्ञान पर आधारित प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
- 5- भाषा सम्बन्धित शुद्धता पर कार्यशाला।
- 6- मूल्यमन्त्र के विभिन्न पक्षों का प्रशिक्षण।
- 7- ई० वी० एस० तथा भाषा विकास सम्बन्धित प्रशिक्षण।
- 8- समेकित शिक्षा का प्रशिक्षण।

9- बहु कक्षा शिक्षण को और कारगर बनाने के तरीके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षकों के लिये प्रथम चरण का प्रशिक्षण -

प्रथम वर्ष प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रथम वर्ष में विषय वस्तु पर आधारित 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण डायट स्तर आयोजित किया जायेगा प्रशिक्षण के उपरान्त मेट्रीकुलर मेला तथा विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण तथा कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

10 दिवसीय प्रशिक्षण आवासीय पाठ्य पुरतको पर आधारित 4 दिवसीय

विज्ञान कार्यशाला - आवासीय

मेट्रीकुलर मेला एक दिवसीय - न्याय पंचायत स्तर पर - गैर आवासीय

मेट्रीकुलर मेला एक दिवसीय - ब्लॉक स्तर पर - गैर आवासीय

मेट्रीकुलर मेला एक दिवसीय - डायट स्तर पर - गैर आवासीय

यह प्रशिक्षण तथा कार्यशाला प्रथम वर्ष के चार माह में आयोजित की जायेगी। इनके आयोजन में प्रति प्रतिभागी रूपये 70/- की दर से

प्राथमिक अध्यापकों की संख्या	दर	धनराशि
मुसदासाद - 4009	70/-	57. लाख

### निर्देशित प्राथमिक अध्यापकों के साथ शिक्षण विद्यालयों का प्रशिक्षण और

1 वर्ष में भाषा, गणित तथा पर्यावरण विषय वस्तु पर आधारित आठ दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम वर्ष के शिक्षण विद्यालयों तथा प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर आयोजित किया

मे आठ दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण तीन-तीन दिवसीय गैर आवासीय 0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 स्तर पर तथा कुछ एक-एक कार्यशालाओं/सेमीनारों का आयोजन प्रस्तावित है। इन प्रशिक्षणों तथा कार्यशालाओं/सेमीनारों के लिए जनपद मुख्यालय के प्राथमिक शिक्षकों की प्रशिक्षण व्यवस्था द्वारा 57 लाख रुपये प्रस्तावित हैं।

2 वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लिए आठ दिवसीय प्रशिक्षण प्रस्तावित है। यह मुख्य रूप से विज्ञान तथा सामाजिक विषय और मूल्यांकन के लिए है इसके अतिरिक्त लघु प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आयोजित की जायेगी। इन प्रशिक्षणों एवं कार्यशालाओं के लिए जनपद मुख्यालय के लिए 57 लाख रुपये प्रस्तावित हैं।

चतुर्थ वर्ष में प्रशिक्षण व कार्यशालाओं की व्यवस्था

3 वर्ष में चार दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण का मुख्य विषय प्राथमिक शिक्षण प्रक्रिया तथा टी0 एन0 एन0 निर्माण एवं उसका

कार्यक्रम पर कोशित होगा। इसी अनुक्रम में वी० आर० ३३०, एन० पी० आर० ३३० की कार्यशाला भी आयोजित की जायेगी।

प्राथमिक शिक्षणों का पांच दिवसीय आन्वसीय परिचालन एन० पी० आर० ३३०, वी० आर० ३३० तब पर दो दो दिवसीय कार्यशालायें, जिनमें आदर्श माटो की परसुति तथा अन्य अन्य उपकरणों का उपयोग के लिये वी० आर० ३३०, एन० पी० आर० ३३० का प्रशिक्षित किया जायेगा। इन सब आयोजनों के लिए अनुमानित खर्च

अनुमानित मुसादायाद — 57 लाख रुपय में प्रस्तावित है।

पांचवें वर्ष में चारों वर्ष के प्रशिक्षणों के अन्तार पर भुविबोधायक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आन्वसी परिचालन की समवेत तथा वी० आर० ३३० प्रशिक्षणों के अनुक्रमों के अन्तार पर प्रशिक्षण की समवेत तैयार भी आयोजित होगा। इस में प्राथमिक विद्यालयों के एक-एक शिक्षक को अनेक भाग में आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा तथा पांच दिवसीय प्रशिक्षण शुरू करने परसुत तथा क उपकरणों के लिए प्रस्तावित है।

पांचवें वर्ष के अन्तर्वर्ष जो प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक समवेत तथा वी० आर० ३३० प्रशासकयणों को पांच दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसका मुख्य उद्देश्य नेतृत्व, समय व्यवस्था, स्कूल परिक्षण तथा विद्यालयों अभिनेशों के रख रखाव पर केन्द्रित होगा।

इस प्रशिक्षण के लिए अनुमानित मुसादायाद के प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 57 लाख रुपयों प्रस्तावित है।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण -

प्रस्तुत वर्ष में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 700 हा0 के शिक्षकों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। किन्तु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापक-अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। यह प्रशिक्षण प्रतिवर्ष आयोजित किये जायेंगे। इसमें कक्षा 6 से 8 तक के उच्च प्राथमिक के अध्यापक हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेजों के कक्षा 6 से 8 के पढ़ाने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को सम्मिलित किया जायेगा।

प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष में आठ दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसमें-विद्यार्थ विषय में शिक्षण, विषय-वस्तु से सम्बन्धित शिक्षण विधियां तथा सहायक सामग्री निर्माण का कार्य कराया जायेगा।

उक्त प्रशिक्षण पर अनुमानित व्यय -

जनपद मुसदाबाद - 20 लाख रुपये प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को आठ दिवसीय आवश्यक प्रशिक्षण दिया जायेगा यह प्रशिक्षण गणित विषय से सम्बन्धित होगा। इसमें शिक्षण हेतु विषय-वस्तु, शिक्षण विधियां, सामग्री निर्माण तथा उसका उपयोग किस प्रकार किये जायेंगे। यह प्रशिक्षण पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा। इसमें आदर्श पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना से सम्बन्धित सहायक सामग्री का निर्माण, इसके अतिरिक्त अनुभव तथा शैक्षिक सपोर्ट के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला का

आयोजन किया जायेगा। इसमें समस्त बी० आर० सी० तथा एन० पी० आर० सी०, ए० बी० एस० ए० तथा प्रति उच्च विद्यालय निरीक्षक प्रतिभाग करेंगे।

उक्त कार्यशाला और प्रशिक्षण के लिए भिन्नोक्त अनुमानित व्यय प्रस्तावित है।

जनपद मुसफवार

20 लाख रुपये

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय से सम्बन्धित विषय वस्तु, शिक्षण विधियां तथा सहायक सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण सात दिवसीय होगा तथा पाठ्य पुस्तकों पर आधारित पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा अनुपूरक सामग्री का निर्माण कराया जायेगा। इस प्रशिक्षण के उपरान्त डायट के स्तर पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन अनुभूतन तथा शैक्षिक सपोर्ट के लिए किया जायेगा। इसमें जनपद के समस्त बी० आर० सी०, एन० पी० आर० सी०, ए० बी० एस० ए० तथा एन० सी० आर० सी० प्रतिभाग करेंगे। उक्त व्यवस्था के लिए प्रस्तावित धनराशि -

जनपद मुसफवार

20 लाख रुपये

चतुर्थ वर्ष में उच्च प्राथमिक के अध्यापक अध्यापिकाओं को 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण में हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के उपरान्त दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी। जिसमें पाठ्य पुस्तकों पर आधारित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण एवं उसका कक्षा में प्रयोग तथा आदर्श पाठों की प्रस्तुति की जायेगी। प्रशिक्षण को शैक्षिक सपोर्ट देने हेतु डायट स्तर पर बी० आर० सी०, एन० पी० आर० सी० को मासिक बैठकों में विचार विमर्श किया



जायेगा। इन बैठकों में डायट संकाय के सदस्यों को भी शामिल किया जायेगा।  
उक्त प्रशिक्षण कार्यशाला, मासिक बैठक के लिए प्रस्तावित धनराशि व्यय

जनपद मुरादाबाद

—

20 लाख रुपये

पाँचवे वर्ष में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए पुनर्व्यवस्थापक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे तथा छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों के मापन हेतु कक्षा व्यापक मूल्यांकन के प्रशिक्षण डायट स्तर, ब्लॉक स्तर तथा न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। इन प्रशिक्षणों में दूरस्थ शिक्षा माध्यम का भी अधिकतम प्रयोग किया जायेगा। प्रशिक्षण के निश्चेषण एवं निष्कर्षों को जानने के लिए दो दिवसीय कार्यशाला डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। उक्त व्यवस्था के लिए —

जनपद मुरादाबाद

—

20 लाख रुपये

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढीकरण —

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान काँठ मुरादाबाद में डायट का प्रशासनिक भवन एक मंजिल है भवन पर दूसरी मंजिल नहीं बनी है डायट का बहुत कम है अर्थात् है डायट में प्रशिक्षण कक्षा नहीं बने है प्रसाधन के साधन का भी अभाव है डायट काँठ में मुख्य छात्रावास की अत्यधिक आवश्यकता है प्रशिक्षण में प्रतिभागियों के आवास की व्यवस्था न होने के कारण अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पराना जो टी० सी० के भवन में ही अधिकांश कार्य कराया जाता है उस

भवन की छत भी जर्जर अवस्था में है भवन की छतों की मरम्मत की अत्यधिक आवश्यकता है।

डाइट के लिए 300 गेज, 300 कुर्सी, 100 राख, 100 गद्दे, 100 कमल, 100 तकिया, 100 गेड की अति आवश्यकता अनुभव की जा रही है। संस्थान के पास कम्प्यूटर के लिये कक्ष उपलब्ध नहीं है डाइट की ऊपरी मजिल का निर्माण अति आवश्यक है।

भौतिक सुविधाओं के साथ-साथ डाइट का स्टाफ भी पूरा होना चाहिए।

#### जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढीकरण

काम का विवरण	अनुमानित लागत (लाखों में)
1- कार्यालय डाइट भवन के एक अतिरिक्त तल (द्वितीय तल) का निर्माण	40.00
2- एक सभकक्ष का निर्माण	1.00
3- एक प्रदीक्षा कक्ष का निर्माण	2.00
4- एक अतिथि कक्ष का निर्माण	8.00
5- एक कर्मशाला कक्ष का निर्माण	8.00
<b>योग</b>	<b>66.00 लाख</b>

मरम्मत	2.00
पेयार	.50
य हेतु पुस्तकें, रैक, कुर्सी-मेज	1.00
वाटर कूलर, डुपलिकेटिंग	1.00
नया मशीन को मरम्मत हेतु	

---

4.50 लाख

---

(ii)

ब शीक संग्रहण	2.00
भाए/संग्रहण	2.00
ब रक्षाण/पीओ ओए ऐलैओ	.50
एवं मुद्रण	4.00
सी	1.00

---

9.50 लाख

---

iii शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता का सम्बर्द्धन

संज्ञित	कार्यरत	रिक्त
1	--	01
1	1	--
6	2	4
17	3	14

कामचालु शिक्षक	01	01	—
तकनीकी सहायक	01	01	—
सांख्यिकी कार	01	01	01
कार्यालय अधीक्षक	01	-	01
प्रयोगशाला सहायक	02	01	—
आसुतिपिक	01	01	01
लेखाकार	01	-	--
कमिन्ट लिपिक	09	09	--
पुरस्तकालय अध्यक्ष	01	--	01
नो नो प.०	05	05	—
<hr/>			
योग	43	25	23
<hr/>			

आयट के बरिषत प्रवक्ताओ/प्रवक्ताओ के कोशल विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण--

आयट के बरिषत प्रवक्ताओ/प्रवक्ताओ के कोशल विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है।

- 1-- कम्प्यूटर प्रशिक्षण
- 2-- पुरस्तकालय का रखा-रखाव एवं कियान्चालन
- 3-- शैक्षिक तकनीकी उपकरणों तथा मनोविज्ञान, प्रयोगशाला के उपकरणों का प्रशिक्षण।
- 4-- कियामक शोध।
- 5 - संकाय दक्षता वर्ग
- 6 - एनसोजर विजिट

## अध्याय-10

### परियोजना कियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान को जनपद में विद्यमान वर्तमान व्यवस्था के सम्पूर्ण के रूप में चलाया जायेगा। इस परियोजना को जनवरी 2002 से प्रारम्भ कर दिसम्बर 2010 तक चलाया जायेगा। इस अवधि में 6-14 वय वर्ग के सभी बालक बालिकाओं का शत प्रतिशत नामांकन, उद्धारक व गुणवत्ता का उच्च प्रतिशत नामांकन, उद्धारक व गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जायेगा। ये सभी कार्यक्रम एवं उपाय प्रत्यक्ष 30 प्रा. स्तरीय के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा।

परियोजना का प्रबन्धन टीम भावना पर आधारित होकर तथा व्यक्तिगत पहल के लिये प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त अनुरोध होगा। ग्राम स्तर, न्याय पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर तथा जनपद स्तर पर सामुदायिक व सामाजिक प्रतिष्ठानों को पूर्ण करने में सहयोग दिया जायेगा इसका विस्तृत विवरण निम्नवत है।

ग्राम शिक्षा समिति --

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 तथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं --

समिति का स्वरूप निम्नवत् है -

- 1-- ग्राम पंचायत का प्रधान अध्यक्ष
- 2-- ग्राम पंचायत में स्थित वैशिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वहाँ एक से अधिक स्कूल हो तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य होगा।
- 3-- वैशिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक वैशिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे : सदस्य

अधिकार एवं दायित्व -

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी -

- क- पंचायत क्षेत्र में वैशिक स्कूलों के निर्माण हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबंधन करना।
- ख- ऐसे वैशिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनाएँ तैयार करना।
- ग- पंचायत क्षेत्र में वैशिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।
- घ- वैशिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।
- ङ- ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो वैशिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समग्र पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझे जायें।
- च- पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी वैशिक स्कूल के किसी अध्यापक का अन्य कर्मचारी पर ऐसी शीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

छ— बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे कृत्यों को करना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उरो सौंपे जायें।

डी० पी० ई० पी० के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ-साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परिषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन तंत्र शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा इसे अधिक प्रभावी बनाने एवं सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ करती/ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समन्वय कियात्मक करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधियों में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपरोक्त में परिष्कृत शिक्षा मॉडर्न केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिदेश का निर्माण कर अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व हो शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा छात्रवृत्ति का वितरण, पोषाहार वितरण का निश्चय, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र —

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण डी० पी० ई० पी० के अन्तर्गत कराया जा चुका है, इसे सुरक्षित किया जाने के साथ-साथ

प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं किष्कशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व -

- 1- न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।
- 2- अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार विमर्श एवं उसका निराकरण करना।
- 3- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करना।
- 4- ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
- 5- न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूझ नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति -

जिले की भांति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदधिकारी सम्मिलित हूँ-

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 1- | ब्लाक प्रमुख   | अध्यक्ष    |
| 2- | सहायक बोराल शिक्षा अधिकारी / प्रति<br>उप विद्यालय निरीक्षक | सदस्य-सचिव |
| 3- | विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान                              | सदस्य      |
| 4- | विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक                    | सदस्य      |



### आधिकार एवं दायित्व -

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/जे० जी० एस० वाई० के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक आयोजित होगी।

### प्रशासनिक संगठन - ब्लाक स्तर -

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक वेशिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं जो जिला वेशिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक वेशिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी को शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरदायित्व होगा। सहायक वेशिक शिक्षा अधिकारी पदों

विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे -

- 1-- सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
- 2-- विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।
- 3-- ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।
- 4-- ब्लॉक परियोजना समिति की बैठक करना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- 5-- ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक आंकड़े एकत्रित कर संकलित करना।
- 6-- सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित करना तथा सूचना एकत्र करना।
- 7-- खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित करना।
- 8-- विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु० ७६०/जन० जा० के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित करना।
- 9-- विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।
- 10-- विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मिश्री की नियुक्तियाँ सुनिश्चित करना।
- 11-- ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लॉक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।
- 12-- अध्यापकों के वेतन विल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई० जी० एस० तथा ए० आई० ई० के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेंगे तथा ई० जी० एस० व ए० आई०

ई० केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं का विवरण एवं कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगे।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु डी० पी० ई० पी० के अन्तर्गत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वाहन करेंगे। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के लिये यात्रा भत्ता तथा रख रखाव हेतु नियत धनराशि (18000/- प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उनके ई० जी० एस०/ए० आई० ई० योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक वी० आर० सी० सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र -

इस जनपद में डी० पी० ई० पी० संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अन्तर्गत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके हैं और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यों के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के

संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कायदा का अनुश्रवण में सहायता करेंगे।

शैक्षिक, गुणवत्ता समर्पण व समर्थन हेतु देखा गया है कि वी० आर० सी० समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक वी० आर० सी० को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर ऑपरेटर के साथ सुदृढीकृत करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक वी० आर० सी० एक लाख रुपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व

- 1- अध्यापकों की अभिनीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
- 2- विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
- 3- विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
- 4- ब्लॉक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
- 5- न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
- 6- ब्लॉक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में इसका नियोजन करना।
- 7- विकास खण्ड के अन्तर्गत स्कूल से बाहर बच्चों के सम्बन्ध में बस्तीवार तथा ग्रामीणों का नामवार कमरेजर्डीबुड गिवरण तैयार करना।

8- ब्लॉक में-विद्यालय स्तरों की का समय-समय पर एक एकीकरण व सम्मेलन के आयोजन का अनुभव करना।

जनपद स्तरीय समिति -

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारित एवं राजनीतिको के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति डी० पी० ई० पी० के अन्तर्गत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी 4उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी है।

समितियों का गठन निम्नवत् है -

जिलाधिकारी	—	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	—	उपाध्यक्ष
जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी	—	सदस्य सचिव
प्रामाण्य डायट	—	सदस्य
जिला भ्रम अधिकारी	—	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	—	सदस्य
जिला एवं लेखाधिकारी (वैशिक शिक्षा)	—	सदस्य
आदेशाधी अभियंता (आर० ई० एस०)	—	सदस्य
जिला निशालय निरीक्षक	—	सदस्य
दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एवं	—	सदस्य

ग्रहाविद्यालय से) जिलाधिकारी द्वारा नामित

दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला कम से (एक वर्ष के लिये)

दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)

स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

### जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व -

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर डी० पी० ई० पी० के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत पहले हुये इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने रणनीति निर्धारण के सम्बन्ध में इसके निर्णय प्रभावी होंगे। प्रवेश धारण, गुणवत्ता सर्वेक्षण, निर्माण के लिये तकनीति पर्यवेक्षण के लिये संस्थाओं का निर्धारण एवं प्रचार-प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संवर्धन एवं निर्देश के लिये जनपद स्तर ही सर्वोच्च समिति होगी। समिति में डी० जी० एस०/ए० आई० ई० से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

### जिला बेसिक शिक्षा समिति -

उ० प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसका सदस्यता निम्न प्रकार है -

1--	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2--	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव
3--	अपर जिला मजिस्ट्रेट (निगोजन)	पदेन सदस्य
4--	जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5--	जिला विधानसभा निर्देशक	पदेन सदस्य

जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ० प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमें तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे -

1-	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन जिला परियोजना अधिकारी
2-	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई० जी० एस०/ए० आई० ई०) -	1 प्रतिनियुक्ति पर
3-	समन्वयक	4 प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
4-	सहायक	2 ₹० 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
5-	ई० एम० आई० एस० अधिकारी	1 ₹० 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
6-	कम्प्यूटर ऑपरेटर/सांख्यिकी सहायक	3 ₹० 7,000/- नियत वेतन प्रति पद
7-	सहायक लेखाधिकारी	1 प्रति नियुक्ति पर
8-	लिपिक	1 नियत मानदेय के आधार पर
9-	परिचारक	1 नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उ० प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना के सस्टेनिबिलिटी प्लान के अन्तर्गत कोई भी पद सृजित नहीं है उपरोक्त सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण और पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होंगे तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे।

### उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त अन्य उप-वेसिक शिक्षा अधिकारी/सहायक

वेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा वेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्तव्य की तरह करेंगे। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण वित्तीय समर्थन जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध करियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

### निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था -

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कर्मकर्म की मांगि रखी जायेगी। निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण प्राथमिक अभियन्तण सेवा अथवा लघु सिवाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा, जिसके लिए उनके मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। प्राथमिक अभियन्तण सेवा व लघु सिवाई विभाग में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध हो मानदेय की जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कर्मकर्म के अन्तर्गत निर्धारित है प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु ₹० 1,000 प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्षा/भाग संयोजित संसाधन केन्द्र हेतु ₹० 500 तथा प्रति शौचालय हेतु ₹० 200 की दर अनुसन्ध से प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के निर्माण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा तीन वर्ष बाद मानदेय की दर से संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। अभियन्ताओं की मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की प्रसूति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।



समाधान के रूप में विकसित हो सकेंगे। जिसका सार्वजनिक शैक्षिक नियोजन एवं अनुभवण में अधिक से अधिक किया जाएगा।

ई० एम० आई० एस० अधिकारी के कार्य एवं दायित्व -

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटरइण्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई० एम० आई० एस० अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे -

- विद्यालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण करना।

समय से पीरिड रटाफ (पी० आर० सी० समन्वयक, एम० पी० आर० सी० समन्वयक, प्रधानाचार्य) का परिचक्षण आयोजित करना।

- माह अवलोकन के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण करना।

- भरे हुए प्रपत्रों की समुह त्रुटिगण समीक्षा करना तथा परिवर्तन यदि कोई हो अभिलिखित करना।

- समयावधि रूप में निसर्ग, 2001 के अन्त तक डेटा एन्ट्री पूर्ण करना तथा त्रुटि तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।

सकृद्वार व निवास अण्ड वार जनगणना की ई० एम० आई० एस० रिपोर्ट का निरूपण तैयार करना तथा वारिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा और

प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक वैसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध करना।

— सभी शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक साख्यिकी के लिए नोटबुक अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/कार्यशाळाओं में प्रतिभाग करना।

— माइक्रोसाफ्टिफ्ट डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी समन्वित को प्रस्तुत/प्रेषित करना।

ई० एम० आई० एम० अधिकारी की शैक्षिक योग्यता कम्प्यूटर ऑपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही साख्यिकी विश्लेषण, प्रयोग आदि में अपीकृत जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण :-

विद्यालय साख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर, प्रधानाध्यापक, सकुल प्रभारी, पी० आर० सी० समन्वयक, सहायक वैसिक शिक्षा अधिकारियों का समस्त स्तर पर परिश्रम आशोजित किया जायेगा और उन्हें ई० एम० आई० एम० सम्बन्धी प्रश्न तथा उन्हें अपने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आकड़ों के दो प्रतिशत संग्रहित चैकिय के लिये भी पीरिड स्टॉफ को परिश्रम दिया जायेगा जिससे आकड़ों की शुद्धता की जांच हो सके।

— ई० एम० आई० एम० का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)

यह प्रशिक्षण भी विद्यालयीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वित स्तर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

2- ई0 एम0 आई0 एस0 का प्रशिक्षण (ब्लॉक स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक वैलिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उच्च विद्यालय निरीक्षक एवं पी0 आर0 सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेंगे।

3- ई0 एम0 आई0 एस0 का प्रशिक्षण (ग्राम मंचागत स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एम0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक/सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेंगे।

4- ई0 एम0 आई0 एस0 का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्तर पर)

एम0 पी0 आर0/सी0 द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0 पी0 आर0 एन पी0 आर0 सी0 के कम्प्यूटर ऑपरेटर भाग लेंगे। प्रथम तीन दिन ई0 एम0 आई0 एस0 प्रबंधन एवं दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकड़ों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांच --

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीचा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रथम उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से उच्च विद्यालय तक शिवाजी के अनुसार आंकड़ों को एकत्रित किया जायेगा एवं कम्प्यूटर पर आर0 एन0 के परभाव ई0 एम0 आई0 एस0 रिपोर्ट तैयार

की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरे हेतु प्रपत्रों तक कम्प्यूटर प्रिन्ट-आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनका द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वयम् होगा और यदि कोई पुष्टि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकड़ों का उपयोग -

ई० एम० आई० एम० आंकड़ों के विश्लेषण से माइक्रोप्लानिंग जैसे जी० ई० आर० एम० ई० आर०, ड्राप-आउट दर, लिमिटीशन दर छात्र-अध्यापक अनुपात, क्या क्या अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय प्रांते प्रतिवर्ष प्राप्त होगा। इन माइक्रोप्लानिंग के उपयोग डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट सिस्टम में किया जायेगा ताकि बार-बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समन्वय/संशोधन किया जा सके। छात्र के अन्तर्गत ई० एम० आई० एम० से प्राप्त आंकड़ों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या प्राप्त नहीं हो पाती है और स्कूल के अन्तर्गत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नहीं हो पाता है अतः यह आवश्यक प्रस्तावित है कि माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त प्राथमिक शारीक आंकड़ों तथा ई० एम० आई० एम० से प्राप्त आंकड़ों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा। तथा तदनुसार कार्य योजना में मांछित कार्यक्रमों का समन्वय/संशोधन अभीष्ट होगा। ई० एम० आई० एम० एवं माइक्रोप्लानिंग के आंकड़ों का उपयोग निम्न कार्यों हेतु भी किया जायेगा --

1- नवीन विद्यालयों हेतु असेवित बस्तियों की पहचान।

- 2- शिक्षा बॉर्डरों केन्द्र हेतु वास्तवों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर वारिस्तों की प्राथमिकता का निर्धारण।
- 3- छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षा की आवश्यकता की पहचान।
- 4- एकल अन्तर्भागीय विद्यालयों का विस्तार।
- 5- छात्र आवश्यक अनुपात के आधार पर शिक्षा विभागों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।
- 6- प्राथमिकी के कम मासिकता वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का विस्तार।
- 7- शिक्षणक माध्य पुस्तकों के नियोजन हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आकलन।
- 8- आवश्यकता सम्बन्धी माग का आकलन व निर्धारण।
- 9- शिक्षकों का नियोजन।
- 10- विभिन्न स्तर पर विद्यालय निर्देशन का शेरट्टर।
- 11- विकासोन्मुख प्रायोजनों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

ई० ए० १९७०-७१ से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्ष एवं सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विभाग व व प्राधिकारी द्वारा वनापर स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यों के प्रायोजन की प्राथमिकता के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके शिवाय अन्य प्रायोजन हेतु माग और आवश्यकता निर्धारित जायेगा।

कोर्ट स्टडी

छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षा की आवश्यकता पहचान हेतु वास्तवों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर वारिस्तों की प्राथमिकता का निर्धारण।

स्टडी ग्राह्य एजेन्सी द्वारा करायी जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक-पृथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रू० 2 लाख रखी गयी है।

#### बोर्डोफ्ट मैनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम -

एम० आई० एस० के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रौद्योगिक एवं वित्तीय प्रगति को निरंतर अभिमान विचार-दूर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति को बढ़ाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एल० ए० सी० आई० के अन्तर्गत कम्प्यूटरीज्ड वितीय प्रवृत्त प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये भी एम० आई० एस० परियोजना में लागत आयेगा।

#### जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान -

मुम्बतला व सुफार के लिए जिला स्तर पर पूर्ण में ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान 30 प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सुदृढ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को सुदृढ करने हेतु इसकी ओर अधिक सुदृढ किया जायेगा। परियोजना के अन्तर्गत इसके निम्नलिखित कार्य लिये -

- 1— विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/सन्दर्भ व्यक्तियों को नियमित कर प्रशिक्षित करना।
- 2— राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यों के लिये डायट स्टॉक की क्षमता का विकास करना।
- 3— ब्लॉक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना।
- 4— जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एवं उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों/निष्कर्षों की जागरूकता सर्व सम्बन्धित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय विधियाँ जा सकें।
- 5— जिले के समस्त स्कूलों का नुमाइशामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।
- 6— ब्लॉक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया-कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।
- 7— जिले स्तर पर अन्य विभागों एवं अधिकारियों से सम्बन्ध स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यों में नियोजन करना।
- 8— जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
- 9— न्यूनतम अधिमान स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए वेस लाइन सर्वे करना।
- 10— शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम वितरित करना।
- 11— शैक्षिक आकड़ों (ई0 एम0 आई0 एस0 के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।

12- शिक्षकों, सहायकों, डी० सी० सी० डी० तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित करना।

विधि का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फण्ड) --

प्रत्येक नर्भ जनमद अपनी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेंट के अग्रेजल के पश्चात् एवं उ० प्र० समी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि शिक्षा परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को लिये अकमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, आकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि — जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वी० आर० सी० एवं एन० पी० आर० सी० को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कर्षदायी संस्था जैसे—ग्राम शिक्षा समिति, स्वयं सेवी संस्थाओं, अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला वैकल्पिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा समी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष को सभी अधिकार प्रतिनिर्धारित है। अब ५० 5500 नए शैक्षणिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। जिलाधिकारी की व्यवस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर



भी लागू है। डाइट का खाता भी डाइट प्रानार्ज एवं उररी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा व्हाक संसाधन केंद्र/न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों पर भी संयुक्त खाता खुला है। जिसका परिपालन उ० प्र० स्त्री के लिए शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। जिलाय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के विस्तृत नियम स्पष्ट निर्धारित न। परसेप्ट एवं प्रोविसोरियेस के नियम जो इसी संदर्शिका में निर्धारित किये गये हैं, जो परियोजना में भी अपनाये जानेमें सम्मिलित सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो प्रो. १००० के विधे शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों एवं विस्तृत प्रत्यक्ष प्रचारों में प्रशिक्षण दिया जायगा तथा समग्र-समय पर डिफेन्सर कोर्स भी आयोजित किये जायेगे परियोजना कार्यकर्मों की कार्यकारी पत्रावधि नाम शिक्षा संदर्शिका में देखा जायी है, जिसको देक में आते पूर्व से ही संचालित है। जिला परियोजना संसाधन एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संसाधन द्वारा राज्य परियोजना कार्यकर्मों में समग्र एवं व्यापक पत्रावधि का संकलित वितरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यकर्मों द्वारा त्रैमासिक आधार पर पत्रावधि जिला को आमुक्त की जायेगी।

कन्सु पत्नी सौ.सुशमा

राज्य परियोजना कार्यालय

जिला परियोजना कार्यालय

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संसाधन

१. पी० आर० सी० एवं एन० पी० आर० सी०

१. पी० आर० सी० एवं एन० पी० आर० सी०

२. पत्र शिक्षा संवि०

३. कल्याणक

४. राज्य सेवा संस्था कर्मि

सम्प्रेक्षण व्यवस्था —

सु0 प्र0 समी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डिपेन्डेंट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से किया जायेगा। यह कार्य वित्तीय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का चयन कम्प्लेक्सिटीस फोर आडिट फर निर्धारण समी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/भारत सरकार के विधियों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के जनपद विभागों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महासचिव/प्रदेश सचिव प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिकरित किया जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय, राउलीड द्वारा भी समय-समय पर आन्तरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की जायेगी।

राज्य राष्ट्रीय उपचारयुक्त प्रणाली की स्थापना —

परियोजना का क्रियान्वयन नियमित तहस व सव्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर नियत वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप वैसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक वैसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों, पी0 आर0 सी0 समन्वयकों की मासिक समीक्षा बैठके आयोजित की जायेगी जिसमें योजना कार्यों को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उसके रक्षणीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा इसी प्रकार प्रत्येक जिला द्वारा संकल्प सदस्यों व पी0 आर0 सी0 समन्वयकों की मासिक बैठके आयोजित की जायेगी और कार्यालयों के क्रियान्वयन तथा अनुमति कठिनाईयों पर जिला बैंक प्रावृ किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली

समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेगे। साथ ही समय-समय पर पर्यवेक्षक एवं अनुभवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा और कमियों का निराकरण करते हुए सुधार किया जायेगा।

प्रत्येक माह जनपद के कम्प्यूटरसाईज्ड पी० एम० आई० एस० रिपोर्ट तैयार की जायेगी, जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षों के आधार पर कार्य संचालन के क्रियान्वयन व अनुभवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा वार्षिक ई० एम० आई० एस० खाता के निर्माण से प्राप्त इण्टीकोटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यालयों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथाआवश्यक उपसाहाय्यक प्रयास अपनाये जायेंगे।

अगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समान विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाइयों, प्राप्त विभिन्न इण्टीकोटर्स को ध्यान में रखते हुये आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगे।

II

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न में आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर शनी, गोष्ठ्या का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समाचार पत्रों क से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 11 रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद / वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।